खण्ड-457, अंक-6
गुरुवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1927
(9 मार्च, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

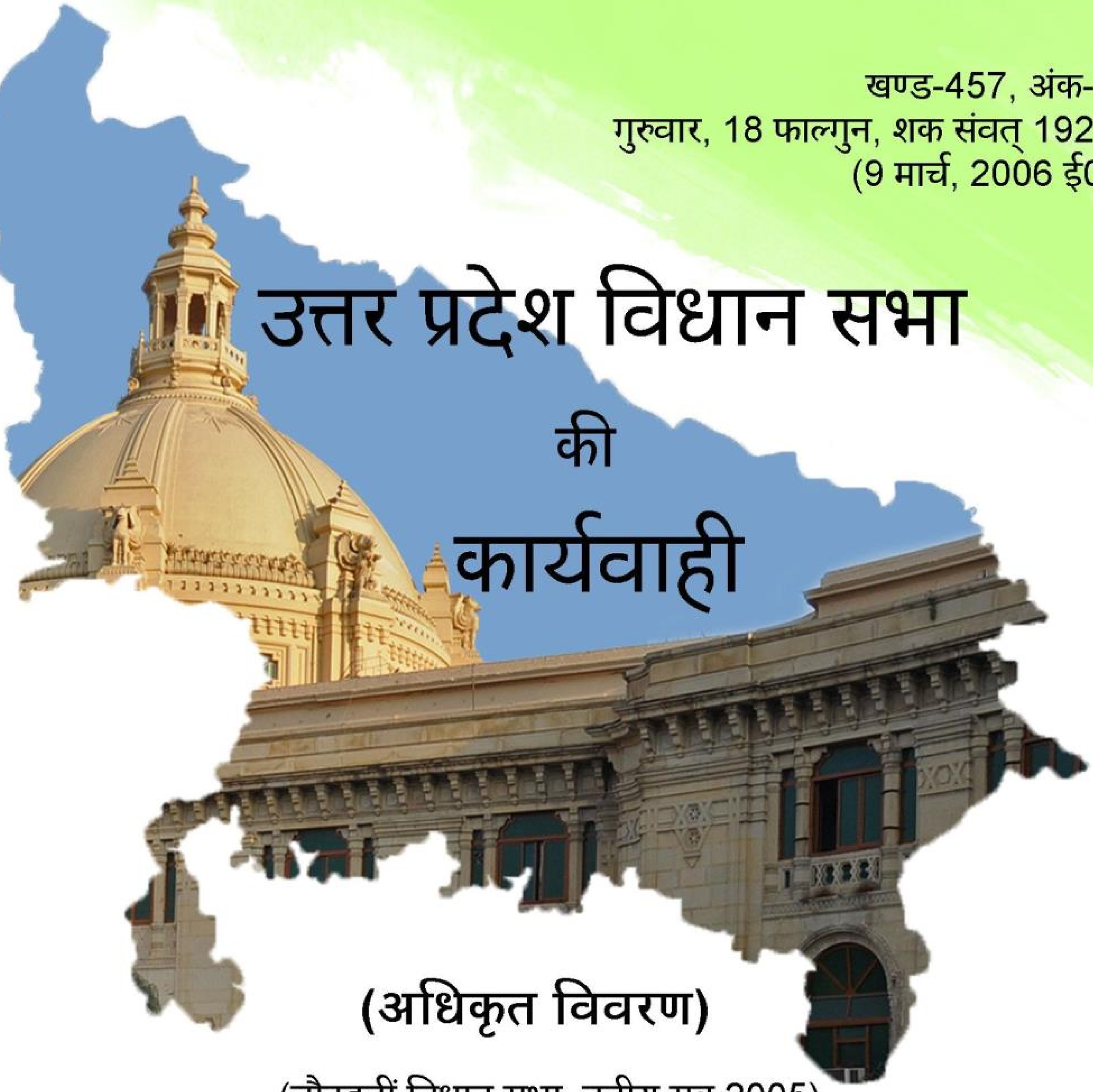

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ -संख्या
उपस्थित सदस्य	घ -त्र
वाराणसी में बम विस्फोटों से हुई लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग------	1
प्रश्नोत्तर------	1-15
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ------	15
विशेष आर्थिक क्षेत्र कानपुर में एस0 ई0 जेड0 योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	16
आजमगढ़ जनपद में टोंस नदी के पानी को प्रदूषण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	16-17
मेरठ महानगर की जल निकासी की व्यवस्था हेतु चार नालों के कच्चे भाग की इकसार चौड़ाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना------	17
नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर क्षेत्र में 30 शैय्या के आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना------	17
शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों (सेवानिवृत्त) को वर्ष 1996 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक चयन/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना-----	18
आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत लगभग 3 कि0मी0 लम्बे जीवली-देवगांव मार्ग का लेपन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना------	18
सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को तत्काल बदलवाने एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना------	18-19
बरेली के आंवला क्षत्रान्तर्गत आवला-रामनगर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना------	19
श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अलीगढ़ के परिवाद संख्या-1438-2002 (अलीगढ़) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-27-2003, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-07-2004 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन-------(सदन के पटल पर रखा गया)	19

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण 2002-2003------(सदन के पटल पर रखा गया)	19-20
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2006------(सदन के पटल पर रखी गयी)	20
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006------ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)------	20
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006------ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)------	21
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006------ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	21
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन------ (सदन के पटल पर रखा गया)	21
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव---- (स्वीकृत)	21
नियम-311 की नियम 56 में परिवर्तित वाराणसी में बम विस्फोटों से हुई लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना पर चर्चा------	22-23
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को चर्चा से पहले लिये जाने का अनुरोध------	23-24
मुख्यमंत्री द्वारा वाराणसी की घटना पर चर्चा के पूर्व इस पर अपना वक्तव्य दिये जाने का अनुरोध------ (स्वीकृत)	24-26
दिनांक 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में हुए बम विस्फोटों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य------	26-28
नियम-311 की नियम 56 में परिवर्तित वाराणसी में बम विस्फोटों से हुई लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना एवं मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (जारी)--	28-33
एक दल विशेष के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध लाबी एवं गलियारे में लगाये गये नारों एवं आरोपों पर कड़ी कार्यवाही किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न-------	33-34

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-311 की नियम 56 में परिवर्तित वाराणसी में बम विस्फोटों से हुई लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना एवं मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा------	33-58
दिनांक 7 मार्च, 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मन्दिर तथा रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले की भर्त्सना, घटना में दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि तथा दलीय सीमाओं से परे हट कर आतंकवाद को समूल समाप्त करने का संकल्प लिये जाने विषयक प्रस्ताव------ (स्वीकृत)	59
दल बदल प्रकरण में हाईकोर्ट फैसले के अनुरूप बसपा सदस्यों को सदन में बैठने हेतु पार्टी सचेतक द्वारा व्हिप जारी करने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय------	60
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 (जारी)--	60
नियम-56 की शेष सूचनाओं को लिये जाने की मांग-------	60-61
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)-	61-78
विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या 165/166 के अन्तर्गत संशोधित उत्तर एवं निदेश संख्या-166 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना------	78-82
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा------ (जारी)	82-91
कोरम की तरफ सदन का ध्यानाकर्षण------	91-92
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा------ (जारी)	92-108
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव---- (स्वीकृत)	109
श्री मुख्तार अंसारी, सदस्य विधान सभा को लखनऊ में उपचार कराने तथा विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने हेतु जिला कारागार लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना------	109-110
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा------ (जारी)	110-113
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें------	113-114

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के श्रम न्यायालयों में जजों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य------	114-115
कानपुर के शिवपुरी काकादेव निवासी श्री योगेश चन्द्र शुक्ला की हत्या से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन देव शंखवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य------	115-116
जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज में जौनपुर आजमगढ़ मार्ग से जीवली-रेनगांव मार्ग के गाजीपुर औड़िहार तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य------	116-117
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-दुदही में विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के बाद भी कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का वक्तव्य------	117
हाथरस, एटा, अलीगढ़ स्थित डिग्री कालेजों के प्रबन्धक एवं प्राचार्य द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में किये जा रहे गबन के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य------	118-119
मेरठ स्थित मेरठ-गढ़ मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य------	119-121
मेरठ जनपद में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ किये जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य------	121-122
जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित दादरी ब्लाक के ग्राम उपरालसी में 132 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य------	122
फैजाबाद-इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण कार्य खराब गुणवत्ता के आधार पर कराये जाने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य------	122-123

विषय	पृष्ठ-संख्या
नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 के सम्बन्ध में संशोधन करते हुए विशेष प्रोत्साहन/छूट दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 24नवम्बर, 2005 के नत्थी "क" के तारांकित प्रश्न-2 के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा------ (जारी)	123-128
नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 में संशोधन विषयक नियम-49 की सूचना पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव------ (स्वीकृत)	128
नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 के सम्बन्ध में संशोधन करते हुए विशेष प्रोत्साहन/छूट दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 24 नवम्बर, 2005 के नत्थी "क" के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा------	129

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य-336

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3-अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4-अजय कुमार, डा0 — बागपत
5-अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
6-अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
7-अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
8-अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
9-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
10-अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
11-अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
12-अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
13-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
14-अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
15-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
16-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
17-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
18-अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
19-अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
20-अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21-अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
22-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
23-अमर सिंह परमार, श्री — आगरा
24-अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
25-अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
26-अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
27-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28-अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
29-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
30-अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
31-अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
32-अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
33-अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
34-अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्त कबीर नगर
35-अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
36-अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
37-अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
38-अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
39-अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
40-आदित्य बिक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
41-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
42-आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
43-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
44-आलम बदी, श्री — आजमगढ़
45-आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
46-आशा [illegible]मती — रायबरेली
47-आशीष यादव, श्री — बदायूं
48-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
49-इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
50-इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
51-इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
52-उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
53-उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
54-उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
55-उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
56-उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
57-ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
58-ओमप्रकाश, श्री — सीतापुर
59-ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर

60-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
61-ओमप्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
62-कपिल देव यादव, श्री — मऊ
63-कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
64-कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
65-कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
66-काजिम अली खां उर्फ नेद मियां, नवाब — रामपुर
67-कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
68-काशीराम, श्री — रामपुर
69-किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
70-किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
71-कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री — बिजनौर
72-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
73-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
74-कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
75-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
76-कैलाश, श्री — गाजीपुर
77-कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
78-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
79-कौशल किशोर, श्री — खीरी
80-कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
81-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
82-गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
83-गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
84-गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
85-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
86-घूरा राम, श्री — बलिया
87-चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
88-चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
89-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
90-चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
91-छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
92-छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
93-जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
94-जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
95-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
96-जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
97-जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
98-जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
99-जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
100-जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
101-जयप्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
102-जयराम विमल, श्री — अम्बेडकरनगर
103-जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
104-जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
105-ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महाराजगंज
106-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
107- दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
108-दयाराम, श्री — कौशाम्बी
109-दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
110-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
111-दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
112-दीनानाथ भास्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
113-दुर्गाप्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
114-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
115-देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
116-देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
117-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
118-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
119-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
120-धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
121-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
122-धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
123-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
124-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
125-धू राम लोधी, चौधरी — हमीरपुर
126-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
127-नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
128-नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
129-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
130-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
131-नरेन्द्र शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद

132-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
133-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
134-परमजीत, श्री — मुजफ्फरनगर
135-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
136-पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
137-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
138-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
139-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
140-प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
141-प्रदीप जैन "आदित्य", श्री — झांसी
142-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
143-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
144-प्रभु नारायण, श्री — चन्दौली
145-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ
146-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ
147-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
148-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
149-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
150-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
151-फागू, श्री — मऊ
152-बंशीधर राज, श्री — खीरी
153-बलराम यादव, श्री — आजमगढ
154-बाबूराम, एम0काम0, श्री — जालौन
155-बाबू लाल, श्री — गोण्डा
156-बाबू लाल, चौधरी, श्री — आगरा
157-बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
158-बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
159-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
160-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
161-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज), श्री — झांसी
162-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
163-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
164-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
165-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
166-भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
167-भगत राम, श्री — सुल्तानपुर
168-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
169-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
170-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
171-मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
172-मदन भैया, श्री — बागपत
173-मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
174-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
175-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ
176-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
177-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
178-महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
179-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
180-महेन्द्र सिंह, चौधरी — अलीगढ
181-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
182-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
183-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
184-महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
185-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
186-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
187-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
188-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
189-मुकुल उपाध्याय, श्री — अलीगढ
190-मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
191-मुंशी लाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
192-मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
193-मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
194-मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
195-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
196-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
197-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
198-मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
199-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
200-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
201-मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
202-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
203-यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर

204-योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
205-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
206-रंगनाथ मिश्र, श्री संत रविदास नगर, भदोही
207-रणवीर राणा, श्री मेरठ
208-रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
209-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
210-राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
211-राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
212-राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
213-राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
214-राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
215-राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
216-राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
217-राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
218-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
219-राजा राम, श्री प्रतापगढ़
220-राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
221-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ
222-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
223-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
224-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
225-राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
226-राजेश कुमार, श्री खीरी
227-राम मोहन दास अग्रवाल डा0 गोरखपुर
228-राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
229-राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
230-राबिया कलाम, श्रीमती वाराणसी
231-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
232-राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
233-राम करन आर्य, श्री बस्ती
234-राम किशुन, श्री चन्दौली
235-राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
236-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
237-राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
238-राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
239-रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
240-रामपाल यादव, श्री सीतापुर
241-राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
242-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
243-रामबाबू हरित, डा0 आगरा
244-राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
245-राम मगन, श्री बाराबंकी
246-राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
247-रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
248-राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
249-राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
250-राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
251-रामहेत भारती, श्री सीतापुर
252-रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
253-रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
254-रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
255-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
256-लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
257-लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
258-लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
259-वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
260-वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
261-विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
262-विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदास नगर भदोही
263-विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
264-विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ
265-विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
266-विनय शाक्य, श्री औरैया
267-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
268-विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
269-विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
270-विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
271-विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
272-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
273-विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
274-वीरेन्द्र प्रताप सिंह, "मुन्ना" शाहजहांपुर
275-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली

276-वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
277-वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
278-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
279-शब्बीर, श्री — बहराइच
280-शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
281-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
282-शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
283-शाकिर अली, श्री — देवरिया
284-शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
285-शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
286-शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
287-शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
288-शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
289-शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
290-शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
291-शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
292-शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
293-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर — प्रतापगढ़
294-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महाराजगंज
295-शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
296-शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
297-श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
298-श्याम नारायन, श्री — महाराजगंज
299-श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
300-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
301-श्रद्धा यादव, श्रीमती — जौनपुर
302-श्रीराम भारती, श्री — मिर्जापुर
303-संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
304-संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
305-सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
306-सत्तो देवी, श्रीमती — सहारनपुर
307-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
308-सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
309-सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
310-समरपाल सिंह, श्री — बागपत
311-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 — मुरादाबाद
312-सलिल बिशनोई, श्री — कानपुर नगर
313-सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
314-सियाराम सागर, डा0 — बरेली
315-सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
316-सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
317-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
318-सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
319-सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
320-सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री — गाजियाबाद
321-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
322-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
323-सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
324-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
325-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
326-सुल्तान बेग, श्री — बरेली
327-सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर
328-सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
329-सोमारू राम सरोज, श्री — जौनपुर
330-सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
331-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
332-हरि प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
333-हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
334-हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ़
335-हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
336-होशियार सिंह, श्री — बुलन्दशहर

नोट :-परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री अजीत कुमार राजू भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वाराणसी में बम विस्फोटों से हुई लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी हमने नियम-311 के अन्तर्गत नोटिस दी है । आज पूरा प्रदेश जल रहा है। पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है ।

श्री अध्यक्ष-

पहले यह प्रश्न हो जाये । इसके बाद ले लेंगे । आप बैठ जायें ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान रहा ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, प्रदेश में जंगल राज हो गया है । कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । यह प्रदेश आज साम्प्रदायिक आग में जल रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं । मैं प्रश्न ले रहा हूं ।

(तारांकित प्रश्न सं0 1 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता सदस्य उपस्थित नहीं थे ।)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों को लीज पर देने की मांग

***1-श्री जगदम्बिका पाल-**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार द्वारा राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी हां । वर्ष 2003 में शासन द्वारा निगम की 24 इकाइयों को लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चीनी निगम में संकलित घाटा (29 इकाइयों में) वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रु0 1651.36 करोड़ का हो चुका था । घाटे का मुख्य कारण मिलों की पुरानी मशीनरी व कम पेराई क्षमता है । इन मिलों को लाभदायिकता की स्थिति में लाने हेतु मिलों की पेराई क्षमता में वृद्धि एवं मिलों का आधुनिकीकरण कराया जाना आवश्यक था तथा इसमें पूंजी निवेश लगभग रु0 1500.00 करोड़ की आवश्यकता थी जिसकी व्यवस्था निगम अपने स्रोतों से नहीं कर सकता था और राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इतनी बड़ी पूंजी की व्यवस्था कर पाना शासन के लिए भी सम्भव नहीं हो पा रहा था। फलतः इन बीमार चीनी मिलों को चलाने, क्षमता वृद्धि तथा आधुनिकीकरण करने के लिए चीनी निगम की 24 चीनी मिलों को दीर्घकालीन लीज पर निजी क्षेत्र में दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमारी इसमें रुचि है ।

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्नकर्ता ही नहीं है । आप बैठ जायें ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपनी बात कहते रहे ।)

श्री अध्यक्ष-

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग माना जायेगा अब मैं दूसरी मद ले रहा हूं।

अतारांकित प्रश्न

उप निदेशक, मंडी परिषद् शाहजहांपुर के विरुद्ध जांच

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री को जानकारी है कि उप निदेशक, मंडी परिषद्, शाहजहांपुर के विरुद्ध जांच व गांवों के सम्पर्क मार्गों के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम0/134527/2005 दिनांक 25-11-05 निदेशक, कृषि मंडी परिषद् को दिए गए प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के बांगरमऊ के क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराने की मांग

2-श्री राम शंकर पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के

अन्तर्गत फतेपुर-84 से सूसूमऊ तक सड़क नाबार्ड से निर्मित करायी गयी थी जो क्षतिग्रस्त हो गयी है? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत का कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद-उन्नाव के जगतनगर मार्ग पर मेतपुरवा में पुलिया निर्माण कराये जाने की जानकारी

3-श्री राम शंकर पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के सहजनी-जगतनगर मार्ग पर ग्राम मेतपुरवा में एक पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो उक्त पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जगतनगर-सहजनी मार्ग की कुल लम्बाई 12.00 कि0मी0 है । मार्ग के कि0मी0 1 से 8 तक के भाग में मिट्टी, पुलिया का कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना एवं लेपन का कार्य जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 2000 में पूर्ण करा दिया गया है । कि0मी0 8से 12 तक के भाग का लेपन स्तर तक निर्माण नाबार्ड फेज-7 में पूर्ण करा दिया गया है । स्वीकृत प्राविधानों के अनुसार मार्ग/पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

दोषी अवर अभियन्ता श्री हश्मतुल्लाह सिद्दीकी के वेतन से कटौती

4-श्री मस्तराम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित श्री बादशाह सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-68 के उत्तर के तहत दोषी अवर अभियन्ता श्री हश्मतुल्लाह सिद्दीकी के वेतन से अब तक कितनी धनराशि वसूली जा चुकी है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

श्री हश्मतुल्लाह सिद्दीकी, अवर अभियन्ता के वेतन से जनवरी, 2006 तक 13 किश्तों में कुल धनराशि रु0 39,000.00 वसूली जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद-लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के लेखपाल/कानूनगो को गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

5-श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ की तहसील मलिहाबाद में कितने ऐसे लेखपाल एवं कानूनगो हैं जो अपने गृह तहसील में तैनात हैं ? क्या सरकार उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

लेखपाल-17 ।

कानूनगो-कोई नहीं ।

गृह निवास के विकास खण्ड में तैनाती पर प्रतिबन्ध है, परन्तु गृह तहसील में तैनाती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर देहात के अति पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों में कृषि विविधीकरण योजना लागू करने पर विचार

6-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार कानपुर देहात जो अति पिछड़ा एवं अविकसित क्षेत्र है, में कृषि विविधीकरण योजना वर्ष 2005-2006 से लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

कृषि विविधीकरण परियोजना (डारप) के द्वितीय चरण की तैयारी का कार्य चल रहा है । परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन (एप्रेजल) वर्तमान में विश्व बैंक के विचाराधीन है । अत: परियोजना की रूपरेखा तथा परियोजना क्षेत्र को अन्तिम रूप दिया जाना शेष है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-देवरिया के आस-पास के गांवों में संचालित शराब भट्ठियों को बन्द कराने की मांग

7-श्री रामकरन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-देवरिया में पकड़ी बाजार के आस-पास के गांवों में अवैध रूप से देशी शराब बनाने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध रूप से संचालित भट्ठियों को बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद देवरिया में पकड़ी बाजार के पास स्थित गांवों में मदिरा का निर्माण ग्रामवासियों द्वारा नहीं किया जाता है । पकड़ी बाजार के आस-पास तीन भट्ठे स्थित हैं, जहां पर कच्ची शराब का निर्माण भट्ठे

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के मजदूरों द्वारा किया जाता था । इस क्षेत्र में देशी शराब बनाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

स्थानीय आबकारी स्टाफ द्वारा लगातार छापे डालकर अवैध शराब के निर्माण पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है । अभियोजन की कार्यवाही भी की गई है । वर्तमान में शराब बिल्कुल नहीं बनायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पीलीभीत के राजपुर में ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग

8-डा0 विनोद तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर जिला पीलीभीत के अन्तर्गत राजपुर ता0 माधाटाण्डा में ग्राम समाज की जमीन पर गांव के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, पीलीभीत ने दि0 16-11-2005 को तहसीलदार, पूरनपुर को आदेशित किया था कि उक्त भूमि से अवैध कब्जेदारों को हटाकर ग्राम सभा को कब्जा दिलाया जाये ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त आदेश के अनुपालन में राजस्व निरीक्षक व लेखपाल पुलिस बल के साथ दिनांक 16-12-2005 को अवैध कब्जेदारों से कब्जा खाली कराने गये तो तहसील कर्मियों पर हमला कर अपनी झोपड़ियों में आग लगाकर तहसील कर्मियों को खदेड़ दिया ? क्या तहसील प्रशासन द्वारा अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

कलेक्टर पीलीभीत ने अपने न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 03/04-05, सरकार प्रति नन्द किशोर वाद संख्या-04/04-05, सरकार प्रति रामकली वाद संख्या-05/04-05, सरकार प्रति नोखेलाल,वाद संख्या-04/04-05, सरकार प्रति रामेश्वर दयाल, वाद संख्या-07/04-05 सरकार प्रति राम बहादुर ,समस्त वाद अन्तर्गत धारा 122सी ज0 वि0 अधिनियम ग्राम राजपुर ता0 माधोटाण्डा, परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में पारित अपने आदेश दिनांक 03-10-05 द्वारा गाटा संख्या-31, 47 व 37 स्थित ग्राम राजपुर ता0 माधोटाण्डा परगना व तहसील पूरनपुर का प्रति-पक्षीगण को किया गया आवासीय आवंटन निरस्त कर तहसीलदार पूरनपुर को आवंटित भूमि पर तत्काल गांव सभा को कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये ।

उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 16-12-2005 को कोई कार्यवाही नहीं की गयी । अपितु दिनांक 03-12-05 को राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम में जाकर वाद में वर्णित प्लाटों का कब्जा हस्तान्तरण करने से पूर्व पैमाइश की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इसी दौरान पट्टेदारों के हिमायतियों द्वारा पैमाइश प्रक्रिया का विरोध किया गया ।

पैमाइश एवं कब्जा परिवर्तन की अग्रिम कार्यवाही अमल में लाने के पूर्व ही दिनांक 14-12-05 को कलेक्टर पीलीभीत के आदेश दिनांक 3-10-05 को मा0 न्यायालय आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली द्वारा अपने आदेश दिनांक 14-12-05 द्वारा दिनांक 11-1-06 तक स्थगित करने के आदेश पारित किये गये । जिसके कारण कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-उरूवा के तरैना नाले के जर्जर पुल के निर्माण की मांग

9-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-उरूवा में यशवन्तपुर-तरैना नाले पर बना पुल पूरी तरह जर्जर है ? यदि हां, तो क्या इस पुल के निर्माण हेतु शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक धन स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड उरूवा में यशवन्तपुर-तरैना नाले पर नये सेतु के निर्माण कार्य हेतु रु0 111.47 लाख का आगणन शासन में प्राप्त हुआ है । प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद-शाहजहांपुर में अग्निकांड में ग्राम भूड़ियां के पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिये जाने सम्बन्धी पत्र

10-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर में अग्निकांड में ग्राम भूड़ियों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-/12830/05 दिनांक 11-7-05 जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां ।

प्रभावितों की सहायता देने की मांग का परीक्षण किया गया । इसमें 10 मकान प्रभावित हुये जिसमें तीन मकान गैर आवासीय थे जिन्हें नियमत: सहायता नहीं दी गयी । शेष सात परिवारों को रु0 1200/- की दर से रु0 8400/- की सहायता दिनांक 10-6-2005 को ही दे दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11-श्री राम करन आर्य-

[4थे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

तहसील के राजस्व न्यायालयों में आर0 पी0 एल0 मानदेय बढ़ाने की मांग

12-श्री कल्याण सिह दोहरे-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में प्रत्येक तहसील के राजस्व न्यायालयों में ग्राम सभाओं आदि के मुकदमों की सरकार की ओर से पैरवी के लिय आर0 पी0 एल0 की नियुक्ति की जाने

की व्यवस्था की गई है तथा उन्हें प्रति मुकदमे में मानदेय मात्र 10/- (दस रु0) दिया जाता है और एक मुकदमे के निस्तारण में कम से कम एक वर्ष का समय लग जाता है ? क्या यह सही है कि कुछ वर्षो पूर्व प्रत्येक आर0पी0एल0 को रु0 5000/- मासिक मानदेय दिया जाता था ? यदि हां, तो क्या सरकार आर0पी0एल0 मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां ।

प्रत्येक मुकदमे के निस्तारण में उसकी प्रकृति के अनुसार समय लगता है । शासनादेश दिनांक 17-11-99 द्वारा राजस्व न्यायिक वकीलों को कम से कम रु0 10/- तथा अधिकतम रु0 500/- फीस भुगतान किए जाने का प्राविधान है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13-डा0 विनोद तिवारी-

[4थे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

जनपद-गोरखपुर के बांसगांव स्थित बहिडांडी जूनियर हाई स्कूल तक के अवशेष पिच मार्ग के निर्माण की मांग

14-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय-बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में थाने से बहिडांडी जूनियर हाईस्कूल तक अवशेष पिच मार्ग के निर्माण के लिए धन स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त अवशेष निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित न होने के कारण ।

जनपद-गोरखपुर के बांसगांव ग्राम सभा-धोबौली से जिगना मार्ग पर पिच कार्य कराने की मांग

15-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड-बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में ग्राम सभा-धोबौली-गहरवार से जिगना मार्ग पर पिच कार्य के लिए धन स्वीकृत है ? यदि हां, तो पिच कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित न होने के कारण ।

विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद-बलिया में टडवामोड़ से रतसड़ तक जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग

16-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद-बलिया में टडवामोड़ से रतसड़ तक जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इस मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वर्ष 2003-04 में रू0 30.67 लाख की लागत पर स्वीकृत हुआ था । उक्त धनराशि तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता द्वारा अन्य कार्यों पर व्यय कर दी गयी जिसके लिए उनके विरुद्धविभागीय कार्यवाही विचाराधीन है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद-बलिया में पुर ग्राम की चकबन्दी कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण

17-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद-बलिया में पुर ग्राम की चकबन्दी कराये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन लम्बित है ? यदि हां, तो इसे पूरा कराने की कोई सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम पुर जनपद-बलिया में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-4(1) का प्रकाशन दिनांक 25-9-82 को हुआ था और ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है जिसे दिनांक 31 मार्च, 2009 तक पूर्ण कराने की कार्य योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-शाहजहांपुर के कतिपय क्षतिग्रस्त रास्तों का डामरीकरण कराये जाने की जानकारी

18-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड-जैतीपुर जनपद-शाहजहांपुर के गढ़ियारंगीन से खमरिया तथा गौहाख से सूरजपुर के आगे तक क्षतिग्रस्त रास्ते का डामरीकरण कराये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/124480/05 दिनांक 6-5-05 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां ।

विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की मांग

19-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-हसनगंज में मौहान-अजगैन मार्ग से निकलने वाला धोपा, सम्पर्क मार्ग 6.7 किमी0 का पेन्टिंग कार्य वर्ष 1999-2000 में कराया गया था, जो क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी तथा क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

जांच का प्रश्न नहीं उठता । मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद-उन्नाव के ग्राम सिकरी के किसानों की भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

20-श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-उन्नाव तहसील पुरवा, थाना असोहा के ग्राम सिकरी में किसानों की भूमि गाटा संख्या 299/2 व 299/4 व 299/10 व 299/11 व 300/1 व 300/2 व 300/4 पर अवैध कब्जा खाली कराने हेतु ए0 डी0 एम0 उन्नाव द्वारा दिनांक 9-4-2002 को आदेश दिये गये थे तथा तहसील के अधिकारियों तथा पुलिस की देखरेख में पैमाइश कराकर किसानों को कब्जा दिलाया गया था ? क्या यह सही है कि दबंग व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर पुन: कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाकर उक्त भूमि पर भूस्वामियों का कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-शाहजहांपुर के बहगुल नदी पर पैन्टून पुल बनवाये जाने विषयक पत्र

21-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर के बहगुल नदी पर खण्डहर व

टापर के बीच पैन्टून पुल बनवाये जाने हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी0 एम0/वि0 को0/एम0-/124487/05 दिनांक 6-5-05 प्रमुख सचिव/सचिव लो0 नि0 वि0 को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां ।

पैन्टून सेतु वर्ष 2006-07 की जिला योजना में प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-शाहजहांपुर में खमरिया से उमरसड़ मार्ग पर पी0डब्लू0डी0 द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी

22-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में खमरिया से उमरसड़ मार्ग पर पी0डब्लू0डी0 द्वारा कराये गये डामरीकरण व खमरिया नौबतिया के बीच बनाई गई पुलिया की जांच के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने अपने पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम-/124484/05 दिनांक 6-5-05 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव लो0 नि0 वि0 को आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच प्रमुख सचिव द्वारा करवा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि जांच करायी गयी है तो जांच आख्या क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(1) जांच के अनुसार मार्ग पर स्टोन बैलास्ट की मोटाई कार्य की तकनीकी रूप से स्वीकृत आगणन के प्राविधान के अनुरूप है एवं लेपन का कार्य संतोषजनक है ।

(2) इस मार्ग पर सबमर्सिबल वैन्टेड काजवे के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए ह्यूम पाइप की नीची पुलिया बनाई गई है, जो उचित है ।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तालाबों को पूर्ववत् स्थापित किये जाने विषयक जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तालाबों को पूर्ववत् स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-3/143041 दिनांक 3 जनवरी, 2006 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित गाटा संख्या-173 नहीं बल्कि 175 तालाब के खाते में अंकित है ।

ग्राम रघुनाथपुर की गाटा संख्या-69क व 69ख, 70, 66 व 74 का कृषि आवंटन व ज0वि0अ0 की धारा-123 (1) व 122बी (4एफ) के तहत विनियमितीकरण किया गया जिनके निस्तारण का वाद अपर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ व अपर आयुक्त (वित्तीय) इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है । कोई अवैध अतिक्रमण वर्तमान में नहीं हो रहा है ।

ग्राम सहसपुर की गाटा सं0 175 व 180 तालाब के खाते में अंकित है जिसका मत्स्य पालन पट्टा किया गया है । तालाब मौके पर सुरक्षित है । आवंटी के द्वारा तालाब के किनारे पेड़ लगाकर कब्जा किया गया है जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपर सिविल जज के न्यायालय विचाराधीन है । चूंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-शाहजहांपुर में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हुए ग्रामों का गजट कराने की जानकारी

24-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में जिन गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है क्या उन ग्रामों का गजट करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष गांवों की चकबन्दी कब तक करा दी जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद-शाहजहांपुर में जिन ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है उनमें धारा-52(1) के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु कार्यवाही की जा चुकी है ।

वर्ष 1963 से दिसम्बर, 2005 तक विभिन्न तिथियों में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शेष ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया दिनांक 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है ।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधायें प्रदान करने की मांग

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ता, समयमान वेतनमान, चिकित्सा एवं अवकाश जैसी सुविधायें प्रदान की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-अम्बेडकर नगर में गांव का नाम राजस्व अभिलेखों में परिवर्तित करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

26-श्री लाल जी वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बिना सक्षम आदेशों के ग्राम गुबांव परगना व तह0-टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर का नाम राजस्व अभिलेखों में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना सक्षम आदेशों के नाम परिवर्तित करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां ।

प्रकरण संज्ञान में आते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषी लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए दण्डित कर दिया गया है तथा अभिलेखों में उक्त ग्राम का नाम गुबांव अंकित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सहकारी चीनी मिल संघ की सेवाओं में राज्य सरकार का वेतनमान व सुविधाएं दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

27-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिलों में शुगर वेजबोर्ड के अन्तर्गत आने वाले पदों को उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ की सेवाओं में संविलियन कर राज्य सरकार का वेतनमान व सुविधायें दिये जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सुविधायें कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-शाहजहांपुर में राम गंगा नदी पर पैन्टून पुल का निर्माण कराने की जानकारी

28-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में राम गंगा नदी पर पैन्टून पुल का निर्माण कराने हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम/124486/05 दिनांक 6-5-05 प्रमुख सचिव/सचिव, लो0 नि0 वि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां ।

प्रस्तावित स्थल से लगभग 60 कि0मी0 अपस्ट्रीम तथा 40 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में पक्के सेतु निर्मित हैं तथा लगभग 20 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में ही राम गंगा नदी पर कोला गांव के पास पैन्टून पुल निर्मित है तथा इसी स्थान पर पक्का सेतु भी निर्माणाधीन है । प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम/डाउन स्ट्रीम में पक्के सेतुओं की उपलब्धता एवं प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रस्तावित स्थल पर पैन्टून सेतु बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

29-श्री राम हेत भारती-

[4थे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

सहकारी गन्ना विकास समितियों में पुराने ऋण की अदायगी हेतु एक मुश्त समझौता योजना क्रियान्वित किये जाने पर विचार

30-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुराने ऋण की अदायगी हेतु सहकारी समितियों एवं अन्य विभागों तथा बैंकों की भांति सहकारी गन्ना विकास समितियों में एक मुश्त समझौता योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

ऐसी कोई योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु विचाराधीन नहीं है ।

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं तद्विषयक नियमावली 1968 के अन्तर्गत सहकारी गन्ना समितियां पंजीकृत हैं । उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-127 में गन्ना समितियों में कृषकों के बकाया ऋणों पर मूलधन से अधिक ब्याज को माफ करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 14-04-1985 द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी गन्ना विकास समितियों के सदस्यों को रियायती उत्पादक ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । ऋण वसूली हेतु परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहकारी गन्ना विकास समिति का होगा ।

जनपद-कानपुर देहात के राजपुर के सभी समग्र ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की मांग

31-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-कानपुर देहात के राजपुर विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में घोषित समग्र ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी समग्र ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, किन्तु वर्ष 2004-05 में चयनित कुल 11 समग्र ग्रामों में से 3 ग्राम मुख्य सड़क से जुड़े हुए हैं । वर्ष 2005-06 में चयनित कुल 10 समग्र ग्रामों में से 4 ग्राम मुख्य सड़क से जुड़े हुए हैं । 01 ग्राम पी0एम0जी0एस0 वाई फेज-4 में स्वीकृत हैं, जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

32-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त] ।

जनपद-इलाहाबाद, ग्राम-हरीपुर के ग्राम समाज की जमीन को अभिलेखों में सुरक्षित कराने की मांग

33-श्री शिव चरन प्रजापति-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरीपुर पट्टी ब्लाक प्रतापपुर, तहसील-हंडिया, जनपद-इलाहाबाद में मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा मु0 सं0-775/448 सन् 1994-95 अन्तर्गत धारा 198(4) जमी0 अ0, इन्दर बनाम देवराज में दि0 21-9-1995 को दिये गये आदेशानुसार भूखण्ड संख्या-515 से देवराज का नाम खारिज करके ग्राम सभा में अंकित करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्राम सभा की उक्त जमीन को राजस्व अभिलेखों में सुरक्षित करवा लिया है? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांव की ग्राम समाज की जमीन को अभिलेखों में कब तक सुरक्षित करा दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद-सीतापुर में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण की जानकारी

34-श्री श्याम लाल रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत समग्र विकास योजना में वर्ष 2003-04 में चयनित ग्राम जहांगीरपुर तक पक्की सड़क से जोड़ने वाले प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है ।

निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद-सीतापुर के ग्राम हिम्मतनगर के सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराने विषयक जानकारी

35-श्री श्याम लाल रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड सिधौली में

वर्ष 2003-04 में समग्र विकास योजना में चयनित ग्राम हिम्मतनगर का प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद-सीतापुर ग्राम मुरहाडीह के प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग

36-श्री श्याम लाल रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड सिधौली में वर्ष 2003-04 में समग्र विकास योजना में चयनित ग्राम मुरहाडीह का प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद-सीतापुर में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित ग्राम बहटूटपुर के मार्गों के निर्माण की मांग

37-श्री श्याम लाल रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड पहला में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम बहटूटपुर में प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं । प्रश्नगत ग्राम बहटूटपुर न होकर समग्र ग्राम विकास योजना 2004-05 में चयनित ग्राम बहटूटपुर है ।

निर्माण कार्य स्वीकृत न होने के कारण ।

समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09 मार्च, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 12

सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं- पहली सूचना श्री सलिल बिश्नोई की विशेष आर्थिक क्षेत्र कानपुर में एस0ई0जेड0 योजना शीघ्र प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री राम नरेश यादव की आजमगढ़ जनपद में टोन्स नदी के पानी के प्रदूषण को समाप्त कराने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर की जल निकासी व्यवस्था सुचारु करने हेतु चार नालों के कच्चे भाग की इकसार चौड़ाई कराने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री ओमप्रकाश पाण्डेय की नगर पालिका परिषद् सुल्तानपुर क्षेत्र में 30 शैय्या आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों (सेवा निवृत्त) को वर्ष 1996 से सेवा तिथि तक चयन/ प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री सुखदेव राजभर की आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत लगभग तीन किलोमीटर लम्बे जीवली-देवगांव मार्ग का लेपन कराने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह की सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलवाने एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में तथा आठवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह जी की बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत आंवला-रामनगर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है । ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

विशेष आर्थिक क्षेत्र कानपुर में एस0ई0जेड0 योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल बिश्नोई-

[कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है । उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की सरकार के वादे के अनुरूप प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कुछ विशिष्ट स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई थी जिसमें कानपुर सबसे प्रमुख स्थान पर था किन्तु औद्योगिक विभाग की नीतियों के कारण अभी तक कानपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में एस0ई0जेड0 योजना प्रारम्भ नहीं हो पाई जिस कारण कानपुर का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास रुक गया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि कानपुर की उपेक्षा करके भदोही, मिर्जापुर, नोएडा आदि क्षेत्रों में एस0ई0 का कार्य अत्यन्त तीव्र गति से चल रहा है कानपुर का औद्योगिक विकास रुकने से लाखों मजदूर बेरोजगारी की कगार पर पहुंच कर भुखमरी का शिकार हो रहे हैं कानपुर लेदर गुड्स, पान मसाला, सब्जी मसाला, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री का बहुत बड़ा केन्द्र है जिससे तमाम विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है ।

कानपुर में एस0ई0जेड0 न बनने के कारण जहां बेरोजगारी बढ़ रही है वहीं विदेशी मुद्रा का भी नुकसान देश की अर्थ व्यवस्था को कमजोर कर रहा है ।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

आजमगढ़ जनपद में टौंस नदी के पानी को प्रदूषण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राम नरेश यादव-**

[मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में तमसा नदी जो टौंस नदी के नाम

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से जानी जाती है, इस समय बहुत ही प्रदूषित हो गयी है, इसका पानी बहुत काला हो गया है । जानवर भी पानी पीने से बीमार हो जा रहे हैं । मनुष्य तो उसके पानी का किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं । एक डर सा बना हुआ है । अहरौला से लेकर निजामाबाद एवं उसके आगे तक की स्थिति बहुत खतरनाक हो गयी है । किसी फैक्ट्री का रसायन युक्त पानी आ जाने से ऐसा हो गया है । ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है । प्रशासन की जानकारी में भी वहां के लोगों ने यह बात लाई है । मुझे बताया गया है कि कई मवेशी भी मर गये हैं । नदी के किनारे के लोग अपने मवेशियों को अब नदी में नहीं जाने दे रहे हैं, इस बात को लेकर जनता में काफी कष्ट एवं असन्तोष है ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आप अविलम्ब सरकार को जांच कराकर नदी के पानी के प्रदूषण को समाप्त कराने एवं जो भी फैक्ट्री या मिल मालिक दोषी हों उनके विरुद्ध कार्यवाही कराएं ।]

मेरठ महानगर की जल निकासी की व्यवस्था हेतु चार नालों के कच्चे भाग की इकसार चौड़ाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ महानगर के चार नालों की कच्चे भाग की इकसार चौड़ाई करके उसकी जल ग्रहण व जल प्रवाहन क्षमता बढ़ाना मेरठ की जल निकासी व्यवस्था एवं जल भराव रोकने के लिए बहुत आवश्यक हैं । इस सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव दिनांक 15-7-05 पर शासन ने आख्या मांगी थी, जो कि 3-10-05 को आई । पुन: शासन के निर्देश पर अन्तिम आगणन दिनांक 3-3-06 को नगर विकास को त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 20,14,500 रु0 का प्राप्त हो गया है । त्वरित आर्थिक विकास के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होकर यह कार्य यथाशीघ्र होने पर आगामी वर्षा ऋतु में मेरठ को जल भराव से बचाया जा सकेगा । इसमें 3 माह कार्य में लगेंगे ।

सम्पूर्ण मेरठ महानगर की जनता से जुड़ा विषय है । मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नगर पालिका परिषद्, सुल्तानपुर क्षेत्र में 30 शैय्या के आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[नगर पालिका परिषद्, सुल्तानपुर क्षेत्र में 30 शैय्या का आयुर्वेदिक चिकित्सालय किराये के मकान में पिछले करीब पन्द्रह वर्षों से चल रहा है । प्रत्येक तीन-चार वर्षों में उक्त चिकित्सालय का स्थान बदल जाता है । एक मकान से दूसरे किराये के मकान में चला जाता है । एक स्थान पर न होने के कारण मरीजों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । आयुर्वेदिक चिकित्सालय एक स्थान पर हो इसके लिए उचित होगा शासन द्वारा चिकित्सालय हेतु जमीन उपलब्ध कराकर आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनाया जाये जिससे कि मरीज अपना इलाज आसानी से एक स्थान पर करा सके ।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों (सेवा निवृत्त) को वर्ष 1996 से सेवा निवृत्ति की तिथि तक चयन/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री विद्यासागर गुप्ता-**

[अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को वर्ष 1999 एवं 2000 में (वर्ष 1996 से) चयन/प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया है, परन्तु सेवा निवृत्त शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को उक्त चयन/प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया । जिसके फलस्वरूप सेवा निवृत्त शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को आर्थिक एवं मानसिक कष्ट स गुजरना पड़ रहा है । इस सम्बन्ध में शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों द्वारा वर्ष 1996 से सेवा निवृत्ति की तिथि तक चयन/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु शासन से कई बार अनुरोध किया जा चुका है परन्तु इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है ।

2-अत: मैं इस प्रश्न के माध्यम से जनहित में शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों (सेवा निवृत्त) को वर्ष 1996 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक चयन/प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं ।]

आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत लगभग 3 कि0मी0 लम्बे जीवली-देवगांव मार्ग का लेपन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री सुखदेव राजभर-**

[मान्यवर, विधान सभा, लालगंज जनपद आजमगढ़ में जीवली-देवगांव मार्ग से ग्राम बछनी विकास खण्ड-लालगंज मार्ग जो लगभग 3 कि0मी0 है । यह जनहित में महत्वपूर्ण है । इस मार्ग पर लगभग 3-4 साल से गिट्टी फैलाकर छोड़ दी गई है । लेपन कार्य नहीं किया गया है । केवल गिट्टी फैलाई गई है । उसकी कुटाई भी नहीं हुई है । आम जनता को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है । इस बात को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी परेशानी एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मार्ग का तत्काल लेपन कराने की मांग करता हूं ।]

सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलवाने एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री महेन्द्र कुमार सिंह झीन बाबू-**

[जनपद सीतापुर मेरे क्षेत्र बेहटा विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम ग्वारी शमशेरीपुरवा, जब्बर पुरवा, चन्द्रसेनी में तथा देवरिया में विगत 8 माह से ट्रांसफार्मर फुंक (क्षतिग्रस्त) हो जाने से विद्युत आपूर्ति ठप्प है। वर्तमान समय में बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है ऐसी ज्वलंत समस्या के समाधान हेतु स्थानीय एवं जनपद स्तर पर अधिकारियों से बराबर आग्रह करने के बावजूद ट्रांसफार्मरों को बदलने का प्रयास नहीं किया गया जबकि शासन की मंशा है कि क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर 24 से 48 घण्टे में बदलना अनिवार्य है ।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अत: शासन से मांग करता हूं कि उक्त ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने के साथ-साथ लापरवाही करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी करने की मांग करता हूं ।]

बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत आंवला-रामनगर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[विधान सभा क्षेत्र आंवला जनपद बरेली में आंवला-रामनगर सड़क मार्ग बना है । रामनगर पर्यटक स्थल जैन मंदिर व महाभारत कालीन क्षेत्र है । यहां देश भर से जैन समाज के लोग आते हैं । आंवला-रामनगर मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है । यदि अभी ठीक नहीं किया गया तो आवागमन बाधित हो जायेगा ।

खेद का विषय है कि विकास के कार्यों में सरकार उदासीन है ।

अत: नियम 301 के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आंवला-रामनगर मार्ग को अविलम्ब ठीक कराया जाय ।]

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बिना अनुमति अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले ही कह दिया है कि यह लिखा नहीं जायेगा । आप बैठ जायें । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं-डा0 राधामोहनदास अग्रवाल, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, चौधरी महेन्द्र सिंह तथा श्री महेश त्रिवेदी । अब मैं मद संख्या-2 ले रहा हूं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या-1 में हमारी रुचि है कृपया उसको ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्नकर्ता ही नहीं है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं ?

श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अलीगढ़ के परिवाद संख्या-1438-2002 (अलीगढ़) में माननीय लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-27-2003, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-07-2004 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अलीगढ़ के परिवाद संख्या-1438-2002 (अलीगढ़) में माननीय लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-27-2003, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

† छापा नहीं गया ।

में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-07-2004 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(5) व (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण 2002-2003†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण 2002-2003 को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2006††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया गया था और दिनांक 16 फरवरी, 2006 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हो गया ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े होकर बोलते रहे जिसे लिखने की श्री अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी ।)

† छापा नहीं गया ।

†† छापी नहीं गयी ।

नोट-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी संशोधन विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन जो श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, सदस्य, विधान सभा, (गाजियाबाद) द्वारा श्री आर0 के0 शर्मा (रोहताश कुमार शर्मा) तत्कालीन थानाध्यक्ष एवं श्री जय किशोर त्यागी, सिपाही थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन की अवमानना के प्रश्न से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 08 मार्च, 2006 को हुई बैठक में दिनांक 09 से 17 मार्च, 2006 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :--

1-शनिवार, दिनांक 11 मार्च, 2006 को सदन का उपवेशन न हो ।

---

† छापा नहीं गया ।

2-दिनांक 09 से 17 मार्च, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

मार्च, 2006

09 गुरुवार	1-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा) । 2- वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
10-शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
11-शनिवार 12-रविवार 13-सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
14-मंगलवार 15-बुद्धवार	होली का अवकाश
16-गुरुवार	बैठक नहीं होगी ।
17-शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

सदन के शेष उपवेशनों तथा उनमें लिये जाने वाले कार्यों के बारे में सूचना यथासमय दी जायेगी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें सम्बन्धी जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

वाराणसी में बम विस्फोटों से हुई लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 की नियम 56.में परिवर्तित सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

कल जो आप सबने 311 की सूचना दी थी, जिसे दूसरे नियमों में परिवर्तित करते हुए चर्चा की मांग की गई थी, मैं माननीय टण्डन जी से आग्रह करूंगा कि वह चर्चा प्रारम्भ करें ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य अपने स्थान पर बैठ गये ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी, क्या आप चाहते हैं कि चर्चा के पहले विधेयक ले लिया जाय ? माननीय टण्डन जी यह चाहते हैं कि विधेयक चर्चा के पहले ले लिया जाय ।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, मैं चर्चा के लिए खड़ा हो गया हूं । पहले इस पर चर्चा हो जाये फिर उसके बाद यह विधेयक ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है ।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह की घटनायें हो रही हैं और उसकी पराकाष्ठा वाराणसी में हुई है । मान्यवर, बार-बार केन्द्र सरकार से भी यह सूचनायें आ रही थीं और राज्य सरकार के पास भी यह सूचना थी कि अयोध्या के बाद और जो हमारे आस्था के केन्द्र हैं उन स्थानों के ऊपर ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को चर्चा से पहले लिये जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमन्, मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, यह चर्चा शुरु की है नेता विरोधी दल ने और जाहिर है बहुत गम्भीर मामला है, नेता विरोधी दल के बाद नेता सदन को भी इस चर्चा में हिस्सा लेना है, मैं चाहता था कि मद संख्या 13 पर अंकित विधेयक पहले ले लिया जाय क्योंकि माननीय हुकुम सिंह जी को भी विधेयक पर बोलना है, उसकी अपनी गम्भीरता है, इसलिये पहले विधेयक ले लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक से इनका स्वार्थ सिद्ध होगा, इसलिए यह पहले विधेयक पेश करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय टण्डन जी, आपने चर्चा प्रारम्भ कर दिया है । इस पर आपका क्या कहना है ?

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, चर्चा अब शुरु हो गई है, पहले चर्चा हो जाये उसके बाद आप विधेयक ले लीजिएगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन्, मैं ऐसा इसलिये कह रहा था क्योंकि कार्यमंत्रणा समिति में ये 11 बजे के लिए तय हो

गया था । नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं की ख्वाहिश का एहतेराम करते हुए ही कल इसको सदन में नहीं लाया गया था और यह तय हो गया था कि इसको पहले कल 11 बजे रखा जायेगा । जब आपकी ख्वाहिश का इतना एहतेराम था तो कम से कम वह जो तय हुआ था कार्यमंत्रणा में उसका भी सम्मान होना चाहिए ।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति में ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि कब लेंगे, कल लेंगे सिर्फ यह तय हुआ था ।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है, इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की इच्छा थी कि कल ही इस विधेयक को पारित करा लिया जाय लेकिन आप सबका आग्रह था कि इसे आज न लेकर के कल ले लिया जाय । आपका यह भी दवाब था कि यह जो हमारी चर्चा है इसे आज न लिया जाय जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी आकर इसमें उत्तर देना चाहते थे, लेकिन आपने कहा इसे आज न लेकर कल लिया जाय ।

मुख्य मंत्री द्वारा वाराणसी की घटना पर चर्चा के पूर्व इस पर अपना वक्तव्य दिये जाने का अनुरोध

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, आप परम्परा भी जानते हैं । जब वक्तव्य देना है और वक्तव्य के बाद ही यह सब सवाल और चर्चा होती है । फिर वक्तव्य का महत्व क्या है ? कभी इस तरह की परम्परा नहीं रही है, पहले वक्तव्य दिया जायेगा, आपने आग्रह किया था, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय तिवारी जी से कहा था तो वक्तव्य के बाद उनका भाषण होना चाहिए ताकि जो हमारी कमजोरियां हैं वक्तव्य में या इनके सुझाव आये, अगर उनसे यह सहमत नहीं हैं तो उसके बाद ही चर्चा होनी चाहिए । माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले चर्चा हो जाये उसके बाद विधेयक आये । आज हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इतने विद्वान सदस्य बैठे हुए हैं, माननीय नेता विरोधी दल हैं, माननीय हुकुम सिंह, माननीय तिवारी जी, माननीय मौर्या जी सब बैठे हैं आखिर कैसे चलेगा यह सदन ? परम्पराओं से चलता है सदन । नैतिकता और परम्परायें, नियम और संविधान से उच्च हैं, आप इस पर विचार कर लीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन को किसी भी समय अपना वक्तव्य देने का अधिकार सदन में है, लेकिन यह प्रश्न चूंकि नियमों के अन्तर्गत उठाया गया था, इसलिये नियमों के अन्तर्गत यह उस पर चर्चा चाहते थे अगर आप वक्तव्य देना चाहते हैं तो आप कभी भी वक्तव्य दे सकते हैं । आपके वक्तव्य के बाद चर्चा हो जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, ऐसा नहीं है, वाराणसी में हमें सूचित किया गया था कि सदन मत चलने दें, आज भारत बन्द है । यहां लोकतन्त्र है, हम उसे मानते हैं । उसी वक्त मैंने टेलीफोन पर आपसे और माननीय

लाल जी टण्डन जी बात की थी । मैंने कहा था कि 11.00 बजे ठीक आज हम वक्तव्य देंगे । आपने सहमति दी थी ।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना वक्तव्य दीजिए, उसके बाद चर्चा होगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमने नियम-311 में सूचना दी है इसलिये इसे आप पहले ले लें और चर्चा करा दें।

***श्री हुकुम सिंह-**

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि नियम-311 में इसकी सूचना दी गयी थी और यह आग्रह किया गया था कि आज की सारी कार्यवाही स्थगित कर, नियमों को निलम्बित करके, इस पर चर्चा करायें। मान्यवर, पहले तो इस सूचना की ग्राह्यता की बात है, ग्राह्यता पर आप सुनेंगे । यह परम्परा रही है। यह चर्चा नियम-311 के अन्तर्गत ली जाए यह हमारी नोटिस का आधार है । इसलिए हमने आग्रह किया है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री पहले बोल लेंगे तो हमारे पास बोलने के लिए रहेगा क्या ? हम पहले अपनी वेदना को व्यक्त कर लें । नियम-311 में जो हमने विषय उठाया है उस विषय की ग्राह्यता पर पहले सुन लें । हम इसे कल कहना चाहते थे, आज के लिए यह स्थगित हो गया था । पहले माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेतागण बोल लें उसके बाद माननीय नेता सदन जो कुछ कहना चाहें, कह लेंगे ।

मान्यवर, आपने जो एक बात कह दी उससे थोड़ा भ्रम उत्पन्न हो रहा है, आपने कह दिया कि वक्तव्य कभी भी हो सकता है । आपने नेता विरोधी दल को बुला लिया है, उन्हें आप बोल लेने दें ।

***श्री प्रमोद कुमार-**

मान्यवर, कल कांग्रेस पार्टी के सदस्य चाहते थे कि वाराणसी की घटना पर सदन में चर्चा हो जाये परन्तु न जाने किन कारणों से सदन में चर्चा नहीं होने दी गयी । शायद बन्द का हवाला देकर यह बात कही गयी । मान्यवर, हमारा किसी पर आरोप नहीं है । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप तो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं । आप परम्पराओं को जानते हैं । कभी भी वक्तव्य से पहले भाषण नहीं होता है । दुनिया भर में जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है, आप देख लें, यही परम्परा है । मैं परम्पराओं को तोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कोई सुने या न सुने ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपनी बात कह रहा हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप जिस तरह से कमेन्ट करते हैं, मैं उसी तरह से कमेन्ट कर दूं तो मुश्किल हो जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी बात कह रहा हूं आप मानें या न मानें ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जो वाराणसी की घटना है, वह एक संवेदनशील मामला है, जरूर पूरी बात सामने आनी चाहिए । क्योंकि यह राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है । मान्यवर, कल जो बात हुई थी इसी शर्त पर बात आगे बढ़ी थी कि आज इस पर चर्चा न हो । नेता सदन ने उसी समय आपके कक्ष में फोन करके अपनी बात आपसे कर ली थी । जैसे ही नेता सदन का वक्तव्य आ जाये, उसके बाद हम लोग अपनी चर्चा रख लें । अगर कोई बात वहां कही जाये तो उसका पालन किया जाये । मान्यवर, क्या कारण है कि इस पर चर्चा नहीं हो रही है ? माननीय अध्यक्ष, यदि बैठ कर कोई बात तय करते हैं तो उसका पालन होना चाहिए । मान्यवर, हमें शंका है कि सदन में फिर अव्यवस्था न हो जाये क्योंकि ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है ।

कल जो आपके कक्ष में बैठकर बात हो गयी थी कि मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देंगे फिर आदरणीय टण्डन जी, मौर्या जी और हम लोग बोल लें । यह न हो कि फिर कोई बहाना बनाकर सदन को अव्यवस्थित किया जाये तो ऐसी स्थिति में उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो इस तरह की बात कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि वाराणसी की घटना पर आज यहां चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय टण्डन जी, माननीय हुकुम सिंह और माननीय प्रमोद तिवारी को सुना । नेता सदन को पूरा अधिकार है, वह अपना वक्तव्य दे लें उसके बाद चर्चा होगी । आप अपना वक्तव्य दें।

दिनांक 07 मार्च, 2006 को वाराणसी में हुए बम विस्फोटों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम 07 मार्च, 2006 को वाराणसी में हुए बम विस्फोटों के सबन्ध में एक वक्तव्य देने के लिए खड़े हैं ।

दि0 07 मार्च, 2006 को शाम 6.20 बजे वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मन्दिर में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 08 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 48 व्यक्ति घायल हुए । प्रथम बम विस्फोट के बाद शाम 6.35 बजे वाराणसी के कैन्ट रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय के सामने दूसरा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 06 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 57 व्यक्ति घायल हुए । मृतकों में एक महिला और एक डेढ़ वर्ष की बच्ची भी है । इसके तत्काल बाद एक तीसरा जिन्दा टाइम बम पुलिस ने गोदौलिया के पास बरामद करके निष्क्रिय कर दिया था । हम मृतकों के परिवारीजनों और संबंधियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं ।

हमने घटना के तुरन्त बाद मृतकों के परिवारीजनों को 5-5 लाख रुपये, गम्भीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये एवं सामान्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की धनराशि की सहायता की घोषणा की थी । यह सहायता सभी घायल व्यक्तियों को और 08 मृतकों के परिवारीजनों को, जिनकी पहचान हो गयी थी, उसी दिन दी जा चुकी है ।

घटना के तुरन्त बाद पूरे प्रदेश में रेड एलर्ट की घोषणा कर वाराणसी जनपद की सीमाओं को सील कर दिया गया । वाराणसी जनपद के लिए अतिरिक्त पुलिस तथा अर्द्ध सैनिक बलों को तत्काल भेजा गया । इसके साथ ही लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के साथ प्रमुख सचिव गृह श्री आलोक सिन्हा, डी0जी0 पी0ए0सी0 श्री बुआ सिंह, ए0डी0जी0 लॉ एण्ड आर्डर श्री पलनिवेल, ए0डी0जी0 रेलवे श्री भल्ला रात 9.20 बजे वाराणसी पहुंचे । लोक निर्माण मंत्री और अधिकारियों की टीम के पहुंचने तक स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था । इस घटना की जांच के लिए एस0टी0एफ0 की टीम उसी दिन वाराणसी पहुंच गई है तथा जांच भी प्रारम्भ कर दिया है ।

घायलों में से 48 घायलों को सर सुन्दर लाल चिकित्सालय बी0एच0यू0 और 28 व्यक्तियों को शिव प्रसाद गुप्ता चिकित्सालय, कबीर चौरा, वाराणसी, 10 घायल व्यक्तियों को हैरिटेज अस्पताल, 09 घायल व्यक्तियों को सिंह रिसर्च सेन्टर, मलदहिया, वाराणसी एवं 07 घायल व्यक्तियों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया था ।

लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव और उनके साथ गये अधिकारियों की टीम ने सभी घायल व्यक्तियों की अच्छी से अच्छी मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की तथा वाराणसी में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए सभी वर्गों के लोगों का सहयोग लिया ।

घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और उनकी मदद करने में जिला प्रशासन को वाराणसी के तमाम स्वयंसेवी संगठनों, छात्रों, व्यापारियों और सभी धर्मों तथा मीडिया के लोगों ने अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया ।

08 मार्च, 2006 को हम वाराणसी गये । हमारे साथ माननीय बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री श्री राम गोविन्द चौधरी, माननीय राज्य मंत्री सार्वजनिक उद्यम श्री वीरेन्द्र सिंह तथा माननीय राज्य मंत्री नगर विकास श्री नारद राय उपस्थित थे । वाराणसी जाते ही हमने संकट मोचन मन्दिर, काशी विश्वनाथ मन्दिर एवं ज्ञानवापी में श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत दे दी । वाराणसी भ्रमण के दौरान सभी स्थानीय समुदायों एवं धर्म गुरुओं की बैठक में मुझे आश्वस्त किया गया कि वे सब प्रकार की आतंकी घटनाओं की निन्दा करते हैं तथा आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होकर जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं ।

हमने दिनांक 08-03-2006 की सुबह ही वाराणसी में पहुंचकर बम विस्फोट के सभी घटना स्थलों का निरीक्षण किया तथा अस्पतालों में घायलों से मिलकर उनके उपचार एवं चिकित्सा की पूछताछ की । हमने सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिया कि हर हालत में इस घटनाक्रम के बारे में पूरी छानबीन कर दोषियों को ढूंढ निकाला जाय तथा उन्हें किसी भी हालत में बख्शा न जाय ।

08 मार्च को ही जम्मू-कश्मीर पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त अभियान में लखनऊ के समीप एक आतंकवादी सालार उर्फ डाक्टर को मार गिराया गया । सालार उर्फ सलीम पाकिस्तानी नागरिक नहीं था बल्कि आई0एस0आई0 प्रशिक्षित एक बहुत ही कट्टर आतंकवादी था जो पहले जम्मू-कश्मीर इलाके का प्रभारी था और इस समय उत्तर प्रदेश में होने वाली लश्कर-ए-तोएबा की सारी गतिविधियों का प्रभारी था । इस बात की विवेचना की जा रही है कि वाराणसी में दिनांक 07 मार्च, 2006 को हुये बम विस्फोट में इस आतंकवादी का कितना हाथ था ।

07 मार्च की मध्य रात्रि को ही कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल ने घटनास्थल का दौरा किया । हम श्रीमती सोनिया गांधी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वाराणसी की इस घटना पर पूरी तरह

सकारात्मक एवं सहयोगात्मक रुख अख्तियार किया और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये केन्द्र और राज्य के द्वारा मिलकर [illegible] बात कही । इसके लिये भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं ।

यह प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी की जनता ने इन विस्फोटों के बाद बहुत संयम से काम लिया और कहीं भी साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं दिया । यद्यपि कुछ लोगों ने आतंकी घटना को भी साम्प्रदायिक नजरिये से देखने की कोशिश की और साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन वाराणसी की जनता ने इस तरह के लोगों को पूरी तरह नकार दिया ।

आतंकवाद एक गम्भीर समस्या है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है इसको किसी एक जगह या एक राज्य की समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता है । मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता का आह्वान करता हूं कि वह संयम और धीरज से काम लें, साम्प्रदायिक सद्भाव को बरकरार रखें और आतंकवादी गतिविधियों का एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब दें । मैं माननीय सदन का आह्वान करता हूं कि ऐसी घटनाओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है ।

हम इस अवसर पर वाराणसी के छात्रों, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सभी धर्म गुरुओं, व्यापारियों और मीडिया के लोगों की सराहना करते हैं तथा उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सकारात्मक सहयोग देकर हमारी गंगा-जमुनी तहजीब की रक्षा की और पूरी तरह साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखा ।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित वाराणसी में बम विस्फोटों से हुई लागों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना एवं मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा

***नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-**

मान्यवर, वाराणसी में जब यह घटना घटी है, उस समय कोई पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था । बार-बार यह सूचना आने के बाद, कि वहां जो प्रमुख स्थान है, धार्मिक स्थान हैं, वह आतंकवादियों के निशाने पर हैं । यह भारत सरकार ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि उन्होंने कई बार सूचना यहां भेजी, यहां यह भी बात है कि सूचनायें इनको प्राप्त हुईं लेकिन उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी कि मंदिरों में कहां क्या किया जायेगा ? हमारे जो डी0जी0पी0 हैं, मैं कल टेलीविजन देख रहा था, वह कह रहे थे कि यहां इतने मन्दिर हैं, सबकी व्यवस्था कैसे की जा सकती है ?- तो फिर छोड़ दीजिये, आतंकवादियों के हवाले कि वह इस देश की संस्कृति के प्रतीक जो स्थान हैं, उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दें और पुलिस यहां पर ताली बजाती रहे कि यह बहुत अच्छा हुआ । मान्यवर, क्या हो रहा है, आखिर कोई जिम्मेदार ठहराया जायेगा कि नहीं ? किसी के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि नहीं । सरकार को मैं नहीं कहता लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो है कि प्रशासन को इन बिन्दुओं के ऊपर...।

(इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, आखिर किसी की जिम्मेदारी तो है कि ऐसी घटना होती जाय और कोई जगह प्रबन्ध न हो । इनके लिए रास्ते खुले हों और भी ज्यादा होता जाय । पुलिस बल की यहां कमी है, जाहिर है कि कमी है तो केन्द्र सरकार अगर एन0एस0जी0 या केन्द्रीय बल की सहायता उत्तर प्रदेश को देना चाहती है तो इसे लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । लेकिन उन जगहों को बचाना और लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ को रोकना है । आज सारे देश में और कल पूरा प्रदेश जिस तरह से बन्द रहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात सच है कि लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, इसलिए एक छोटी सी काल देने के बाद लोगों ने स्वयं कारोबार बन्द रखे, क्योंकि उनके मन में भय है, वह सोचते हैं कि कैसे होगा, हमारा जीवन सुरक्षित है या नहीं है । मान्यवर, अभी लखनऊ जलते-जलते बच गया, आग जलती रही, लोग दंगा करते रहे लेकिन यहां के अधिकारियों में से कोई भी पुलिस को निर्देश देने तक के लिए नहीं था कि इनको कैसे रोका जाए ? पुलिस खड़ी है, लोग लूट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आखिर यह क्या स्थिति प्रदेश की हो रही है ? मुख्यमंत्री जी आप इसे कंट्रोल करें, इस पर नियंत्रण करें । इस बात को यदि आप आलोचना मानते हैं, बुरा मानते हैं, तो भी इसे बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, मैं चाहता हूं कि कमियां आपके समाने आयें ताकि आप उन्हें दुरुस्त कर सकें । यह सूचना मिलने के बाद कि प्रदेश आतंकवादियों की गिरफ्त में आ गया है, यहां पर कई तरह के फोर्सेज काम कर रहे हैं, एक तरफ नक्सलवाद है, आतंकवाद है, अगर आपके शब्दों में विदेशी आतंकवादी ही कहें तो भी देश के अन्दर आतंकवादी हैं । इन सबसे मिलकर जो हालत बन रही है, आप इसे साम्प्रदायिक कहें तो कहें लेकिन प्रदेश में जब यह सूचनाएं आ रही हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का भी आई0एस0आई0 से सम्बन्ध है और उसका यदि कोई खण्डन नहीं करता है तो लोगों के अन्दर यह बात पहुंचती है कि अगर इसका खण्डन नहीं हुआ है तो यह बात सत्य है । इसी तरह मान्यवर, दंगे हो रहे हैं और दंगों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। आखिर क्यों हुआ लखनऊ का दंगा ? और वाराणसी में तो जो हालात हैं, जो हमारे मित्र उधर बैठे हैं, वह भी देख करके आये हैं कि किस प्रकार से चीथड़े तीस-चालीस फिट ऊपर उठकर दीवार से चिपक गये हैं । कितना भीषण था यह विस्फोट, मैंने चेतावनी दी थी कि प्रदेश में आर0डी0एक्स0 का भण्डार है, लेकिन इसमें तो उससे भी ज्यादा विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल हुई है, इसमें आर0डी0एक्स0 नहीं इस्तेमाल हुआ है । हम कहां जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी कहां है ? क्या हम इस माहौल में जीवित रहेंगे जहां रोज भय का वातावरण बना रहे ? कितने लोगों को जीवन का खतरा है, आप जानते हैं, लेकिन क्या आपके सुरक्षा अधिकारी इसके लिए सचेत हैं ? मैं यह नहीं कहूंगा कि वह बारात में गये थे लेकिन जो समाचार-पत्रों में आ रहा है कि वहां का सारा का सारा प्रशासन आपके यहां विवाह में शामिल था । अगर यह बात सही है तो किसी एक-आध को ही वहां पर रहने देना चाहिए था, जो कि परिस्थितियों से निपट सके । लेकिन बिल्कुल कोलैप्स था । हमारे सूचना तंत्र की दयनीय स्थिति हो गयी । अगर उस समय पर यह सूचना दी गयी होती कि यहां कुछ ऐसा होने वाला है तो शायद अधिकारी वहां से नहीं जाते और ठीक से व्यवस्था कर देते लेकिन सूचना नहीं मिली। मैं मानता हूं कि आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या है । हम सबको मिलकर काम करना होगा, उसे रोकना होगा लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति चाहिए । इस समय आतंकवादियों की नजर में उत्तर प्रदेश एक साफ्ट स्टेट है, जहां पर वह जैसा चाहें कर सकते हैं । यह भावना मिटनी चाहिए और यह लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कठोर शासन है जो यहां आयेगा वह मारा जायेगा, जीवित नहीं जायेगा । अब कोई एक अगर मार दिया गया, अभी

उसकी कोई हिस्ट्री पता नहीं लगी कि वह आतंकवादी है भी या नहीं । चूंकि सरकार का बयान है कि वह आतंकवादी है और उसके बारे में कुछ तथ्य भी दिये गये हैं तो मैं मान लेता हूं कि वह आतंकवादी था । हमें बहुत सावधानी के साथ इस प्रदेश की स्थिति को संभालना होगा क्योंकि एक तरफ दंगे हो रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकवादी घटनायें हो रही हैं, तीसरी तरफ राजनीतिक घात-प्रतिघात हो रहे हैं। सदन के अन्दर कुछ और बाहर कुछ कहने वाले आपके मित्र हैं, वह स्थिति और बिगाड़ रहे हैं ।

यह सदन में कुछ कहेंगे, बाहर कुछ कहेंगे और राजभवन में जाकर कुछ कहेंगे और प्रेस के सामने कुछ कहेंगे । मैं तो यह कहूंगा कि 'जिनके हों दोस्त आप जैसे तो दुश्मन आसमॉ क्यों हो ।' अगर ऐसे लोग मित्र रहे तो आसमॉ के दुश्मन होने की जरूरत ही नहीं है, वही काफी हैं । (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि नाम ले लीजिए) नाम लेने से क्या फायदा ? सब समझ रहे हैं । इतनी गम्भीर घटना हो जाए उसके बाद यह कहा जाए कि समाजवादी पार्टी और बी0जे0पी0 मिलकर यह काम करा रहे हैं तो इससे बड़ी अपमानजनक बात दूसरी नहीं हो सकती । हम उनमें से नहीं हैं जो इस देश में आग लगाने में विश्वास करते हैं । न हम देश का लोकतंत्र खत्म करने में विश्वास करते हैं । हम एक लोकतांत्रिक परम्परा के अन्तर्गत जो शासन की सीमा है उसको केवल रखना चाहते हैं। जो विपक्ष की सीमा है, वह अपनी सीमा में रहे । हम यहां कोई अपशब्द कहने के लिए अधिकृत नहीं हैं तो किसी की खुशामद करने के लिए अधिकृत नहीं हैं । जो अच्छा है, वह अच्छा है, जो गलत है वह गलत है । आप वहां गये यह पहली बार हुआ कि कहीं ऐसा हादसा होने के बाद वहां पहुंचे । लेकिन वाराणसी की घटना को गम्भीरता के साथ लेना चाहिए । क्योंकि अभी यह योजनायें बड़ी गम्भीर रूप ले रही हैं । घटनायें घटती चली जा रही हैं । तो मान्यवर, यही कहना चाहता था ग्राह्यता पर कि यह अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी यह वक्तव्य के ऊपर चर्चा है ?

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, जो वक्तव्य दिया है मैंने उसी के ऊपर कहा है वक्तव्य से हटकर कुछ नहीं कहा है। जो इन्होने कहा है और इसमें नही है उसे मैंने कहा है कि जोड़ लें ।

मान्यवर, प्रदेश की स्थिति सुधारने के लिये और आतंकवाद से प्रदेश को मुक्त करने के लिये एक कार्य योजना बननी चाहिये और उस कार्य योजना में सभी की सहभागिता हो उसके बाद ही हम प्रदेश में इस आतंकवाद को रोक पायेंगे अन्यथा राजनीतिक लाभ और हानि के आंकड़ों को यदि देखेंगे तो स्थिति बिगड़ती चली जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां यह दुखद घटना घटित हुयी है वहां से मैं विधायक हूं । मुझे आप अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आप कृपा करके मुझे बोलने का अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष-

पहले मैं मौर्या जी को बुलवा दूं उसके बाद आपको मौका मिलेगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरे लिये दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां यह घटना घटित हुयी है वहां से मैं जन प्रतिनिधि हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप इसके बाद बोल लीजियेगा । तिवारी जी के बोलने के बाद आप बोल लीजियेगा । आपको बुलवाऊंगा, नेता लोग बोल लें ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, यह वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के इस बात का लिहाज रखना चाहिये । माननीय नेता विरोधी दल उन्हीं के दल के हैं अगर किसी अन्य दल के होते तो हो सकता है कि अपनी बात कहते ।

श्री अध्यक्ष-

आपके क्षेत्र की बात है आपको तिवारी जी के बाद बुलाऊंगा । आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको बुलाऊंगा ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, बनारस जिले का तो मैं भी हूं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं खड़ा ही रहूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपने मुझे नियम 311 की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैं अपना विरोध दर्ज करा रहा हूं । मैं खड़ा रहूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको बुलवाऊंगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

यह परंपरा रही है कि जहां की घटना होती है वहां के जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको बुलवाऊंगा ।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हालत है उसको देखें । लखनऊ के हादसे की चीख अभी शांत नहीं हुयी थी कि बनारस में बड़े पैमाने पर हादसे हुये जिसके नाते लखनऊ और बनारस में लगभग 30 जानें गयी हैं और 150 लोग हताहत हुये हैं । यह एक सोचनीय विषय है इस पर सदन को बहुत गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय यह बहुत ही संवेदनशील मामला है । आज यह मामला केवल बहस का नहीं है, आज यह मामला केवल चर्चा का नहीं है बल्कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि सदन को बहुत ही गंभीर होकर इस सारी वस्तुस्थिति पर नजर रखते हुये कोई निर्णय लेना होगा ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक दल के नेता बोल रहे हैं और यह खड़े हैं । क्या मान्यवर, यह उचित है ? अपने दल को नियंत्रित करें । क्या यह अच्छी परंपरा पड़ रही है कि एक दल के नेता जब बोल रहे हों तो बीच में व्यवधान उत्पन्न किया जाय ?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैं विरोध दर्ज करा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, आपको मौका मिलेगा आप बैठ जायं ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपको नियंत्रित करने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं । आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा आप बैठ जायं ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी अपने आसन पर खड़े रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं । आप मंत्री भी रहे हैं । आप संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं । इस सूचना पर नियम 311 के तहत कुछ लोगों ने नोटिस दिया है व मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सब पर चर्चा हो रही है । इस पर पहले दलीय नेता बोल लें उसके बाद चूंकि आप यहां के जनप्रतिनिधि हैं इसलिये आपको बोलने का अवसर मिलेगा । कृपया बैठ जायं ।

***श्री श्याम देव राय चौधरी-**

मैं भी इस सदन का पुराना सदस्य रहा हूं । वरिष्ठता हो सकती है लेकिन यह परम्परा में रहा है । अभी मुख्यमंत्री जी ने परम्पराओं की बात कही है तो यह परम्परा रही है कि जिस सदस्य के क्षेत्र की घटना होती है उसको बोलने का अवसर दिया जाता है । यह कहीं भी नियमों में नहीं है कि उसको दलीय नेताओं के बाद बोलने का अवसर मिलेगा । मैंने भी इस पर अलग से सूचना दी है । इसलिये मुझे इसकी ग्राह्यता पर बोलने का अवसर मिले ।

श्री अध्यक्ष-

जब मैं कह रहा हूं कि आपको अवसर मिलेगा तो मिलेगा । लेकिन अवसर कब मिलेगा यह तय करने का अधिकार मेरा है । मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि तिवारी जी के बाद आपको बोलने का अवसर मिलेगा । आप कृपया बैठ जायं ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी अपने आसन पर खड़े रहे ।)

एक दल विशेष के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध लॉबी एवं गलियारे में लगाए गए नारों एवं आक्षेपों पर कड़ी कार्रवाई किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । सामान्यत: मंत्री व्यवस्था का सवाल उठाते नहीं हैं लेकिन जब परम्पराएं टूट रही हों तो ऐसी परिस्थितियों में व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ता है । एक परम्परा सी बन गई है कि कोई इस पीठ पर आरोप लगा दे, पीठ के आदेशों को न माने कल जो लॉबी में हुआ जिस तरह से पीठ के लिए नारे लगाए गए यह निन्दा की बात है । यदि पीठ के प्रति विश्वास नहीं रहेगा तो सदन में विश्वास कैसे रहेगा ? अभी तक परम्पराएं रही हैं कि अध्यक्ष पीठ के प्रति कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए गए लेकिन कल जिस तरह से व्यक्तिगत आरोप लगाए गए वह निन्दा की बात है । अगर इस तरह से ढिलाई दी गयी तो पीठ कमजोर होगी इससे न तो नियमावली रह जायेगी न संविधान रह जाएगा । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यवाही की जाये । सीमाओं को तोड़ना किसी भी तरह उचित नहीं है । हम लोग भी सीनियर हो गए हैं । अध्यक्ष की राय से हमारी राय भिन्न हो सकती है लेकिन पीठ की राय मानी गयी है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था करिए जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैंने कौन सा आरोप लगाया है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुखदेव राजभर-

जब नरेश अग्रवाल जी ने स्वयं कहा कि मंत्रीगण व्यवस्था का सवाल नहीं उठाते तो उनको तुरन्त रोका जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने खुद ही एडमिट किया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैंने कहा है कि मंत्रियों को व्यवस्था का प्रश्न न उठाने की परम्परा रही है नियम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा में एक नई समिति एथिक्स समिति बनाई गई है जो विधायकों के आचरण के बारे में जांच करेगी और सदन के पटल पर अपनी रिपोर्ट रखेगी और कार्यवाही की संस्तुति करेगी । मैं इन मामलों में विचार कर लूंगा अगर आवश्यकता होगी तो एथिक्स कमेटी को संदर्भित कर देंगे ।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मैं विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायं ।

नियम-311 की नियम 56 में परिवर्तित वाराणसी में बम विस्फोटों से हुई लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना एवं मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 और माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में आपने हमको बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद । मान्यवर, अभी पौने बारह हो रहा है, इस बात का ध्यान रखियेगा कि मुझे अब बोलने का समय मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

आधे घण्टे से तो आपको बोलने का समय मिला है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए पूरे सदन से और विशेषरूप से नेता सदन से निवेदन इस बात का करना चाहता हूं कि एक हफ्ते के अन्दर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मे 3 मार्च को बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई और उसके 3-4 दिन बाद यानि 7मार्च को बनारस में जो बम काण्ड हादसा हुआ और दोनों जगह कुल मिलाकर 30 लोग मारे गये और लगभग 150 लोग हताहत हुए । मान्यवर, सबसे बड़ी चीज यह कि इससे सन्देश क्या प्रदेश में जा रहा है । लगता है कि पूरा प्रदेश आतंकवाद का पर्याय हो गया है, जंगलवाद का पर्याय हो गया है । मान्यवर, सबसे बड़ी बात इन दोनों घटनाओं में अभी तक एक भी अपराधी, अराजक तत्व या शरारती ताकतें प्रशासन द्वारा गिरफ्तार नहीं की गई हैं, कोई पकड़ में नहीं आई हैं और मान्यवर, सबसे बड़ी

चीज यह कि इन घटनाओं से सन्देश यह जा रहा है कि बनारस जैसी शांति की नगरी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब कोई सुरक्षित नहीं रहेगा तो प्रदेश की जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है । अगर यह बम धमाका संकट मोचन मन्दिर, कैंट स्टेशन बनारस मे हो रहा है और पूरे लखनऊ में अफरा-तफरी का माहौल हो रहा है तो यह विषय मैं-मैं, तू-तू का नहीं है, सत्तापक्ष और विपक्ष का नहीं है । यह एक चिन्ता का विषय है और निश्चितरूप से सदन को इस पर गम्भीरता से चिन्ता करना चाहिए । मान्यवर, आज यह कहकर कि इसमें किसी एक वर्ग या सम्प्रदाय के लोगों का हाथ है, काम नहीं चलेगा । अगर इस तरह से इसको हिन्दू और मुसलमान के नाम पर बांटते रहेंगे तो हमारा समाज बंटता रहेगा । कोई भी अपराधी, अपराधी होता है और किसी एक अपराधी के नाम पर किसी एक समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता । जिस तरह से हमारे बगल में बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी जो पूरे अल्पसंख्यक समाज पर एक चांटा था । मान्यवर, यह जो लखनऊ में हादसा हुआ उसमें दो हिन्दू मरे तो दो मुसलमान भी थे । अगर इसमें मुस्लिम समुदाय का हाथ था तो उसमें मुसलमान क्यों मारे गये ? आज आपको देखने का नजरिया बदलना होगा । अपना ऐनक और चश्मा बदलना होगा । अपराधी तो अपराधी होता है । हिन्दु मुसलमान के नाम पर बांटकर समाज को अलग-थलग करना चाहते हैं । मान्यवर, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का नेता होने के नाते अन्य दलों के सदस्यों को भी इस बात के लिये आगाह करना चाहता हूं कि यहां पर जो भी चुनकर आता है, किसी एक जाति और धर्म के वोट पर नहीं आता है । पूरे समाज का वोट उसको मिलता है । इसलिये पूरे समाज की जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कहीं पर कोई भी हादसा होता है तो उसमें जो भी वहां पर मौजूद होगा वह मारा जाता है । हिन्दू भी मारा जाता है और मुसलमान भी मारा जाता है । इसलिये हमको पहले हिन्दू मुसलमान की जाति पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए । इस तरह से समाज बंटता है, प्रदेश बंटता है और देश बंटता है और इसी के साथ ही साथ इन्सानियत का कत्ल-ए- आम होता है । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाज में हमको उनके दुःख में शरीक होने की आवश्यकता है । उनके आंसू पोछने की आवश्यकता होती है । उस समय आंसू न पोंछकर और आग लगाने की कोशिश करते हैं । मान्यवर, यह गलत चीज है । इसलिये हमें चिन्तन करना चाहिए जिन लोगों ने लखनऊ में घटना की, चाहे कोई अराजक तत्व हों, हिन्दू हों या मुसलमान हों उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए ।

(मेजें थपथपाई गईं)

बनारस में जो घटना हुई यह हमारे लिए सबसे चिन्ता की बात है । सबसे पहले सवा 6 बजे पर मान्यवर, संकटमोचन मन्दिर में घटना हुई अगर प्रशासन मुस्तैद होता, तो पहली घटना हुई उसको तो माना जा सकता है, घटना कहीं भी घट सकती है लेकिन उसके ठीक 15 मिनट के बाद कैन्ट स्टेशन पर हादसा होता है एक हादसे के बाद दूसरा हादसा, इसका मतलब है प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी । प्रशासन मुस्तैद होता तो एक घटना होती है लेकिन दूसरी घटना घटी, प्रशासन इसको रोकने में कामयाब हो जाता । अगर मुस्तैद होता । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को गम्भीर होना चाहिए कौन से लोगों के कारण यह घटना घटी । घटना करने वाले भाग गए । पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए । घटना किसने की वहां तक तफ्तीश नहीं हुई । सबसे अधिक प्रशासनिक अधिकारी चाहे जिला प्रशासन के हों, चाहे पुलिस प्रशासन के हों उनकी कमजोरी

आती है । जिसकी गलती से यह हादसा होता है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कितने मर गए । कितने नहीं मरे, बात इसकी नहीं है । 20 मरे, 26 मरे, 30 मरे बात इसकी नहीं है । यह घटना क्यों घटी इसके लिए प्रशासन को गम्भीर होना पड़ेगा । यह आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है। इस पर हम सब लोगों को चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों बहुत गम्भीरता से सदन के संज्ञान में लाना चाहिए था । इस तरह के हादसे न हों इसके लिए सदन गम्भीर हो । चाहे जितने बड़े लोग हों उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । मृतक को पांच लाख का मुआवजा दे दिया । एक लाख मुआवजा घायलों को दे दिया । हताहतों को 50 हजार मुआवजा दे दिया गया । क्या इससे जान वापस आ जायेगी । इससे जो परिवार लावारिस हो जाते हैं ।

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यह गम्भीर विषय है । हमारे प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक हैं इस बात को सुनिश्चित करें किन-किन अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी से घटना घटी । वह चाहे बनारस की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो । सात तारीख को घटना होने से बच गई । वरना यहां जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग फिर से पूरे प्रदेश को तबाह करने की जुर्रत करते । उनकी कोशिश नाकामयाब हुई । इसलिये मैं कहना चाहता हूं पूरे प्रदेश में नेता सदन आप तो समाजवादी अखाड़े के नेता हैं आपसे लोगों की अपेक्षा है कि लोगों को न्याय मिलेगा । लेकिन जिस तरह से आज गुण्डे आतंकवादियों ने पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है उसको देखने की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष-

10 मिनट से ज्यादा हो गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद-

ये क्या बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप शान्त रहें, माननीय राम विशुन आजाद जी ।

श्री राम विशुन आजाद-

ये क्या बोलेंगे, यह तो वे लोग हैं...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी, आप बैठिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं माननीय सदस्य को बहुत संयम के साथ कह देना चाहता हूं कि वह भी संयम बनाये रखें । मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि तीन बार हमारी सरकार थी, एक भी हिन्दू-मुस्लिम दंगा कभी नहीं हुआ और कहीं भी इस तरह की एक भी लड़ाई नहीं हुई, इसलिये हम बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आप जल्दी खत्म करें, 10 मिनट बोल चुके हैं, 5 मिनट पहले हो गया है, कुल 15 मिनट हो गया है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भाषण के मध्य श्री राम विशुन आजाद के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

राम विशुन जी, मौर्या जी को खत्म कर लेने दीजिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कल की घटना के परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय सदस्य, सुखदेव राजभर, जगदीश नारायण राय, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी के साथ घटना स्थल का दौरा करने गए थे, हमारी चाहत है कि प्रदेश में अमन-चैन हो, हमारी चाहत है कि प्रदेश में कानून का राज हो, हमारी चाहत है कि प्रदेश के लोग इस बात का एहसास करें कि प्रदेश में कोई सर्वजन हितकारी सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि आतंवादियों से निपटने के लिए सरकार के पास एक कार्य-योजना होनी चाहिए ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति कहीं और न हो जाए । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इत्मिनान से बैठकर एक ऐसी कार्य-योजना तैयार करें जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए और अन्त में एक बात कह करके कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मिलकर आज प्रदेश की हिन्दू-मुस्लिम एकता को आग में झोंकना चाहते हैं और मान्यवर, यही कारण है कि ये लोग अपनी डूबती हुई नैय्या को बचाने के लिए ऐसे दंगों और फसाद का सहारा ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात खत्म करें, 20 मिनट हो गया है । अब आपकी बात आ गई है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अंत में मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, इन दोनों की हालत तो यह है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि "कभी चिलमन में ये झांकें, कभी चिलमन में वो झांकें, जला दो इन चिलमन को, न ये झांकें न वो झांकें ।"

श्री अध्यक्ष-

आप शायरी भी करते हैं ?

***श्री प्रमोद कुमार-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आज इस सदन में जब वाराणसी की घटना पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बोलने के लिए खड़ा हूं तो मेरा मन दुख से भरा है । अध्यक्ष जी, वह एक शर्मनाक और काला दिन था, जब आतंकवादियों ने हमारी धरती पर वह कुछ किया जो मानवता के नाम पर कलंक है । मैं मान्यवर, यही कह सकता हूं कि एक शब्द में परसों की घटना को कहने का अवसर मिले तो मैं यही कह सकता हूं कि किसी धर्म, जाति और और दलों में इसे बांटने की जरूरत नहीं है । यह घटना एक त्रासदी है, नेशनल ट्रेजिडी है, इसको इस ढंग से लेना चाहिए । इसको आरोप-प्रत्यारोप के रूप में लेना आतंकवादियों के मंसूबों को बढ़ाना ही होगा । मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से, माननीय नेता प्रतिपक्ष से और माननीय मौर्या जी से और सम्पूर्ण सदन से आग्रह करूंगा कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए सम्पूर्ण सदन एक स्वर से प्रस्ताव पारित करे और आतंकवाद की घटना की निन्दा करे । आतंकवाद और आतंकवादियों की निन्दा करे और जिस समय वह इसकी निन्दा करे तो उस समय काशीवासियों को बधाई भी दे कि काशीवासियों ने आतंकवादियों की लाख कोशिशों के बाद भी काशी नहीं जलने दी, इसलिए काशी की जनता भी बधाई की पात्र है । एक बात और मैं आपसे विनती के साथ कहना चाहता हूं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को इस तरह से सदन में बंटे रहकर। मेरा कहना है कि हम कम से कम किसी एक बिन्दु पर तो एक हो जायें । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नेता विरोधी दल और नेता सदन अगर सहमत हों तो इस विधान सभा से आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में एकजुटता का प्रस्ताव पारित करें जिससे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई मजबूत हो । मान्यवर, आरोप लगाने को तो बहुत से लगाये जा सकते हैं और सही समय आने पर लगायेंगे । कानून-व्यवस्था पर बोलेंगे, सरकार की नीतियों से जहां हम सहमत नहीं हैं वहां जमकर प्रहार करेंगे । जहां हमारे साथियों के कदम लड़खड़ाएंगे वहां हम उन्हें इंगित भी करेंगे लेकिन आज का समय आरोप-प्रत्यारोप लगाने का नहीं है । यह एक राष्ट्रीय आपदा है । आज जनता को विश्वास दिलाने का समय है । मान्यवर, कल मेरे साथियों ने भी देखा होगा, हमारे साथियों ने भी देखा होगा । जब बात हिन्दू-मुस्लिम की आती है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है । आतंकवाद कोई जाति या धर्म के आधार पर नही चल रहा है । जो आतंकवाद को जाति-धर्म से जोड़कर देखते हैं मैं उन्हें नासमझ मानता हूं । शायद वह दुनिया के इतिहास को ठीक से जानते नहीं हैं, न शायद उन्होंने दुनिया का इतिहास पढ़ा है । अगर मंदिरों में विस्फोट हो रहे हैं तो मस्जिदों में भी विस्फोट हो रहे हैं ।

(भाजपा के सदस्यों के टोकाटोकी करने पर ।)

मान्यवर, कम से कम उस दल के लोग तो न बोलें जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्ना की मजार पर सिर झुकाते हैं । मान्यवर, अगर मुझे छेड़ा जाएगा और मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं इनकी उस दुखती रग को छू लूंगा जिसको यह सुन नहीं पाएंगे । मान्यवर, जब यह बातें हो रही थीं तो मुझे एक चरित्र प्रभावित कर गया । उसका नाम है गुल्लू जो वहां गौदोलिया पर फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचता है । अगर वह नहीं होता तो शायद मरने वालों की संख्या दुगुनी-चौगुनी होती । एक आदमी उसके पास संदिग्ध बैग रखकर जाने लगा तो उसकी नजर उस पर पड़ गयी तो उसको शक हुआ कि पता नहीं इसमें क्या है और उसकी सजगता की वजह से यह हादसा टल गया । मान्यवर, वहां पर शाम के समय काफी भीड़ होती है । मान्यवर, काशी के छात्रों ने जब खून देना शुरु किया तो इतना ज्यादा खून दिया गया कि डाक्टरों को मना करना पड़ा कि अब बस करो अब खून की आवश्यकता नहीं है । इनको बधाई देनी चाहिए । लेकिन मान्यवर, दुख इस बात का है कि अभी तक मरने वाला को श्रद्धांजलि भी नहीं दी गयी है, तो कम से कम श्रद्धांजलि तो जरूर देनी चाहिए । मान्यवर, जो

लोग हिन्दू-मुस्लिम की बात करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चलिए 400 साल पुराना इतिहास कलंकित हुआ है । हनुमान जी के मन्दिर में जो विस्फोट हुआ उस दिन मंगलवार था लेकिन शिवगंगा एक्सप्रेस जो वहां की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है उस पर क्या केवल हिन्दू ही सफर करते हैं । मान्यवर, वह वहां की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है । क्या शिवगंगा की हिन्दू ही यात्रा करते हैं । जिस आतंकवादी ने बम लगाया था, उसमें ऐसी कोई डिवाइस नहीं लगी थी कि ट्रेन में बैठे हुए हिन्दुओं को ही मारता, मुसलमानों को छोड़ देता । जिस आतंकवादी ने यह कोशिश की थी उसने सिर्फ हिन्दुओं को ही नहीं देखा था बल्कि उसकी नजर समस्त हिन्दुस्तानियों पर थी । उसने यह बम पूरी मानवता की हत्या करने के लिए लगाया था । मुझे इस बात का जवाब चाहिए जो जाति विशेष के बल पर राजनीति करते हैं । इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो आतंकवादी दिल्ली में मारे गए तथा एक लखनऊ में मारा गया । मैं विवरण पर नहीं जाना चाहता हूं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी यहां पैरों पर चलकर आए हैं वह कंधों पर ही जायें । कहां मारे गये यह प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और कार्यवाही हुई भी है उन्हें मारा गया । उन्हें जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं है । मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो भी हुआ है यह ठीक हुआ है ।

मान्यवर, मैं अपनी नेता और यू0पी0ए0 की चेयरपरसन सोनिया गांधी जी और भारत सरकार के गृह मंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं । उनसे मैंने तत्काल बात की और एक ही शब्द था, एक ही वाक्य था कि यह कहा कि जितनी भी मदद उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए वह दी जायेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में उनका आभार व्यक्त किया है । शायद इसलिये कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे दल ने जितनी पीड़ा झेली है वह शायद ही किसी ने झेली होगी । भगवान न करें कि किसी और को सहनी पड़े और हम इस दर्द को समझते भी हैं । मान्यवर, मैं सदन से एक सवाल का जवाब चाहूंगा और उस पर जो भी सवाल आयेगा मैं उसका जवाब दूंगा । मान्यवर, कहीं आग लग जाए तो क्या करना चाहिए ? यथासंभव बुझाना चाहिए, दुख मनाना चाहिए । मान्यवर, आतंकवादी तो यहां पर आये थे हत्याएं करने लेकिन वहां पर पड़ी लाशों को देखकर किसके मन खुश हो गये, कुछ विस्फोटों के बाद कौन अपनी सत्ता में वापसी के सपने देखने लगे । आप क्षमा करें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कहने को तो एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन मेरी नजरों से उस दिन गिर गया जब बनारस जल रहा था तो दूसरे ही दिन उसने बन्दगी कोल दी, दुकाने बन्द करायीं... (शेम-शेम की आवाजें) यह बड़े ही दुख का विषय है । (व्यवधान) इन लाशों के व्यापारियों के साथ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत है कि अब आपका तेवर वैसा नहीं रहा जो इन लाशों के व्यापारियों के साथ पहले हुआ करता था । 22 जगह पर पुलिस और जनता के बीच कहा संघर्ष हुआ । व्यापारियों के साथ संघर्ष हुआ, जनता के साथ संघर्ष हुआ । इनका कहना है कि सुरक्षा नहीं दी गयी । सुरक्षा की कमी को नेता विरोधी दल ने कहा है लेकिन इन्होंने प्रदर्शन करके, जबरदस्ती दुकानें बन्द कराकर जो पुलिस बल कम था, उसको बांटने की कोशिश नहीं की । कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की धरती से आतंकवादी को भागने का मौका इन्होंने नहीं दिया । मैं यह आरोप लगाता हूं और दृढ़ता के साथ आरोप लगाता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना पर बन्द कराकर कहीं न कहीं आतंकवादियों को भगाने में मदद की ? यह इतिहास है, मैं पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली के लाल किले में जहां भारत की सेना रही है आतंकवादी घटनाएं कराने वालों को नैतिकता के आधार पर मुंह खोलने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, इनको किसी भी हालत में बोलने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

यह वह लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के गौरवमयी इतिहास को गोलियों से छलनी कराया था । भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि वह आतंकवाद पर अपने आंसू बहा सकें । दूर अगर चला जाऊंगा तो राष्ट्रपिता की हत्या पर जिनके नाम जुड़े थे उन्हें राष्ट्रहित की बात पर शर्म आनी चाहिए । छोटे लोग जब बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो छोटी बात करते हैं, मान्यवर, इसीलिए इन लाशों में ढुंढे जा रहे हैं वोट । क्या मुकाबला करना चाहते हैं ? क्या कहना चाहते हैं ? जिस वक्त लाल किले पर हमला हुआ था, जिस वक्त पार्लियामेंट पर हमला हुआ था हमारा तो बड़ा नैतिक विरोध था ।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह वह लोग बोल रहे हैं जिनको राजीव गांधी जी को, भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को लिट्टे के लोगों ने आतंकवादियों ने मार दिया था । ये बार-बार चुनौती दे रहे हैं सदन में न बोलने की ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप बैठ जायें ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आदरणीय बाजपेयी जी ने जो कुछ भी कहा है मैं समझ सकता हूं, मैंने कब कहा कि आतंकवाद पर सिर्फ एक जाति का अधिकार है या सिर्फ एक देश का अधिकार है, एल0टी0टी0 भी तो एक आतंकवादी संगठन है, तो मैं तो आतंकवाद के खिलाफ बात करता हूं, आपकी तरह घटिया, बेबुनियाद बातें नहीं करता कि आतंकवाद सिर्फ एक जाति विशेष और धर्म के लोग करते हैं । मान्यवर, बिल्कुल सही कह रहे हैं यह घटिया और बेबुनियाद बातें हैं । एल0टी0टी0 अगर आतंकवादी संगठन नहीं है और उसे आप आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं तो मुझे दु:ख होता है और इस बात का दु:ख होता है कि मैं आपके साथ इस सदन में बैठा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप बैठ जायें, आप उधर सम्बोधित करके बात नहीं करेंगे । आप हमें सम्बोधित करके बात करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मन्दिर हो, या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, आलोचना की गई कि वहां पर भारत सरकार के गृहमंत्री क्यों पहुंच गये । क्या मन्दिर में पहली बार आतंकवादी घटना हुई है, क्या मन्दिर अक्षरधाम मंदिर नहीं था, क्या गुजरात के अक्षरधाम पर हमला नहीं हुआ ? जब यह हमला हुआ तब किसकी सरकार थी प्रदेश में ? तब भारतीय

जनता पार्टी की ही सरकार थी प्रदेश में और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। आज जो लोग गृहमंत्री के जाने पर आपत्ति कर रहे हैं,

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य मेरा आपसे आग्रह है, आप अपने स्थान पर बैठ जायें । आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि सदन को शान्त करें और मैंने बात की शुरुआत ही इससे की थी कि शान्ति की जरूरत है और सबको मिलजुल कर एक प्रस्ताव पारित करने की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे बोलते समय क्यों उस वातावरण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है । मैं चिन्ता समझ सकता हूं मान्यवर, क्या इस बात को हम नही समझते कि आतंकवादी घटनाओं में बाढ़ क्यों आ रही हैं शायद इसलिये आ रही है कि जब पड़ोसियों से हमारे सम्बन्ध अच्छे होते हैं तो जो एक आतंकवाद का पौधा होता है मान्यवर उससे कुछ ज्यादा जहर उगलने लगता है । जिसकी वजह से वह लोग कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान के बढ़ते मधुर सम्बन्धों में कड़ुवाहट लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों की मान्यवर मैं परेशानी समझ सकता हूं , बैचेनी समझ सकता हूं । टण्डन जी ने भी नाम नहीं लिया था मैं भी टण्डन जी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, मान्यवर शायद कुछ लोगों को परमाणु समझौता पसन्द नही आ रहा है और इसीलिए आतंकवादी घटनाओं के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

परमाणु समझौते से यहां क्या मतलब है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर परमाणु समझौते की बात पर माननीय सदस्यों को ऐतराज है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें । नागर साहब बैठ जायें । माननीय मुख्यमंत्री जी को विधान परिषद् में भी जाना है इसलिए जल्दी है । माननीय प्रमोद कुमार जी अब आप समाप्त करें ।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, माननीय नेता कांग्रेस दल यहां तो सरकार की तरफदारी करते हैं और बाहर मीडिया में दूसरी बातें कहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, वाराणसी की घटनाओं पर लौटते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की बात के रूप में केवल न समझा जाये, इसको केवल वाराणसी की सीमा में नहीं लिया जाना चाहिए, इसको केवल उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं लिया जाना चाहिए । बल्कि राष्ट्र की सीमा के अन्तर्गत इसको देखते हुए आतंकवाद की घटना को पूरी तरह से राष्ट्रीय चुनौती, राष्ट्रीय आपदा के रूप में और राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में समझ कर हम सबको मिल कर मुकाबला करना चाहिए । (कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) और मान्यवर, इसके लिए ऐसे यत्न करने चाहिए कि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, हमारी किसी कमी से न हो और यहां चर्चा के बाद इन घटनाओं के बारे में हम ऐसा कुछ न करें जिससे कुछ और हो । मान्यवर, मैं नसीहत के तौर पर नहीं केवल मित्रवत सलाह के रूप मे कहना चाहता हूं कि लोग सत्ता में रहे हैं, उनको कभी विरोध में भी बैठना पड़ता है। सत्ता में रह कर तो वह संविधान को तोड़ देते हैं, कानून तोड़ देते हैं और मान्यवर, कहते हैं कि हमें संविधान की परवाह नहीं है । हमें न्यायालय की परवाह नहीं है । हम श्रद्धा के अनुसार काम करेंगे और उसी दिन आतंकवाद जन्म ले लेता है ।

श्री हुकुम सिंह-

केवल इतना बता दें कि कल राज भवन आप क्या करने गये थे ? (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से मेजों की थपथपाहट) ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हम राज भवन कल गये थे, हमारे पार्टी के सारे विधान सभा सदस्य गये थे । मैं महामहिम राज्यपाल जी से मिला था । हमने इन घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की थी और दुःख भी व्यक्त किया था । हमने कहा था कि एक तरफ तो आप सरकार को सचेत कीजिए कि वह इन आतंकवादी घटनाओं के प्रति पूरी दृढ़ता बरते और दूसरी तरफ हुकुम सिंह जी, जिस दल के सदस्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक दल है, उन पर आप दृढ़ता से कानूनी कार्यवाही करें ।

***नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-**

मान्यवर, चूंकि यू0पी0 प्रदेश की यह एक पर्टिकुलर घटना से हटकर, सारे विश्व के आतंकवाद के बारे में आपने बताया । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आतंकवाद को जन्म किसने दिया था ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

कांग्रेस ने ।

श्री लाल जी टण्डन-

तो फिर मान्यवर, यह किस मुंह से यहां बोल रहे हैं, आतंकवाद के पक्ष में । जिनके दो-दो प्रधानमंत्री मार दिये गये थे । जिन्होंने आस्था के नाम पर स्वर्ण मंदिर को ढहा करके, इस देश में एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लकीर खींच दी है और आज हर केशधारी के दिल में इनके प्रति नफरत भरी हुई है । यह किस मुंह से आतंकवाद की बात कर रहे हैं ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

1984 का सिक्ख दंगा इन्होंने कराया ।

श्री लाल जी टण्डन-

सारे देश में मान्यवर, 1984 में सिक्खों को चुन चुनकर मारा गया था । उस दंगे में तमाम लोग मारे गये । इन्होंने मरवाया था, इनकी सरकार थी । मान्यवर, अभी कोर्ट से फैसला हुआ है और उसमें इनकी पार्टी के एक एम0 पी0 पर आरोप लगा है कि उन्होंने दंगा कराया था । (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाजें) ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर नेता विरोधी दल खड़े हो जायें तो मुझे बैठना है तो आपको भी सुनना है । अब इन्होंने एक प्रश्न उठा दिया है तो मुझे उत्तर दे लेने दें ।

जो मंत्री थे वह हटा दिये गये । लेकिन जो आपके यहां लोग थे जिनके खिलाफ रायबरेली की अदालत में मुकदमा चल रहा है क्या आपमें नैतिक साहस है उनके खिलाफ खड़े होकर आप बोल सकें। उसके बाद आपने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, भारत का गृहमंत्री बनाया ।

श्री रंग नाथ मिश्र-

मान्यवर, चर्चा हो गयी है अब तो इनकी और भारतीय जनता पार्टी की नूराकुश्ती हो रही है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। एक जाति विशेष के प्रति आदर नहीं होता । तो मैं इतना पूछना चाहता हूं कि देश में शायद आप सो गये थे याद नहीं है, आपकी सरकार चली गयी है और अब कांग्रेस की सरकार आ गयी है और उसका प्रधानमंत्री कौन है । एक सिख समुदाय का क्षमतावान व्यक्ति । वह इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है कि सिख है, बल्कि इसलिये प्रधानमंत्री है कि वह क्षमतावान है और इसीलिए हम बनाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, समाप्त करिये ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा समय तो सवाल जवाब में चला गया । मैं समाप्त कर देता हूं । मान्यवर, मैं खुद भी नहीं चाहता कि वातावरण ऐसा बने । मैं फिर उस वातावरण की तरफ लौटते हुए इस उम्मीद के साथ कि बीच में अगर कोई सवाल न पूछा गया तो डेढ़ मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा । मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि इसको जरूर दिखवायें एक जिले से सारे अधिकारी एक साथ कैसे छुट्टी पर चले गये, किसने अनुमति दी, क्या पुलिस बल की वहां पर

कमी थी ? जहां पर हनुमान मंदिर है वहीं पर पुलिस चौकी थी उस पुलिस चौकी के लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंचे ? क्योंकि उस चौकी का नाम ही सम्भवत: उस हनुमानगढ़ी के नाम पर है । एक साथ इतने अधिकारियों को जाना दुख का विषय है । इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिये कि कार्यवाही करें क्योंकि कांग्रेस के समय मुझे याद है कि एक आदेश थे कि जिले के दो बड़े अधिकारी एक साथ छुट्टी पर नहीं जायेंगे अगर जायेंगे तो निश्चित रूप से वह तभी जायेंगे जब कम से कम एक अधिकारी वहां पर उपस्थित रहेगा । इन परिस्थितियों में यह क्या हो रहा है यह सारी बातें अपनी जगह पर हैं । मैं आपके माध्यम से नेता सदन से आग्रह कर रहा हूं, माननीय नेतासदन जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं एक मेरी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है माननीय नेता विरोधी दल को, जरा जगा दीजिए उनके और मौर्या जी, कम्युनिस्ट पार्टी मेरे बाद बोलेगी, मेरी एक विनम्र अपील है कि आज इस सदन के बाहर जायं तो यह न हो कि हम आपस में आरोप-प्रत्यारोप के साथ जायं । एक प्रस्ताव पारित करें और एक प्रस्ताव पारित कराकर आतंकवादी घटना की निन्दा करा दीजिए श्रद्धांजलि दे दीजिए उनको जो शहीद हुए हैं । और उस संकट की घड़ी का हम सब एकजुटता से मुकाबला करेंगे इसका एक प्रस्ताव पारित करा दीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की विधान सभा अपने कर्तव्य का पालन कर सके । धन्यवाद ।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस गम्भीर घटना पर बोलने का मौका दिया । (व्यवधान) लोकदल की तरफ से बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पार्टी को समय मिलेगा लेकिन तिवारी जी के बाद उनको कह दिया था । दो मिनट बोल लीजिए ।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, एक दो मिनट हम भी बोल लें तो क्या दिक्कत है ?

श्री विद्यासागर गुप्ता-

मान्यवर, इस घटना के साथ-साथ लखनऊ की घटना की भी निन्दा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष-

वह आगे आयेगा, आप बैठें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय जो वाराणसी में अत्यन्त दुखद घटना हुई है उसके कारण मन में बहुत पीड़ा है, बड़ी वेदना है और अगर बहुत संक्षेप में कहा जाय तो जो कुछ हुआ है, जिन निरीह लोगों की जानें गयी हैं, उनका खून बहा है । उससे निश्चितरूप से इंसानियत शर्मसार हुई है । यहां लोगों को बातों की बाजीगरी आती है, नेता होने का प्रिविलेज भी वह लेते हैं । मैं उन सब बातों में नहीं जाता । कि आरोप-प्रत्यारोप भी करेंगे और कहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप से मैं बहुत दूर रहता हूं । जो 7 तारीख को दुखद घटना हुई है, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखा है, मैं तो साथ नहीं था, लेकिन फोटो

में देखा है । जहां चीथड़े उड़ गये, वहां भी ताकते देखा है, जहां खून की धार पड़ी हुई है, वहां भी देखा है और अस्पतालों में घायलों को देखने गये, वहां भी देखा है । आदरणीय मुख्यमंत्री होने के नाते आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी है, उसका आपने निर्वहन किया, आपने संजीदगी दिखाई, अच्छी बात है, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं । मान्यवर, 7 तारीख को 2 जगह घटनायें घटित हुयीं। एक कैन्ट स्टेशन परिसर में और एक संकटमोचन मन्दिर में । कैन्ट स्टेशन परिसर में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए बैठे थे, कुछ अन्यान्य कारणों से बैठे थे, कुछ यात्री थे, काफी भीड़ थी, वहां जो परिस्थिति हुयी, उसमें बहुत से लोग मारे गये । संकटमोचन मन्दिर में, चूंकि मंगलवार का दिन था, आप जानते हैं कि शनिवार और मंगलवार को काफी भीड़ रहती है संकटमोचन मन्दिर में, उसके कारण वहां कुछ शादियां आयोजित की जा रही थीं ।

आप जानते हैं कि मन्दिर में शादियां की जाती हैं, एकाएक शाम 6.00 बजे के आसपास बम का विस्फोट होता है और लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं, कोहराम मच जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं और यही हाल कैन्ट स्टेशन पर भी हुआ, जिसको सारे बनारस के लोगों ने देखा है और जो हमारे सदन के मुखिया हैं, उन्होंने भी देखा है । मैं इस घटना के थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं । 24 फरवरी, 2005 का कदाचित् आपको स्मरण होगा, उस दिन वाराणसी में दशाश्वमेव घाट पर चाय की एक दुकान पर भयंकर विस्फोट हुआ था और मैंने इस मामले को इसी माननीय सदन में उठाया था और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मैं एनेक्सी में आपसे मिला भी था, मुझे मिलने का सौभाग्य मिला था और मैंने उस समय ग्राह्यता पर बोलते हुए यह मांग भी की थी कि यह घटना निश्चित रूप से, चूंकि वाराणसी एक धार्मिक नगरी है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, यहां हिन्दू और मुसलमान तथा अन्यान्य लोग रहते हैं, इसे लघु भारत कहा जाता है, यह कुछ लोगों के निशाने पर है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, इसलिये इसको उस नजरिये से देखा जाये और जांच की जाय । अगर यह बात सही है कि यह उसी विस्फोट का परिणाम है तो जो प्रिकाशनरी मेजरमेंट, सावधानीमूलक कदम हैं, निरोधात्मक कदम हैं, वह उठाये जायें । मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी इन्कार किया था, मैं चीखता रहा, लेकिन यह कहा गया कि आपकी बात सत्य नहीं है और यह सिलेण्डर विस्फोट से दुर्घटना हुयी है । इस घटना को बताने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज भी सारे सदन में नेता प्रतिपक्ष ने, नेता कांग्रेस और नेता बहुजन समाज पार्टी ने इस घटना की निन्दा की है और यह कहा कि निन्दनीय कार्य हुआ है, इंसानियत का खून बहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज भी इसे कोई और रूप दे दिया जायेगा । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 24 फरवरी को जो 7 लोगों के चीथड़े उड़कर बांस पर टंग गये थे घाटों पर, बहुत हृदय विदारक घटना हुयी थी, इसमें दर्जनों लोग घायल हुये थे, उस समय अगर उस घटना को आतंकवादी घटना, विस्फोटक से हुयी घटना के नजरिये से अगर शासन प्रशासन ने अपनी दृष्टि में लिया होता तो संभवत: यह 7 मार्च, 2006 की जो घटना हुयी है, न हुयी होती । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं...।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आप कितना समय लेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ है, मेरी पीड़ा को शब्दों में आने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

आप शब्दों में सीधे आते ही कहां हैं ?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आपको कितना तो बोलने का मौका दे रहा हूं और आप कितना संरक्षण चाहेंगे ?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, इसको आपकी कृपा मान लूं या अपना अधिकार । अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि कौन छुट्टी पर था और कौन नहीं था, यह तो जांच का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, अगर सारे लोग छुट्टी पर चले गये थे तो यह उचित नहीं है, किसी बड़े अधिकारी को वहा पर रहना चाहिये था । अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि जब यह कोहराम मचा और दुर्घटना हुयी तो वहां पर पुलिस को निर्देश देने के लिए कोई उच्चाधिकारी नहीं मिला । मैं ट्रेन में था, मैं सात तारीख को यहां आना चाह रहा था, खबर पाकर मैं पुन: लौट करके बनारस गया, मैंने मोबाइल पर ट्राई किया, लेकिन कोई अधिकारी नहीं मिला । मान्यवर, यह जांच का विषय है और जैसा कि अभी प्रमोद जी ने भी कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए । मान्यवर, मैं अस्पतालों में गया था, माननीय राजनाथ जी, कलराज मिश्र जी और माननीय कल्याण सिंह जी भी थे, उनके साथ मैं भी सारी जगहों पर गया था, आगे-आगे मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, पीछे से हम लोग जा रहे थे, इस प्रकार से हमने भी सारी चीजों को देखा है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, माइक नहीं काम कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलते रहिये, ठीक हो जाएगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, बनारस एक गंगा-जमुनी संस्कृति और तहजीब का केन्द्र है और अगर वहां पर कुछ लोग इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं और अगर वह चाहते हैं कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़े और उसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार की घटनाएं घटित हों, जिससे माहौल खराब हो तो निश्चित रूप से इसे बहुत ही गम्भीरता से ले करके निरोधात्मक कदम उठाने की मैं मांग करता हूं और साथ ही मैं यह भी मांग करता हूं, मान्यवर, जान की कोई कीमत नहीं होती लेकिन मान्यवर, जो जानें गयी हैं, जिनका उल्लेख आपने अपने वक्तव्य में भी किया है ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, क्या मैं एक मिनट भी नहीं बोल सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप दस मिनट से बोल रहे हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, पता नहीं क्या है कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, तो मुझे आप सुनते ही नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब आप संक्षेप में अपनी बात कह लें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो पांच-पांच लाख रुपये देने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उस पर मेरी मांग है, मेरा विनम्र निवेदन है कि यह सही है कि जान की कोई कीमत नहीं होती लेकिन मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस पांच लाख रुपये की राशि को बढ़ा करके दस-दस लाख रुपये आप कर दें और मान्यवर, जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, उनको पांच लाख रुपये मुआवजा दे दें, इसके अतिरिक्त जो अन्य हैं, उनको समुचित सहायता दे दें । इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मान्यवर, आप एस0टी0एफ0 से जांच करायेंगे, आपको एस0टी0एफ0 पर विश्वास है लेकिन मान्यवर, 24 फरवरी, 2005 को जो घटना घटित हुई थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, एस0टी0एफ0 उस पर से पर्दा उठाने में पूरी तरह से नाकाम रही है और दूसरी तरफ आतंकवादी घटनाएं, लश्करे तैयबा की सक्रियताएं बढ़ती जा रही हैं, इसे देखते हुए इस घटना की जांच सी0बी0आई0 से कराने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, बनारस से मैं भी जुड़ा हुआ हूं इसलिए दो मिनट सुनने की कृपा करें ।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बनारस की घटना बड़ी हृदय विदारक घटना है, उस पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं । इस घटना पर मैंने माननीय नेता सदन का वक्तव्य सुना और माननीय नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी, मा0 नेता कांग्रेस को सुना । मान्यवर, सुनने के बाद बड़ा अफसोस हुआ, अपने-अपने भाषण में बड़ी गम्भीरता की बात सभी नेताओं ने कही और यह कहा कि मा0 नेता सदन को गम्भीर होना चाहिए । माननीय नेता सदन ने अपनी गम्भीरता दिखाते हुए वक्तव्य दिया, वह कितना गम्भीर है, उन्होंने एक-एक बात को गम्भीरता से लिया है । लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जितने भी नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, बहुजन समाज पार्टी या नेता कांग्रेस हों सभी ने अपने-अपने बयान में गम्भीरता की बात की है लेकिन वह कितनी गम्भीरता से लेते

हैं कल पूरा दिन अखबारों ने, मीडिया ने और प्रदेश की जनता ने इसको देखा है, जितने भी नेता गम्भीरता की बात कर रहे हैं न तो इन्होंने न इनके बड़े नेताओं में कोई यह नहीं कह रहा था कि इसके लिए यह करना चाहिए, कोई सलाह नहीं दे रहा था कि यह कदम उठाया जाना चाहिए या यह एक ऐसा संकट है कि हम लोगों को आपस में मिलकर इसका सामना करना चाहिए । आतंकवाद का संकट केवल हमारे प्रदेश या देश की समस्या नहीं है यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है ।

यह जहर पूरे विश्व में फैला हुआ है । हमारे यहां प्रदेश में घटना हुई तो अफसोस इस बात का हुआ कि एक ही बात सबके मुंह से निकल रही थी कि सरकार को बर्खास्त करो इसके अलावा और कोई दूसरा बयान नहीं दे रहा था, सलाह नहीं दे रहा था, यह नहीं बता रहा था कि समस्या इस तरह की उत्पन्न हो गयी है तो इस पर सलाह-मशविरा करना चाहिए, किस तरह से इसकी रोकथाम हो, किस तरह से विश्वसनीयता जनता में कायम हो । केवल सरकार को बर्खास्त करो यही कहा जा रहा था । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन के लिए कह दिया गया कि गम्भीर नहीं थे, बड़ा अफसोस होता है कि कह दिया गया कि वह विवाह समारोह में व्यस्त थे । शादी ब्याह किस परिवार में नहीं होती । विवाह का कार्यक्रम चल रहा था लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी हुई माननीय लोक निर्माण मंत्री पूरे अमले के साथ वहीं से सीधे बनारस पहुंचे । पूरे सदन को जानकारी है, उसके बाद कल स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मा0 नेता सदन बनारस गये, एक-एक घटनास्थल पर गये, घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद जो लोग घायल हैं उन्हें देखने के लिए अस्पताल गये । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वहां घोषणा की कि जो जानें गयी हैं उन्हें 5 लाख रुपये और जो गम्भीररूप से घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपये और जो इस घटना में साधारण घायल हुये हैं उन्हें 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है । लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, बहुजन समाज पार्टी को यह भी अच्छा नहीं लगा कि यह घोषणायें क्यों की गई ? मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आज देश में आतंकवाद पैदा हुआ है । नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा है कि आतंकवाद पैदा किया कांग्रेस ने किसी दूसरे ने नहीं पैदा किया । इस बात को कहने में गुरेज नहीं है 'भिण्डरावाले' को किसने पैदा किया था, कांग्रेस ने पैदा किया था । आज जब प्रदेश की बात आती है और प्रदेश में आतंकवाद की बात आती है ।...

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें ।

श्री तेजपाल सिंह-

प्रदेश में आतंकवाद की शुरुआत इधर से हुई । ज्यादा न कहते हुये आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा विश्वास के साथ इस हिन्दुस्तान की जनता ने और धार्मिक लोगों ने...।

श्री अध्यक्ष-

राम स्वरूप जी आप भी कुछ कहेंगे । तेजपाल सिंह जी, अब समाप्त करिये ।

श्री तेजपाल सिंह-

सबसे बड़ी और अच्छी बात यह हुई है कि संकटमोचन मंदिर में जहां घटना हुई इस प्रदेश की

धार्मिक जनता ने दूसरे दिन उससे ज्यादा तादाद में मंदिर में जाकर दिखा दिया कि हम इस आतंकवाद से डरने वाले नहीं हैं । माननीय नेता सदन ने जो घोषणा की है उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रमोद जी ने, नेता कांग्रेस ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उनके प्रस्ताव से सहमत हूं और उससे अपने को संबद्ध करता हूं । जो लोग इस घटना में मरे हैं उनके लिए श्रद्धांजलि की बात होनी चाहिये ।

श्री राम स्वरूप सिंह-

मान्यवर, यह जो बनारस में घटना हुई है यह वाकई में बड़ी दुखद घटना है । आज आतंकवाद की घटनायें देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में आतंकवादी घटनायें घट रही हैं ।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, "आतंकवाद कांग्रेस की देन है" यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये ।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, "आतंकवाद कांग्रेस की देन है" इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय । (शोर)

श्री राम स्वरूप सिंह-

मैं सभी राजनीतिज्ञों और दलों के नेताओं से और विधान सभा से अपील करता हूं कि इस घटना को हमें बहुत गम्भीरता से लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

हम कार्यवाही दिखवा लेंगे । अगर कोई असंसदीय बात होगी तो निकाल दूंगा । आप बैठिये ।

(शोर)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

मिश्रा जी, जितनी देर व्यवधान करेंगे उतनी देर में माननीय सदस्य बोल लेंगे ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी कोई व्यवस्था नहीं है । भाषण के बीच में कोई व्यवस्था नहीं होती है । मेरा निवेदन है कि आप बैठ जायं, माननीय नेता बोल रहे हैं । आप बनारस प्रापर के नहीं हैं ।

(शोर)

माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरे सदन को जाना है जवाब देने के लिये । केवल 8 लोगों ने लिखकर दिया था उसमें से काफी लोग बोल चुके हैं ।

***श्री राम स्वरूप सिंह-**

आतंकवाद की समस्या को खत्म करने के लिये सारे धर्मों के लोगों का सहयोग करना होगा । हम सब जनता के इस काम में सहयोग करें । अभी माननीय प्रमोद कुमार ने परमाणु समझौते की बात कही थी इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो बुश है वह दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा आतंकवादी है । उसको पहले भा0ज0पा0 ने बुलाया और उसकी आरती उतारी थी और अब इनके प्रधानमंत्री ने वह काम शुरु कर दिया है । कांग्रेस ने भी वह काम शुरु कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष-

राम स्वरूप जी अब बैठ जायं ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था नहीं । मैंने डा0 राधा मोहन दास को बुलवा लिया है । अब जितने लोगों ने दस्तखत किये हैं उन सबको तो बुलवाना संभव नहीं है । आपकी पार्टी के दो लोग बोल चुके हैं ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मैं भी बनारस से हूं ।

श्री अध्यक्ष-

मैं जानता हूं आप बनारस से नहीं हैं । आप भदोही से आए हैं । आप बैठ जायं कुछ नहीं लिखा जाएगा ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

अग्रवाल साहब के बाद मुझे बुलवा लें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं गारन्टी नहीं दे सकता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री रंगनाथ मिश्र-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

जिद मत करें । आप बहुत पुराने सदस्य हैं । मंत्री भी रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है । न ही कुछ लिखा जाएगा । नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मुझे भी सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

आपको इतना ज्ञान नहीं है जब नेता विरोधी दल खड़े हों उस समय सभी सदस्य बैठ जाते हैं ।

श्री लाल जी टण्डन-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जब वह अपना उत्तर दें तो मेरी इस जानकारी का भी उत्तर दें कि अभी-अभी चित्रकूट रेलवे स्टेशन के पास एक विस्फोट हुआ है यह विस्फोट 12.39 पर हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है यह खबर अभी-अभी आई है ।

***डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भी नियम 311 की सूचना है जिस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं कुछ बिन्दुओं के बारे में पूछना चाहता हूं और विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उसके जवाब अपने उत्तर में देंगे । पहला यह कि पूरे प्रदेश में मीडिया व समाचार पत्रों में मृतकों की संख्या 26 बताई जा रही है जबकि मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कुल 14 लोगों के मरने की बात बताई है जिसमें 8 लोग संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट में मारे गये और 6 लोग कैन्ट रेलवे स्टेशन पर मारे गए तो मैं जानना चाहता हूं कि मृतकों की वास्तविक संख्या कितनी है व मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि और लोग भी जो मरे हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी । दूसरा प्रश्न मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आई0बी0 ने प्रदेश की सुरक्षा के संबंध में कोई सूचना दी थी ? अगर दी थी तो वह क्या सूचना थी और उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई ? यदि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो उसके लिए जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई की गई है ? तीसरा प्रश्न यह है कि उस दिन पूरी प्रशासनिक मशीनरी काशी से अनुपस्थित थी तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस मैनुअल के रूल्स क्या हैं जैसा कि प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी सरकार ने नियम बनाया था कि किसी भी जिले के दो वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बाहर नहीं जा सकते हैं तो हम लोगों को जो शिकायत मिली है उसके अनुसार बनारस के आई0जी0, डी0आई0जी0, एस0एस0पी0, एस0पी0 सहित सभी अधिकारी बाहर थे बनारस केवल सी0ओ0 के हवाले था यदि ऐसा हुआ है जिन्होंने पुलिस मैनुअल की अवहेलना की है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान सभा

होनी चाहिए । चौथा जो गोदलिया में जो सात लोगों की मौत हुई थी उस घटना के बारे में मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे कि वह घटना क्या थी, उसमें मौत के क्या कारण थे ? कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया था जिसमें इस घटना से कहीं न कहीं पाकिस्तान को जोड़ने की बात है और 5 जनवरी का जो बयान है ब्लाक प्रमुखों की बैठक में । माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मेरी हत्या की जा सकती है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं । अगर कहा था तो वे कौन लोग हैं ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

मान्यवर, 7 तारीख को बनारस में जो भी घटना घटी वह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण रही ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मिश्रा जी, आप बोलिये ।

श्री रंग नाथ मिश्र-

मान्यवर, सदन तो व्यवस्थित करवाइये ।

श्री अध्यक्ष-

जब अभी पहले आप बोल रहे थे तो अव्यवस्थित नहीं कर रहे थे ? पहले तो आप अव्यवस्थित कर रहे थे ।

***श्री रंग नाथ मिश्र-**

बनारस की जो घटना 7 मार्च को घटी उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है । मान्यवर, यह घटना उस दिन की नहीं बल्कि इस घटना को अंजाम देने के लिए कई दिनों से योजना बनती रही होगी । मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने बनारस जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है । सिर्फ प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक राजधानी है, उसको चोट पहुंचाने का काम जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । यह सिर्फ प्रदेश सरकार के लिए नहीं केन्द्र सरकार के लिये भी चिन्ता का विषय है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो विदेशी भी हो सकते हैं ।

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया । अब जवाब भी सुन लीजिए । माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिये । कितने लोग बोलेंगे । 27 लोगों का नाम हैं । दो आपके दल के बोल लिये, दो वो बोल लिये । एक-एक वो बोल लिये । संख्या के हिसाब से बुलवा लिया आपने । मुख्यमंत्री जी आप बोलिये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है यह साबित हो गया है । यही नहीं यह योजना पहले से बनाई गई होगी । 28 फरवरी को इसी सदन में नियम-56 के तहत मैंने नोटिस दिया था बनारस की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष-

मिश्रा जी, बैठिये ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, सदन की गम्भीरता को खत्म किया जा रहा है । नेताओं के बोलने के बाद किसको मौका दिया जाता है ? आप कृपा पूर्वक कई सदस्यों को बुलवा भी चुके हैं ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जायं । संख्या बल के हिसाब से बोल चुके हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, अब आप लोग बैठ जायं । सुखदेव जी इनको बैठाइये तो । मिश्रा जी, आप कभी नियम मानेंगे कि नहीं । आप गृह मंत्री भी रहे हैं । मैं कह रहा हूं कि आप बैठ जायं । आपका बोला कुछ भी नहीं लिखा जाएगा । आप चाहे जितना बोलिये कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रंग नाथ मिश्र-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

(व्यवधान)

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई-

जिनके सूचना पर हस्ताक्षर हैं उनको बुलवायें ।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा जरूरी नहीं है । आप मुख्यमंत्री जी को सुनें ।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

एसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप बैठें नेता सदन खड़े हैं । आपके नेता ने सारे तथ्य रख दिये हैं ।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्रीमन् बनारस की घटना अफसोसजनक है, दुखद है । हम दुखी हैं । पूरा सदन दुखी है । पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग चिन्तित हैं । मुझे दुख इस बात का जरूर है, जहां राजनीतिक सुरक्षा का सवाल है वहां विभिन्न मत कभी नहीं होते हैं, कभी नहीं । लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के, अपराधियों के हमले, बनारस का हमला, अभी चित्रकूट के हमले की जानकारी दी गई... जानकारी हमें मिली है कि 10, साढ़े दस बजे के करीब वहां बम फटा है और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है । पुलिस मौके पर है । सदन अगर चाहेगा तो दुबारा जो जानकारी मिलेगी वह सदन को दे देंगे । हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं । कानून व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया है । मुझे इस बात का अफसोस है कि देश की सुरक्षा का सवाल था देश की अखंडता, एकता का सवाल था । कानून-व्यवस्था पर जब बहस हो चुकी है, उस पर दुबारा बहस हुई । कानून-व्यवस्था पर बहस करने के लिए चाहे एक-दो दिन का समय रख लिया जाए, सबके विचार और सुझाव आ जायेंगे । हमें भी मदद मिलेगी । हम तो इस राय के हैं-जब आलोचना हो तो उससे सरकार को मदद लेनी चाहिए। आलोचना सही है तो उसका निदान करेंगे । उसका लाभ सत्ता पक्ष को भी होगा, छिपाएंगे तो सत्तापक्ष को नुकसान होगा । यह हमारी हमेशा राय रही है । हमारा निर्देश अधिकारियों को है, कोई भी सवाल अगर गलत है या सदन के अन्दर गलत उत्तर दिया गया है तो वहे जिम्मेदार होंगे । कोई सवाल का जवाब प्रश्नकाल में दिया जाएगा और अगर-गलत होगा तो वह अधिकारी जिम्मेदार होगा । यह पहले आदेश कर चुके हैं । इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अटूट विश्वास है । लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही यह चमत्कार है कि हम जैसे लोग यहां बैठे हैं । इसलिए गहरी आस्था हमें लोकतंत्र में है । लेकिन इतना जरूर कहूंगा माननीय सदन से और नेताओं से, यह देश का सवाल है । कानून-व्यवस्था अलग है, देश का सवाल अलग है, साम्प्रदायिकता अलग है । इसे मैंने इसलिये कहा था और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है । हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस पर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए, गम्भीरता से लेना चाहिए । मुझे बड़ा अफसोस है, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी ने जो सुझाव दिया है, निन्दा का प्रस्ताव, वही सुझाव आना चाहिए था...। ऐसा होता रहा है, हम चाहे किसी भी दल के हों, बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं, हम संसद में थे, कभी भी एक दल ने वहां पर राजनैतिक सवाल नहीं उठाया था, देश की एकता का सवाल था । हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, सूचनाओं के आधार पर एसटीएफ ने लश्कर-ए-तोएब का जो सालार, आतंकवादी था, उसको मारा है, पहले वह आई0एस0आई0 का बहुत ही कट्टर आतंकवादी था और जम्मू-कश्मीर का प्रभारी था और अब उत्तर प्रदेश की होने वाली ऐसी गतिविधियों का प्रभारी था । नेता विरोधी दल यदि टिप्पणी करें कि यह सही है या गलत, इससे बड़ी दुखद कोई बात नहीं हो सकती है । क्या सूचना के आधार पर कश्मीर की पुलिस के सहयोग से कामयाबी नही पाई ? उनको नहीं मार गिरा दिया ? अयोध्या में जो हमारी पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने मिलकर एक घन्टे 20 मिनट के अन्दर पांचों आतंकवादियों को मार गिराया, न राम मन्दिर को नुकसान हुआ, न हमारा कोई जवान शहीद हुआ, ऐसा दुनिया में एक उदाहरण बता दें, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो । जैसा हमारी सरकार ने कर दिखाया, बधाई देना चाहिए । लश्कर-ए-तोएब के सरगना को मार गिराये जाने पर बधाई देना चाहिए था । एक उदाहरण बताना चाहता हूं । हम सभी दलों के नेताओं को ले गये, पहलगाम अमरनाथ यात्रा में घटना हुई थी । यह हुआ था, 6 अगस्त, 2002 को पहलगाम में, उसी तरह से लाल किले में या अक्षरधाम में 17 लोग मारे गये । हम इसमें जाना ही नहीं चाहते हैं, यह सवाल ही नहीं है । सवाल तो हमारे देश का है । 12 दिसम्बर, 2001 को जब लोकतंत्र के मन्दिर पर हमला हुआ, संसद पर हमला हुआ,

आपको खबर मिली होगी, टी0वी0 के माध्यम से कि मुलायम सिंह कहां हैं ? यह सही है कि आप सबकी दुआओं से हम बच गए थे । स्पीकर साहब के यहां बैठक थी, वहां से 5 मिनट पहले ही मैं निकला था, नेताओं की बैठक थी, एक पार्लियामेंट के मेम्बर हमारे थे, उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हो ? स्पीकर साहब और माननीय सदस्य चिन्तित हुए कि कहां गये । वह जो स्थिति थी, सारे दलों ने मिलकर, एक स्वर में मिलकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, संसद पूरी एक साथ है और संसद में सर्वसम्मति से निन्दा का प्रस्ताव लाया गया । मान्यवर, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ था । 12 लोग मारे गये । उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि यह संसद पर हमला है । सारी दुनिया के सारे अखबारों, सारे चैनलों ने उसको गम्भीरता से लिया था । प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संसद पर हमला है । क्या इसको रोका जा सकता था ? मैं कहना चाहता हूं, क्या अमेरिका जो कि बेफिक्र बैठा था, उसने सोचा था कि हम सुरक्षित देशों से घिरे हैं, हमारे पास धन दौलत है, फौज है, हम दुनिया की मदद करते हैं, जिस देश का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष पर कब्जा हो, दुनिया पर कब्जा हो, क्या वह अमेरिका जानते हुए भी कि आतंकवाद का हमला हो सकता है क्या वह रोक पाया ? इंग्लैंड में, लंदन में पता था कि आतंकवादी हमला हो सकता है । क्या वह हमला रोक पाया ? यहां रोकने का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि आतंकवाद कहां से पैदा हुआ है । हमें जानकारी है, हमने 4-4, 5-5 दिन कश्मीर के अंदर गुजारे हैं और सब लोगों से मिले भी हैं कि क्या पीड़ा है, क्या अविश्वास है । यह कारण है आतंकवाद का । हम इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहते । आज देश की सुरक्षा का सवाल है, किसको शादी की परवाह है । यह सही है कि डी0एम0 छुट्टी पर थे, डी0आई0जी0, गाजीपुर चले गये थे, आई0जी0 मौके पर थे । यह सही है कि कमिश्नरों की बैठक मैंने तुरन्त बुला ली थी । इससे शादी का कोई मतलब नहीं था गये और आ गये । जैसे ही पता चला, शादी-ब्याह छोड़कर हमने उन्हें तुरन्त जहाज से रवाना कर दिया । उन्होंने पुजारियों से मिलकर, हमारे महंतों से मिलकर सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया । मुझे आश्चर्य है कि विश्व हिन्दू परिषद् के सबसे बड़े नेता ने सबसे अच्छा भाषण दिया । मुझे खुशी है कि संकटमोचन मंदिर के उन पुजारियों, सहयोगियों, संचालकों ने अच्छी बातें कही हैं । वह बेमिसाल हैं । बनारस में साम्प्रदायिकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी । हम कहना चाहते हैं, कुछ बड़े नेता हैं महत्वपूर्ण पदों पर, उन्होंने इसको साम्प्रदायिक माना है । यह सब मानसिकता किसकी है ? यह हमारी मानसिकता नहीं रही है । अब भी हम ऐलान करते हैं कि हमारी प्राथमिकता देश है, और हमारे लिए देश सर्वोपरि है, सत्ता नहीं । हमने कभी सत्ता की कोई परवाह नहीं की है । हम सत्ता में रह सकते थे । जिन लोगों ने मरती हुई बी0जे0पी0 को बचाया है, 3-3 बार मिलकर सरकार बनाई हो, वह दंगा की बात करते हैं ? वह साम्प्रदायिकता की बात करते हैं । क्या नैतिकता है ? नैतिकता के आधार पर बोलने की हिम्मत है ? इसलिये हमने कहा कि परम्पराएं और नैतिकता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, संविधान और कानून से भी ऊपर हैं । आप यह देख रहे हैं कि इंग्लैंड का संविधान कैसे चल रहा है ।यह परम्पराओं और नैतिकता के आधार पर चल रहा है । कोई लिखित संविधान नहीं है । इस लोकतंत्र का जन्मदाता है इंग्लैंड का संविधान । उसकी परम्पराएं आज भी बनी हुई हैं । आज हमारी सरकार और एसटीएफ ने जो काम किया है, वह हिन्दुस्तान में कोई दूसरा नहीं कर पायेगा । आप सीबीआई की बात करते हैं ? कितने दिनों मे जांच करेगी ? नौ-नौ सालों से जांच पड़ी है, दस सालों में होती है । कितने केसेज फंसाये हैं सीबीआई ने? इस मुद्दे पर सीबीआई और एसटीएफ को आप रोकेंगे ? अभी कल की खबर थी । जो यहां पर प्रभारी था जो कि विस्फोट में माहिर माना जाता था, पूरे हिन्दुस्तान में जितने विस्फोट हुए हैं उसमें अधिकतर इसका हाथ था, वह मारा गया, तो इससे बड़ी एसटीएफ की सफलता

और क्या हो सकती है ? उसके बाद राजनैतिक आधार पर...यह राजनीति है ? देश रहेगा तो हम भी सदन में बैठेंगे और अगर नहीं रहेगा तो हम सदन में नहीं बैठ पायेंगे ।

मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं । बोलने के लिए तो दिल भरा है । झेला है । आप घटना की बात करते हैं । फौज की इंटेलीजेंस से लिखित है, जब मैंने कहा था और हमारा बयान था अटल जी ने स्वीकार किया था सबसे पहले मैंने कहा था संसद में, किसी की हिम्मत नहीं थी । मैंने कहा अटल जी, प्रधानमंत्री जी, यह शुभ अवसर है कि अफगानिस्तान पर हमला किया है अमरीका ने, किसी की हिम्मत नहीं थी विरोध करने के लिए, आज आपको मौका मिला है, दुनिया में कोइ देश विरोध नहीं करेंगे, सीमा पार जो ट्रेनिंग कैम्प हैं आतंकवादियों के, उसमें आप हमला कर दीजिये । हमला नहीं किया गया, हिम्मत नहीं हुई । उसके बाद अटल जी ने स्वीकार किया । यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं, प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक हुई थी, उस बैठक में उस दिन मैं भी था, माकपा के सुरजीत जी थे, वर्धन जी भी थे, जो बड़े-बड़े नेता माने जाते थे, उन्हें चयनित करके बैठक अटल जी ने अपने घर में बुलाया था और कहा था कि आतंकवाद के पीछे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पीछे कितना विनाश हुआ है दुनिया का, एक व्यक्ति को मारा जाना चाहिए था । एक व्यक्ति के पीछे अफगानिस्तान के कितने व्यक्तियों को नष्ट किया गया, यह मामूली घटना नहीं है । एक आतंकवादी के पीछे.... । मैं कार्यवाही में उसके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं । हमने राय दी थी, माननीय अटल जी, जसवंत सिंह जी, प्रमोद महाजन तथा अन्य नेता थे, मंत्रीगण थे अमरीका का साथ देने का ऐलान क्यों कर रहे हो ? जिस अमेरिका पर हमला करने वाला आतंकवादी इतना खतरनाक हो उसे सीधा हिन्दुस्तान से क्यों जोड़ रहे हो ? मैंने कहा कि आप भी सहानुभूति प्रकट करो केवल । अगर अमेरिका नहीं रोक पाया है तो हमारे हिन्दुस्तान में क्षमता नहीं है । क्यों इसको उकसा करके...क्यों कहा कि अमेरिका की मदद करेंगे ? अमेरिका ने क्यों कहा कि हमें हिन्दुस्तानी मदद नहीं चाहिए, हम पाकिस्तानी मदद लेंगे । मामूली भूलें हुई हैं ? देश के सामने हम बोलेंगे तो पता चलेगा । हमें पता है हमने गुजरात की घटनाओं के लिए, अक्षरधाम की घटनाओं के लिए हमने शुरुआत किया था । 14 गम्भीर घटनाओं में से 9 में मैंने शुरुआत की है । वह हमारी बहस पर सहमत भी हुए थे । मुझे इस बात की खुशी थी कि सबसे ज्यादा बीजेपी के सदस्यों ने अपनी मेजें थपथपायी थीं । उसके बाद डिफेंस की इंटेलीजेंस ने कहा कि मुलायम सिंह आतंकवाद के निशाने पर हैं । उसके बाद हमें आईएसआई के एजेन्ट बनाने की साजिशें कर रहे हैं ? देश को सर्वोच्च और सर्वोपरि मानते हुए हम सबको एक होना चाहिए और एक होकर के सबको मुकाबला करना चाहिए । यह मामला किसी दल का नहीं, किसी सरकार का नहीं उनका निशाना सरकार नहीं है, उनका निशाना है हिन्दुस्तान में अस्थिरता की स्थिति पैदा करना । उनका हिन्दू-मुसलमान से कोई वास्ता नहीं है, वह चाहते हैं कि मुसलमानों पर ज्यादा से ज्यादा जुल्म हों । वह चाहते हैं, आतंकवादी चाहते हैं कि जितना मुसलमानों पर जुल्म होगा उतना मुझे फायदा होगा । यह है उनकी नीति । मैं आपको बता रहा हूं, एक अध्ययन है, एक अनुभव है, आज से नहीं 1967 से हूं, सभी जानते हैं, किसी भी पद पर रहा हूं, महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूं और इस सदन के अन्दर भी मुख्यमंत्री ही नहीं नेता विरोधी दल के रूप में भी रहा हूं, और उस सदन में नेता विरोधी दल के रूप में भी रहा हूं रक्षा मंत्री रहा हूं, हमने रक्षा मंत्रालय जिस तरह से चलाया है, अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, सारी पुलिस बल्कि सारी फौज याद कर रही है । माननीय, आप तो रहे हैं भूतपूर्व से लेकर वर्तमान तक, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । हम चाहते हैं नेता विरोधी दल मौर्या जी और प्रमोद तिवारी जी, रामस्वरूप जी और हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल और माननीय संसदीय मंत्री पाचों छहों लोग मिल करके एक अच्छा सा प्रस्ताव

बनायें । अगर बन गया है प्रस्ताव तो हम एकता दिखा दें पूरी दुनिया के सामने, चाहे कितनी ताकतें हों, चाहे पूंजीवादी ताकतें हों, चाहे अवसरवादी ताकतें हों, चाहे सामन्तवादी ताकतें हों, चाहे साम्राज्यवादी ताकतें हों, हमारे हिन्दुस्तान का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है । हम एक रहेंगे, हम राजनीति से हटकर के एक जुट रहेंगे, हम प्रथम चाहे नौजवान हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे छात्र हों, हम प्रथम देश के नागरिक हैं और होकर के दिखाया भी । हमारे बीएचयू कालेज के लड़कों ने प्रेरणा दी है नौजवानों को । उन्होंने खून दिया है, अपने कपड़े फाड़े, टैण्ट फाड़े, धोतियां मिली, धोती मांग कर फाड़े, इस तरह से घायलों को उठा-उठा कर इलाज के लिए ले गये । किस तरह से वहां के मीडिया के लोगों ने मदद की है । एक आदर्श कायम किया है । जो हमारी विश्व संस्कृति का केन्द्र था हमारा प्राचीन शहर, वहां गंगा-यमुनी तहजीब की किस तरह सुरक्षा की है । हम आज कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वहां माइनॉरिटी के लोगों ने, सिक्खों ने और मुसलमान भाइयों ने, इसकी निन्दा की है और कड़ी कार्यवाही करने को कहा है, जिस तरह से टीवी से लेकर अखबारों तक हमने मिल कर काम किया है, सारे धर्मों के लोग हमारे पास आये और मिले और खुलकर बोले, व्यापारी भी थे, उद्योगपति भी थे और विश्व हिन्दू परिषद् के लोग भी थे, ईसाई भी थे, सिक्ख भी थे, मुस्लिम भी थे, सब बड़े-बड़े धर्मों के नेता थे । उन्होंने कहा हम कोई भी दंगा नहीं होने देंगे । मान्यवर, बयान ऐसे भी आ रहे हैं, बड़े-बड़े नेता चाहते थे कि दंगा हो । मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, जब पूरे प्रदेश के अन्दर, चित्रकूट में विस्फोट हुआ है, जाल फैला हुआ है, पूरे हिन्दुस्तान के साथ दुनिया में जाल फैला हुआ है, उस वक्त तो सारा प्रदेश एलर्ट था, उस वक्त हम आपके भारत बन्द और व्यापारियों में झगड़ा बचायें और आप दुकानें जबरदस्ती बन्द करायें ? मारपीट करें पुलिस से ? हम लोगों ने संसद से हमला ले करके और यह आपके अमरनाथ यात्रा पर हमला के मौका पर, ले गये थे, यह था माननीय अटल जी का । मैं उनकी सराहना करता हूं ऐसे मौके पर अटल जी ने राजनीति नहीं की और न किसी को करने दी, बुला-बुला कर बातचीत की, मीटिंग की और सब हम लोग बात करने वाले थे, हम सब मिलकर आपकी राय लेने वाले हैं अभी पहलेगांव में हमला हुआ था, क्या हमने राजनीति की थी ? संसद में हमने राजनीति की थी ? अक्षरधाम के मंदिर पर हमने क्या राजनीति की थी ?

मान्यवर, कहीं राजनीति हमने नहीं की, किसी दल ने नहीं की, किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की । हां, यह एक कमजोरी है आपकी यह आप कह सकते हैं कि उनको और कहना चाहिए, कि हम आपके साथ हैं । लेकिन एक शब्द कोई नहीं बोला है कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, देश के साथ रहेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ हैं, दल की खातिर नहीं सरकार की खातिर नहीं । एक शब्द नहीं बोला है । यह कहना था और तब पूरी तरह से मनोबल हमारे सुरक्षा बल का बढ़ता, मनोबल सरकार का बढ़ता । मनोबल सरकार का बढ़ाना चाहिए था । लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा, कि देश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है । हम पूरी तरह से सरकार के साथ नहीं हैं लेकिन देश की और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की खातिर हम आपका साथ दे रहे हैं और देश की एकता के साथ हैं । एक शब्द भी कोई नहीं बोला । इससे ज्यादा अफसोस की और कोई बात दूसरी नहीं हो सकती है ।

लेकिन जो हुआ सो हुआ । अब हमारी विनम्र प्रार्थना है पूरे सदन से कि आज सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल वोट का नहीं है । वोट बैंक की तो मैंने परवाह नहीं की है और आप सभी जानते हैं कि कभी परवाह नहीं की । मान्यवर, मुझे इतना अपमानित किया गया है, कि आज तक हिन्दुस्तान में किसी और को इतना अपमानित किया गया हो...। मुझे कहा गया

कि माँ या बाप एक मुसलमान जरूर हैं । लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना । यहां तक कि पर्चे बटे हैं । अगर पर्चे मेरे पास रखे हैं तो देखेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें गुजरात ले गया था । उसमें क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या खतरनाक बातें लिखी हैं लोगों के बारे में दलितों के बारे में, मौर्या जी जो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं उनके बारे में क्या-क्या लिखा है । वह किससे बातें हुई हैं ? लेकिन कभी मैंने जवाब नहीं दिया है और मान्यवर, जो हमने निर्णय लिया...। हम जानते थे कि हम सुरक्षा करेंगे मस्जिद की तो हमारी सरकार जायेगी । हमने सितम्बर में कह दिया था । हमसे पत्रकारों ने पूछा था, हमसे जार्ज फर्नांडीस साहब ने पूछा था, बड़े-बड़े नेताओं ने पूछा था । हमने कहा था कि हमारे साथ रहो कुछ दिनों के लिए, तकलीफ सहने के लिए बाहर आना होगा । हम जानते थे कि हम सुरक्षा करेंगे तो हमारी सरकार जायेगी । तो हम जानते थे, हमारी पराजय किस हद तक हुई ।

मान्यवर, उस समय शंकराचार्य जी का दौरा था, हमें दु:खी होकर कहना पड़ता है, वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और महान देशभक्त व्यक्ति हैं, लेकिन देश की सुरक्षा की खातिर हमें उनको गिरफ्तार करना पड़ा । हमें उसका दु:ख है कि शंकराचार्य जी को हमें गिरफ्तार करना पड़ा । लेकिन मैं सोच रहा था कि एक तरफ देश है और एक तरफ शंकराचार्य जी हैं । हमें देश की एकता और अखंडता को बचाना था । मान्यवर, उस समय मजबूरन गोली चलानी पड़ी हमारी पुलिस को । उन्हें अफसोस था, उन्हें कोई खुशी नहीं थी। लेकिन देश की खातिर 20-25 जनों का महत्व है या फिर सारे देश को बचाना है, यह बात थी । (व्यवधान)

मान्यवर, यह सही है कि अगर उस दिन मस्जिद गिर गयी होती और हमने नहीं बचायी होती तो फिर इस देश के अल्पसंख्यकों का पूरे देश से विश्वास उठ जाता और तब देश को कितना खतरा होता । मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हमारी सीमाओं में कितनी सुरक्षा लगी हुई है । वहां फौज है और सारी सीमा पर फौज लगी हुई है लेकिन उसके बाद भी लोग प्रवेश कर गये । वहां शिविरों में प्रशिक्षण हो रहे हैं । सरकार कहती है, केन्द्र सरकार नहीं छिपा रही है । सूचनाएं वह लोग दे रहे हैं । हमारी पांच या छ: बार बात हुई है । जब वाराणसी में अभी गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी आये थे तो उन्होंने हवाई अड्डे पर शिवपाल सिंह यादव का 15 मिनट इंतजार किया था और कहा था कि उनसे मिले बिना हम नहीं जायेंगे । उनकी शिवपाल सिंह यादव जी से अच्छी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है और हम लोग मिलकर आतंकवाद की इस स्थिति से मुकाबला करेंगे और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं ।

अब मीडिया क्या बोल रहा है, अखबार क्या लिख रहे हैं, वह अलग बात है । जब बात हुई तो यह कहा गया कि कौन कहता है कि इन कमान्डोज ने मना किया है । हमने कहा कि कब मना किया है तो कहा कि कहीं नहीं मना किया है ? अब इस तरह की बात कहेंगे बड़े-बड़े नेता (व्यवधान) जो उस कुर्सी पर बैठे हैं और हमेशा अच्छा बोलते थे । इसलिए आज जो हुआ सो हुआ, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं । लेकिन मेरी अपील है, विनम्र प्रार्थना है कि पूरा सदन आज देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, सब एक होकर के यह संकल्प करें कि देश में, प्रदेश में, चाहे दिल्ली में हो, कहीं आतंकवाद है, तो हम पूरी मजबूती के साथ, हमारी जनता हमारा सदन, हमारी फौज हमारे सुरक्षा बल मजबूती से खड़े हैं हम उनको बेनकाब नहीं करेंगे, उनको खत्म करेंगे, इसका संकल्प सदन लें ।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

दिनांक 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मन्दिर तथा रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले की भर्त्सना, घटना में दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि तथा दलीय सीमाओं से परे हटकर आतंकवाद को समूल समाप्त करने का संकल्प लिये जाने विषयक शोक प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन 07 मार्च, 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर तथा रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए इस निन्दनीय एवं कायरतापूर्ण घटना की एक स्वर से भर्त्सना करता है । इस आतंकवादी घटना में मारे गये निर्दोष व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है, घायलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है और इस घटना में दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है । यह सदन दलीय सीमाओं से परे हटकर राष्ट्र के सम्मुख आतंकवादी चुनौती का एकजुट होकर सामना करने व आतंकवाद को समूल समाप्त करने का संकल्प लेता है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो शोक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सदन के समक्ष पेश किया है उससे सम्पूर्ण सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, शोक प्रस्ताव हो गया है उसके बाद 2 मिनट का शोक मौन तो रखवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल अब हम 2 मिनट खड़े होकर मौन रखेंगे ।

(सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया ।)

मद संख्या 11-12 को आगे के लिए स्थगित करते हैं और मद संख्या 13 को लेते हैं ।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, आप स्पष्टीकरण भी नहीं दिलवायेंगे । कम से कम हमारे अधिकार हमको देना आपका दायित्व है । आपने हमको बोलने भी नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष-

आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा ।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

आपके निर्णय को शिरोधार्य तो कर रहा हूं लेकिन विरोध के साथ शिरोधार्य कर रहा हूं ।

दल बदल प्रकरण में हाईकोर्ट फैसले के अनुरूप बसपा सदस्यों को सदन में बैठने हेतु पार्टी सचेतक द्वारा व्हिप जारी करने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, दल बदल करने वाले 40 माननीय सदस्य हैं उसमें जो फैसला आया है हाईकोर्ट का ।

श्री अध्यक्ष-

उसमें मैंने निर्णय दे दिया है उसी निर्णय के अनुसार वह बैठेंगे वह मेरा अन्तरिम निर्णय है और उसमें तारीख लग गयी है और उसमें जो कुछ होना होगा आप 11 तारीख को कहिएगा । उसमें फैसला हो गया है ।

(मद संख्या 13 पुकारे जाने पर)

श्री इन्द्रजीत सरोज-

इसमें बहुजन समाज पार्टी के दल के नेता होने के नाते मैं अपने सभी बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को व्हिप जारी करता हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ।

नियम 56 की शेष सूचनाओं को लिए जाने की मांग

(कई सदस्यों द्वारा कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना के संबंध में पूछे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

12 पर चर्चा हो गयी, बाकी पर ध्यान आकृष्ट कर दिया है, कहिये तो पढ़कर सुना दूं । आज नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुयीं । श्री सुखदेव राजभर की आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील के ग्राम चौकी अनुसूचित जाति के मकान बुलडोजर से गिराये जाने के संबंध में, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की बागपत के पुलिस अधीक्षक आवास से हैण्डग्रेनेड बरामद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने विषयक श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । अब आज विधेयक पास होना है, अब आप मद संख्या-13 पर बोलिये ।

श्री हुकुम सिंह-

हम प्रस्ताव से पहले बोलेंगे ।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, नियमावली के नियम-128, 129 के हिसाब से 3 दिन पूर्व मिलना चाहिये, हम लोगों को आज कापी मिली है ।

श्री विद्यासागर गुप्त-

मान्यवर, हमारी भी नियम-56 की सूचना है ।

श्री अध्यक्ष-

देखिये एक पर तो चर्चा हो गयी । बाकी पर ध्यान आकृष्ट कर दिया है । लखनऊ वाला कल लेंगे ।

(श्री सुखदेव राजभर द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर)

मैंने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी है कि नियम-56 में एक ले लिया है, एक को कल लेंगे और बाकी पर ध्यान आकृष्ट कर दिया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमागत)

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, अगर यह विधेयक आज लिया जा रहा है तो फिर नियमावली को फाड़ कर फेंक दिया जाय, इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मुझे आगे पीछे करने का अधिकार है, आप बैठिये । श्री हुकुम सिंह जी आप संशोधन पर बोलिये ।

(कुछ सदस्यों द्वारा आवाजाही करने पर)

माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर बैठें ।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

अब मान्यवर, यह काम भी आप करेंगे । अगर वह बाहर जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं संशोधन पर नहीं बोल रहा हूं । मेरा कहना यह है कि आज यह विधेयक विचार

के लिये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । मैं कारण बता रहा हूं । मान्यवर, आप नियमावली का नियम-118 निकाल लें । इसमें है जिस विधेयक में व्यय अतर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।

मान्यवर, मैं सीधे-सीधे यह कहना चाहूंगा कि जो विधेयक में संशोधन यह लाया गया है कि जो दैनिक भत्ता है, उसके साथ में मानदेय भी बढ़ा दिया जाय । मानदेय बढ़ाने का मतलब यह होगा कि हमारा जो कन्सालीडेटेड फंड है, उससे पैसा लिया जायेगा । जब उससे पैसा लिया जायेगा तो व्यय तो होगा । जो संचित निधि है, संचित निधि से पैसा नहीं लेंगे तो मानदेय कहां से दिया जायेगा ? और अगर मानदेय दिया जायेगा तो निश्चित रूप से इसमें खर्चे का मामला आ जाता है, इस प्रकार से यह विधेयक सीधे-सीधे वित्तीय विधेयक को जाता है और इसके लिए मैं आपका ध्यान...

डॉ0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, नियम टूट रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

वाजपेयी जी, आप बहुत टिप्पणी न करें, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं । ऐसा नहीं है कि हम इस सदन में नहीं रहे हैं ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, यह कौल शकधर का पांचवा संस्करण है, इसके पेज 533 को देख लें । इसमें अंग्रेजी में लिखा है, इसे मैं पढ़ देता हूं, "ए बिल इन्वॉल्विंग इक्सपेन्डिचर फ्राम द कान्सालिडेटेड फण्ड आफ इण्डिया इज रिक्वायर्ड टू बी अकॉम्पनीड बाइ ए फाइनेंन्शियल मेमोरेण्डम व्हिच आउट लाइन्स द आब्जेक्ट्स आन विथ इक्सपेन्डिचर इज लाइकली टू बी इन्वाल्वड" इसमें भी वही लिखा है जो कार्य संचालन नियमावली के नियम-118 में लिखा है केवल देखना यह है कि जो वर्तमान विधेयक आया है, क्या उसमें कोई व्यय निहित है ? और अगर व्यय निहित है तो कहां से खर्च होने वाला है ? जो संशोधन आया है और जो यहां पर प्रस्तुत किया गया है उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में, उसमें है कि शब्द दैनिक भत्ते के स्थान पर शब्द मानदेय रख दिया जाए, तो मान्यवर, इसमें मानदेय बढ़ा दिया या नहीं और अगर मानदेय बढ़ा दिया तो खर्च तो आयेगा ही । इस पर मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा यह दायित्व है कि जो सही काम हो, मैं उसका समर्थन करूं और जो गलत काम हो, उसे आपके सामने रख दूं । दैनिक भत्ते के अलावा मानदेय भी हो गया । दैनिक भत्ता अब तक था, उसके साथ मानदेय भी बढ़ा दिया । अगर मान्यवर, बढ़ा दिया तो मानदेय के लिए वैधानिक रूप से वह पात्र हो जायेंगे । हो सकता है कि इससे पहले उनको मानदेय दिया जा रहा हो, किसी

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

शासनादेश के अनुरूप दिया जा रहा हो लेकिन आज मानदेय का मामला विधिक रूप से देने की बात होगी, कानून बनाकर देने की बात होगी । और कानून बनाकर मानदेय देने की बात होगी तो उस पर विधान मण्डल का अनुमोदन लिया जायेगा । विधान मण्डल का अनुमोदन लेने के लिए, कानून बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यहां पर एक वित्तीय ज्ञापन आये, जिससे कि हमें पता लगे कि इस पर कितना खर्च सरकार करने जा रही है । हो सकता है कि वह खर्च की राशि देखकर माननीय सदस्य उसको अनुमोदन दें या न दें । लेकिन मान्यवर, यह हमारा वैधानिक अधिकार है कि कितना खर्च मानदेय पर है, यह हमारा एक बिन्दु है । इसी के साथ मान्यवर, आपको भी जानकारी है कि जब कोई ऐसा विषय लिया जाता है तो कम से कम इसमें तीन दिन का समय दिया जाता है, वह हमें नहीं दिया गया है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नियमों को न तोड़ा जाए क्योंकि इसमें सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन है । नियम-118 हमारी नियमावली का है, उसमें प्राविधान है कि जहां पर खर्च वाली बात हो और संचित निधि पर भार पड़ता हो, तो वहां पर वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए और अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि वित्तीय ज्ञापन देने के पश्चात् ही यह प्रस्ताव सदन में आये ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही कॉमन सा, एक बहुत आम सा संशोधन है, और संशोधन यह है कि सूची में जितने निगम पहले से शामिल हैं, उनमें से किसी को भी हटाया नहीं गया है बल्कि किन्हीं कारणों से कुछ निगम जो रह गये थे, उनको मात्र इसमें शामिल किया गया है, यह वैधानिक संवैधानिक अधिकार है सदन का । यह कोई नया बिल नहीं है, कोई नया कानून नहीं बन रहा है, बल्कि मैं समझता हूं कि एक सौहार्दपूर्ण तब्दीली, एक सौहार्दपूर्ण इंडोर्समेंट है, वह किया गया है, जिसकी पहल आज उत्तर प्रदेश कर रहा है । यह राष्ट्रीय स्तर पर भी होने वाला है पार्लियामेंट में भी ऐसा ही बिल आने वाला है और ऐसा ही कानून बदला जाने वाला है, वहां भी तैयारी हो गयी है । इसे आप जिस वजह से कह रहे हैं, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं । उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए । सत्ताएं बदलती रही हैं लोग इधर से उधर और उधर से इधर आते रहते हैं । जिन समस्याओं का कल आपको समाना करना होगा, उन परेशानियों का कानून की परिधि में, संविधान की परिधि में, निदान हो जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए । एक एतराज है हुकुम सिंह जी को दैनिक भत्ता और मानदेय का । आप वरिष्ठ सदस्य हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे सभी निगम जिनमें अध्यक्षों को राज्यमंत्री या मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनको जितनी सेलरी या दूसरी सहूलियतें मिलती हैं उससे ज्यादा इसमें प्राप्त नहीं होगा । तो इससे मानदेय या दैनिक भत्ते का फर्क नहीं पड़ता । एक बहुत बड़ा लीगल लैकूना था, टैक्नीकल लैकूना था जिसकी वजह से परेशानी खड़ी हुई थी जिसको दूर किया गया है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपका कहना है कि वित्तीय मामला इन्वाल्व है । इस संशोधन विधेयक से कोई नया वित्तीय भार तो नहीं आ रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है । इसलिए मैं चाहूंगा कि हुकुम सिंह जी अपने ऐतराज को वापस लें औरइ इसका स्वागत करें । यह तो हमारी राजनीतिक उदारता कहिये कि जब

आप सत्ता में थे हमने कोई उंगली नहीं उठायी थी वरना आपको संकट से गुजरना पड़ता लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सरकार के काम काज में कोई बाधा उत्पन्न हो ।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा बिल्कुल सीधा-सीधा एक कानूनी बिन्दु है । अब तक जो सुविधायें अनुमन्य थीं उसमें मानदेय शामिल नहीं था । आप 1971 का जो एक्ट है उसमें संशोधन करने जा रहे हैं । 1971 के एक्ट में जो सुविधायें उपलब्ध थीं, यह एक्ट मेरे पास है ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, उसी का संशोधन है, उसका एडीशन है । जो एक्ट प्रिवेल करता है उसका एडीशन संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य का कहना है कि 1971 के एक्ट में जो सुविधायें थीं उसमें मानदेय शामिल नहीं था ।

श्री हुकुम सिंह-

मानदेय बढ़ा रहे हैं तो संचित निधि पर भार होगा या नहीं ? (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा कुछ कहने पर) नरेश जी आप तो विद्वान हैं, आप ही समझा दें ।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

जो खुद ही भटकना चाहते हैं तो उन्हें रास्ते पर कैसे लाया जाय ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कमी है, तो है । 1971 के एक्ट में संशोधन करने का विधेयक लाये हैं । 1971 में जो सुविधायें उपलब्ध थीं उन सुविधाओं में मानदेय शामिल नहीं था, एक्ट आपके सामने है, मेरे भी सामने है । इसमें आप चाहते हैं कि मानदेय शामिल कर दिया जाय । मानदेय शामिल करने की बात आ गयी तो सीधे संचित निधि पर भार होगा तो इसमें वित्तीय ज्ञापन आना चाहिए । यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम-118 तथा कौल और शकधर में भी है । मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो आप समझा दीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

समझने-समझाने की गलती हो रही है । मानदेय/दैनिक भत्ता सिर्फ टेक्नीकल टर्म को मॉडीफाइ किया गया है और कुछ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि जो पहले से मिलता था उसमें मानदेय अलग से होगा तो वित्तीय भार बढ़ा ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ा है, सिर्फ उसके दैनिक भत्ते में शब्द 'मानदेय' बढ़ा दिया गया है । कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ा है ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि केवल मानदेय बढ़ाया है । इसमें मानदेय, (कामा) दैनिक भत्ता है । दोनों चीजें हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इसका एक्सप्लेनेशन सुनिये । अगर मानदेय/दैनिक भत्ता होता अगर मानदेय एवं दैनिक भत्ता होता, अगर मानदेय और दैनिक भत्ता होता तो इसके अर्थ होते दूसरे । आजम खाँ, मेरा नाम पूरा हो गया । मोहम्मद आजम खाँ, यह भी पूरा हो गया । (हंसी)

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

शब्दों की बाजीगरी से इस विधेयक की वैधानिकता नहीं बन जायेगी । इसमें वित्तीय ज्ञापन की जरूरत थी ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

कोई आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है कि सदन इसे सर्व सम्मति से पारित करे ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो 1971 का एक्ट है उसको जरा पढ़ लें । इसमें परिभाषा दी गयी है, धारा-2 में। इंग्लिश में है मैं हिन्दी अनुवाद कर दूंगा "इन दिस एक्ट अनलेस द कान्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स कम्पेन्सेटरी अलाउन्स मीन्स एनी सम आफ मनी पेएबल टू द होल्डर आफ एन आफिस बाइ वे आफ डेली एलाउन्स, हाउस रेन्ट अलाउन्स, ट्रेवलिंग अलाउन्स वेयर द पर्पस आफ इनेब्लिंग हिम टू इक्विप एनी इक्सपेन्डिचर" मान्यवर, इसमें चारो-पांचों मदें दी गयी हैं, उसमें मानदेय भी शामिल है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मानदेय और दैनिक भत्ता एक नहीं है ।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)-

मानदेय और दैनिक भत्ता दोनों एक चीजें हैं ?

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

इसमें कामा है । माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी कामा लगा होने के बावजूद कह रहे हैं कि एक ही शब्द है । भावी पीढ़ी के बच्चे जो तैयार हो रहे हैं शायद ऐसे ही तैयार होंगे ।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने पढ़कर सुना दिया । जो विधेयक आया है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

एक चीज बार-बार कहने का कोई औचित्य नहीं है । जो बात कही गयी उसका उत्तर दे दिया गया है । बार-बार एक ही बात कहने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, जो भत्ता है और जो मानदेय है उसको एक मान रहे हैं । आप अपना संशोधन प्रस्तुत करिये । स्पष्टीकरण दे दिया तो खत्म हो गयी बात ।

श्री हुकुम सिंह-

आप विधेयक पढ़ें, एक कैसे है ?

श्री अध्यक्ष-

आपने कह दिया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सभी स्पष्ट कर दिया कि मेरा आशय मानदेय और भत्ता एक ही है, अलग कुछ नहीं है इसलिये वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है । आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करिये । मैंने निर्णय दे दिया । इस पर निर्णय हो गया अब आगे रखिये जो रखना है । अब संशोधन रखिए ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि अभी तक हुकुम सिंह जी ने जो बातें कही हैं वह क्या थीं ।

श्री अध्यक्ष-

अभी तक वह संवैधानिक स्थिति बता रहे थे कि इसलिये यह नहीं रख सकते हैं ? अब वह संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । मान्यवर, यह विधेयक सरकार जो लाई है वह नियमावली और संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन करके लाई है । यह हड़बड़ी में लाया गया है । यह अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 नहीं है बल्कि यह सरकार बचाओ विधेयक है । इसमें नियमावली के` नियम 128 का उल्लंघन किया गया है । इसके अलावा यह सरकार यह विधेयक तब लाई जब उसको लगा कि [xxx xxx] जो राज्य सभा सांसद हैं ।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम क्यों लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मा0 यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

नाम कार्यवाही से हटा दिया जाय ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इसी मानसिकता की वजह से यह संशोधन लाया गया है ।

श्री अध्यक्ष-

इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

वह हटा दीजिए । एक माननीय सांसद के प्रकरण में निर्वाचन आयोग में परीक्षण होने की वजह से व महामहिम राष्ट्रपति को मामला संदर्भित करने की वजह से...

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए था लेकिन जिस तरह से बहस चल रही है, उस पर मुझे घोर आपत्ति है । क्या हम राष्ट्रपति पर बहस करेंगे या जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उस पर बहस करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

उस पर नहीं करेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

तो क्यों बहस हो रही है ? यहां पर संसदीय परम्पराओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है । कार्यवाही में लिखवाने के लिए निराधार बातें करेंगे । अगर हम इस पर बोलना शुरु कर देंगे तो आप भाग जाएंगे ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, एक प्रकरण निर्वाचन आयोग के पास है इसके अलावा राज्य विधान मण्डल अनर्हता निवारण विधेयक 1971 बना है उसमें कुछ पदों की सूची दी गई है उन पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है ।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म करिए ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

न बोलें । मौका तो दें ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

यह प्रतिपूर्ति विधेयक है । अगर कोई वास्तविक व्यय होता है जैसे यात्रा व्यय, मकान भत्ता व अन्य इसी तरह के व्यय यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसकी प्रतिपूर्ति को मानदेय के रूप में दिया जायेगा । यह प्रतिपूर्ति किस नियम के तहत होगी । इसी तरह का एक विधेयक जब संसद में पेश किया गया था तो इस पर भार्गव समिति का गठन किया गया था और उसने तीन साल इस पर विचार विमर्श किया था और इस पर अन्तिम निर्णय लिया था और जब संसद में विधेयक के रूप में 1956 में पेश किया तो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया था प्रवर समिति ने भार्गव समिति की सिफारिशों में संशोधन किया था तो उन संशोधन के अनुरूप भारत सरकार ने संसद में विधेयक लाया और 1957 में पहली बार वह विधेयक पेश हुआ फिर उसके बाद सदन की एक समिति बनी जो प्रतिवर्ष इस सम्बन्ध में प्रोफिट और लॉस के बारे में उस समिति ने समय-समय पर विचार करके अपनी संस्तुति उस पर हर दो तीन साल बाद संसद को दी। मैं यह नहीं कहता कि यह विधान सभा का अधिकार नहीं है। यह विधान सभा का अधिकार है और उसका सदुपयोग होना चाहिए दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। आडिट आफ प्रोफिट तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये बाजपेई जी काफी बहस हो गई है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

ऐसे कैसे पास होगा ?

श्री अध्यक्ष-

आपने पूरी बात कह ली है। इससे अलग क्या बात आयेगी ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं विरोध स्वरूप नहीं बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप दो मिनट में अपनी बात कहियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 191 में यह प्राविधान किया गया कि कोई भी सांसद सदस्य या विधान सभा सदस्य पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। फिर उसके बाद उसका स्पष्टीकरण दिया गया। स्पष्टीकरण में प्राविधान किया गया कि मंत्री पद अपवाद होगा। मंत्री पद पर यह पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जायेगा। उसमें मंत्री शब्द का उल्लेख था इसलिये बार-बार यह विवाद पैदा हो रहा था कि मंत्री के लिये छूट है और पदों के लिये है। इसलिये पहली बार इसमे संशोधन किया गया कि मंत्री के लिये छूट है इसीलिये कोर्ट ने उसमे संशोधन किया और इसीलिये संसद में 1971 में राज्य मंत्री और उप मंत्री और उसके साथ-साथ कुछ अन्य लोग शामिल किये गये जिसकी सूची लगी है। चेयरमैन भी उसमें दिये गये। उसी सन्दर्भ में यह धारा-2 है जिसमें परिभाषित किया गया है और यह कहा गया कि कम्पेन्सेटरी एलाउन्स का मतलब क्या है ? जैसा अभी कहा गया कि प्रतिपूर्ति यानि जो हमने खर्च किया है उसकी प्रतिपूर्ति कहीं से हो जाय। जितना पैसा विभिन्न निगमों के चेयरमैन जो थे उनको छूट दी गई कि वे जो खर्च करेंगे अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये उसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी और इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये। सबसे पहले शासनादेश 1991 में और अंतिम शासनादेश 2005 में जारी हुआ। इसमें धनराशि पहले कम थी उसको फिर बढ़ाया गया और फिर बढ़ाई गई। मानदेय भी शामिल कर दिया गया। अब केवल दो बातें रह जाती हैं।

(व्यवधान)

मैं एक शब्द भी इररेलेवेंट नहीं बोलूँगा। मान्यवर, 1971 का जो एक्ट था उसकी कॉपी मेरे पास है, आपके पास भी होगी। उसमें थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा ताकि बात स्पष्ट हो जाय। डेफिनेशन- इन दिस एक्ट अनलेस द कान्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्स कम्पेन्सेटरी अलाउन्स व्हिच मीन्स एनी सम आफ मनी पेबल टू द होल्डर आफ ए आफिस बाइ वे आफ डेली अलाउन्स, कन्वेन्स अलाउन्स, हाउस रेन्ट अलाउन्स, ट्रेवलिंग अलाउन्स फार द पर्पस आफ इनेबिलिंग हिम टू इक्विप एनी इक्सपेन्डिचर इन्वर्ड बाइ हर इन परफार्मिंग फंक्शन आफ देअर आफिस.

अपने दायित्वों के निर्वहन में जो कुछ उसने खर्च किया है उसकी अदायगी शासन से की जायेगी। कम्पन्सेशन के रूप में केवल इतनी मदें हैं इसमें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह सारी बातें पहले से हैं। जाहिर है कि कोई अध्यक्ष होगा तो उसका कार्यालय भी होगा, उसकी गाड़ी भी होगा। अब आप हुकुम सिंह जी बैक डोर से,

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई है हुकुम सिंह जी।

श्री अध्यक्ष-

जबाव सुन लें।

श्री हुकुम सिंह-

अभी मेरा आया कहाँ।

श्री अध्यक्ष-

आपको तो एक घंटे का समय लगेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मुझे शिकायत कोई नहीं है। जब यहाँ बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो बहस करनी चाहिए। आप मानें या न मानें। कहने का अवसर मिले मै आपका इतना सम्मान करता हूँ।

(मुख्य मंत्री जी के कुछ कहने पर)

श्री हुकुम सिंह-

कहने का अर्थ है।

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अंत कहा।

श्री गुलायम सिंह यादव-

अर्थ तो आपकी बात का होगा। आपकी बात का अंत होगा या नहीं। यह कहा।

श्री हुकुम सिंह-

जहाँ तक मेरी जानकारी है आप मेरा अंत कभी नहीं चाहेंगे।

श्री गुलायम सिंह यादव-

मैंने अंत नहीं चाहा-याद करो वह दिन, याद है बस इतना। (हँसी)

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करें।

श्री हुकुम सिंह-

आपका सहयोग मिल रहा है। संरक्षण चाहिए। मैंने उन मदों को पढ़ा। जो मदें अनुमन्य थीं एक बात बीच में आ गई। इस पर संसदीय [illegible] मंत्री जी इसलिए बल दे रहे हैं कि पहले से है। जो कुछ आज तक हुआ वह शासनादेश के आधार पर हुआ। अब विधिक रूप देना चाहते हैं। अभी तक कहीं एक्ट में प्राविधान नहीं था। अब इन मदों को अलग से मान्यता दे सकते हैं। एक्ट में कुछ कहना चाह

रहे हैं शासनादेशों में था अब इसमें जोड़ दिया आप पढ़ें-संशोधित धारा है उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम-1973 की जिसे आगे मूल अधिनियम में कहा गया है धारा-2 क के खंड 4 में शब्द दैनिक भत्ते के स्थान पर शब्द मानदेय, दैनिक भत्ता रख दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

इसमें निर्णय हो चुका है। आप अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

इस सदन में संविधान के जानकार वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं आग्रह कर रहा हूँ। समस्या मानदेय की होती है, मानदेय क्या है। एक तो प्रतिकर और एक मानदेय, इसमें आ गया। विधिक रूप से मानदेय इसमें शामिल करना चाहते हैं। मानदेय का मतलब आनरेरिया, आनरेरिया। कम्पन्सेशन से मतलब नहीं है। यह मानदेय है मानदेय को विधिक रूप देना चाहते हैं। इसका कारण है। सरकार को अधिकार है इन कारणों को दूर करने का, प्रश्न यह है जो आप लाए हैं। इस मानदेय को शासनादेश के आधार पर देने की बात कह रहे हैं यह रूप क्यों देना चाहते हैं इसको बताना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें। मुख्य मंत्री जी को जाना है।

श्री हुकुम सिंह-

आपको जाना है जाइए।

श्री अध्यक्ष-

आप खत्म करें। आपकी बात आ गई है।

श्री हुकुम सिंह-

कौन सी बात आ गई ?

श्री अध्यक्ष-

कौन सी बात नहीं आई यह बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

अभी तो शुरू नहीं हुआ। ऐसा न करें।

श्री अध्यक्ष-

विधेयक पास करने का तीन घंटे का समय थोड़े ही रहता है।

श्री हुकुम सिंह-

हम भी आठवीं कक्षा तक आपके इसी क्लास में विद्यार्थी रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम आप साथी रहे हैं। जब वहाँ रहते थे तो कहते थे बात हो गई। बहुत हो गया।

श्री हुकुम सिंह-

हम भी वहाँ रहे हैं। आप भी यहाँ रहे हैं। चूँकि नेता सदन बैठे हैं, आप बैठेंगे तो अच्छी बात हो जायेगी। एक बात का ध्यान रखें, आप जब पार्लियामेन्ट में थे, संविधान में संशोधन आया, दबाव में आकर के लम्बी-लम्बी फौज मंत्रियों की खड़ी कर रहे थे, किसी ने संज्ञान लिया और सर्वसम्मति से पार्लियामेन्ट में पास हुआ और एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी गई। मैं किसी भी सरकार को इससे बचाना नहीं चाहता हूँ, हमारी हो या आपकी हो, किसी की भी हो। बहुत जगहों पर 40 सदस्यों में से 36 मंत्री थे। इसके लिए संविधान संशोधन करने का प्रयास किया गया कि खजाने पर इतना भार नहीं होना चाहिए। जब संशोधन हो गया तो आपने उसको परास्त करने के लिए एक तरीका निकाला और उन्हें मंत्रियों का दर्जा न देकर चेयरमैन बना दिया और राज्य मंत्री का स्तर दे दिया। जिस संविधान संशोधन को पारित कराने में आप सबसे आगे थे, उसी को परास्त करने की आप भूमिका निभा रहे हैं। कम्पन्सेट्री एलाउन्सेस तो ठीक था लेकिन आपने मानदेय भी कर दिया। जब मंत्री नहीं बना सकते थे तब उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देकर चेयरमैन बना दिया। जब आप राजनैतिक रूप से परेशान हैं, आपको उनका समर्थन चाहिए, उन्हें प्रलोभन दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

अन्त में मैं इतना आग्रह करूँगा कि मान्यवर, जब आप खाली हो जायें तो इतना जरूर कर लें कि ज्यादा आपने बोला या हमने बोला है ?

श्री अध्यक्ष-

देख लेंगे, आपको रोकना पड़ता है क्योंकि आप असीमित बोलते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आग्रह करूँगा कि जिस संविधान संशोधन को पारित कराने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मंत्रियों की सीमा निर्धारित की, उसी संविधान संशोधन को परास्त करके कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, इसे वापस ले लें और एक स्वस्थ परम्परा को बनाये रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, सही बात है, राज्य सभा का ही सीधा वोट डालने की हमने भूमिका निभाई है। हमने एक चिट्ठी लिखी, बहुत कुछ हमने संसद में रहकर सुझाव दिये।

कितने लोग, कैसे-कैसे लोग क्षेत्रीय नेता आने लगे थे, एक वोट नहीं उनके लेकिन 56-50 वोट मिले। एक वोट नहीं लेकिन वह राज्य सभा के लिए जीत गये। कैसे-कैसे माफिया गये, उनको रोकने के लिए हमने कोशिश की और बहुत मुश्किल से समझाया। मैं धन्यवाद देता हूँ अटल बिहारी बाजपेयी जी को और लाल कृष्ण आडवाणी जी को, उन्होंने बात मानी। हमने हमेशा काम किया है, हम सब जानते हैं लेकिन हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। नौकरशाह जो है, जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनमें लोकलाज है, उन्हें जनता के बीच जाना पड़ता है। आप जब तक प्रोफेशन में थे, आप अपने दफ्तर देखो, हम अपने दफ्तर देखें, किसके दफ्तर अच्छे हैं ? कितनी फिजूलखर्ची, शौकीनी, गाड़ियों पर कितना खर्च होता है ? चेयरमैन कितने हैं ? नौकरशाह ट्रांसफर हो जाएगा, दिल्ली चला जायेगा, कोई जवाबदेही नहीं है। यह चीज क्यों लग गयी ? पहले संसदीय कार्यमंत्री जी ने कोई बात नहीं छिपायी है न संविधान को तोड़ने की बात छिपी है न कोई नीयत खराब है। जो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, उनकी कटौती करके नौकरशाहों को बढ़ाना उचित नहीं है।

(श्री लालजी टण्डन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम नहीं है।

***नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-**

कम से कम आप यह पाप न करायें कि मैं कहूँ कि आप क्या कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

इतनी देर से एक विधेयक पर चर्चा हो रही है। आप सदन में रहे हैं, आप भी मंत्री रहे हैं। इतनी देर तक विधेयक पर चर्चा नहीं हुयी है। आप माननीय नेता विरोधी दल हैं आपको अधिकार है कि आप अपनी बात कहें।

श्री लालजी टण्डन-

संशोधन हो या न हो विधेयक के ऊपर पहले बहस करने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष का है।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, विधेयक पर 5-5 घण्टे बहस चली है।

श्री लालजी वर्मा-

सात घण्टे भी बहस चली है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से निगम ऐसे हैं जिनके अलग-अलग विधेयक बने हैं। उन विधेयकों में उन्हें क्या सुविधा मिलेगी और क्या उनका अधिकार होगा उसमें इस बात को डिस्क्राइब किया गया है। अब इस संशोधन से उनकी क्या लीगल पोजीशन होगी जिनके विधेयकों में कोई संशोधन नहीं किया गया और यह आप संशोधन करने जा रहे हैं। जब करना है तो इनके विधेयकों में संशोधन करना पड़ेगा जैसे-जल निगम, हाउसिंग बोर्ड के अलग-अलग विधेयक हैं । सीमेंट कार्पोरेशन का अलग विधेयक है । यह जो विधेयक हैं उसमें सुविधाएँ और स्टेटस वर्णित है उसमें बिना संशोधन के इस संशोधन से कैसे सबको एक गज से नाप देंगे। मेरा कहना है कि इसमे आप एक प्रवर समिति बना दें जो इस पर विचार कर ले या इस पर फिर से विचार कर लें जो बिन्दु मैंने उठाए हैं मैं चाहूँगा कि इन बिन्दुओं पर नेता सदन ध्यान देंगे कि यह बहुत काम्प्लीकेटेड विषय है और केवल कुछ लोगों को अनर्हता से बचाने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है जिसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे और इसमें वित्तीय उपाशय आ जाएगा और सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अंदर सदन मे प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायगा।

(2) यह पहली जनवरी, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 के खण्ड (क) में शब्द "दैनिक भत्ता" के स्थान पर शब्द "मानदेय, दैनिक भत्ता" रख दिया जायगा।

धारा 3 का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 3 में, - (क) खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा :-

(भ) निम्नलिखित निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद अर्थात्-

1-उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन
2-उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन
3-उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन
4-उत्तर प्रदेश स्टेट आवास एवं विकास परिषद्
5-उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
6-उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
7-उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
8-उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
9-उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड
10-उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड

11-उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड
12-उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन
13-हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
14-प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड।
15-इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड
16-उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन
17-पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड
18-बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड
19-उत्तर प्रदेश विकास परिषद्
20-उत्तर प्रदेश जल निगम
21-उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्
22-उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आयोग
23-उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद्
24-उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम
25-उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड
26-उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम
27-उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड
28-उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम
29-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
30-भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम
31-उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
32-उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम
33-बीज विकास निगम
34-वक्फ विकास निगम
35-उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
36-उत्तर प्रदेश डेस्को
37-प्रोजेक्ट कारपोरेशन
38-उत्तर प्रदेश वन निगम
39-पौल्ट्री एवं लाइवस्टाक स्पेशल्टीज लिमिटेड
40-गन्ना शोध परिषद्, उत्तर प्रदेश
41-गन्ना किसान संस्थान
42-गन्ना बीज विकास निगम
43-प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन
44-अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
45-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
46-समाज कल्याण निगम
47-सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
48-उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान

49-उत्तर प्रदेश युवा कल्याण परिषद्
50-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
51-उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ
52-उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्
53-उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान
54-बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति उत्तर प्रदेश
55-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद्
56-वित्तीस संसाधन परामर्शदाता, उत्तर प्रदेश
57-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग
58-उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्
59-प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन, उत्तर प्रदेश
60-उत्तर प्रदेश राज्य व्यापार कर सलाहकार समिति
61-भारतेन्दू नाट्य अकादमी, लखनऊ
62-उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग
63-उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग
64-उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर फूड प्रोसेसिंग फेडरेशन
65-उत्तर प्रदेश श्रम निर्माण सहकारी संघ
66-उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग
67-उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
68-भू-उपयोग परिषद्
69-उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ
70-श्रम कल्याण परिषद्, उत्तर प्रदेश
71-विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद्, उत्तर प्रदेश
72-न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश
73-राज्य ललित कला अकादमी
74-आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान
75-आर्थिक परामर्शदाता उत्तर प्रदेश शासन
76-उत्तर प्रदेश पैक्स फेडरेशन
77-यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक
78-उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक
79-जिला सहकारी बैंक
(ख) खण्ड (ग) निकाल दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव-

खुश होना चाहिए, कभी-कभी आपका साथ दे देते हैं।

(इसी मध्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री विद्यासागर गुप्त तथा श्री सुरेश चन्द्र तिवारी सदन के फ्लोर पर आ गये और लखनऊ दंगे पर चर्चा की माँग करने लगे जो नेता विरोधी दल के प्रयास से अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, हम मत विभाजन की माँग करते हैं।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हम मत विभाजन की माँग करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब यह विधेयक पारित हो गया है। बैठ जायें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपने तो अनर्थ कर दिया।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम शुक्रवार, दिनाँक 18 फरवरी, 2005 के तारांकित प्रश्न संख्या- 35 के उत्तर के सम्बन्ध मे निदेश संख्या 165/166 के अन्तर्गत संशोधित उत्तर एवं निदेश संख्या-166 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना

***राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम शुक्रवार, दिनाँक 18 फरवरी, 2005 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या- 35 के उत्तर के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (बारहवां संस्करण)" के निदेश संख्या-165/166 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनाँक 18 फरवरी, 2005 के संदर्भ में उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या- 35 का संशोधित उत्तर एवं प्रक्रिया निदेश के निदेश संख्या- 166(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना सदन को देता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र-2005 के पहले शुक्रवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-35 के उत्तर के संबंध में "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या-165/166 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक 18 फरवरी, 2005 के संदर्भ में निदेश संख्या-166 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर" ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
35-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-द्वितीय, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ हेतु किन -किन परियोजना हेतु कितनी-कितनी राशि अवमुक्त की गयी है ? क्या स्वीकृत राशियों का उपयोग उन्हीं	35-वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में विद्युत जनपद पारेषण खण्ड द्वितीय, उ0 प्र0 कारपोरेशन लि0 लखनऊ को विभिन्न परियोजनाओं हेतु निम्नवत् राशि अवमुक्त की गयी-(धनराशि लाख रु0 में) परियोजना — वर्ष 2002-03 — वर्ष 2003-04 — वर्ष 2004-05 1-220 के0वी0 उपकेन्द्र हरदोई रोड, लखनऊ — 64.00 — 12.00 — -- 2-400 के0वी0 उपकेन्द्र — 6.00 — -- — --	35-वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में विद्युत जनपद पारेषण खण्ड द्वितीय, उ0 प्र0 कारपोरेशन लि0 लखनऊ को विभिन्न परियोजनाओं हेतु निम्नवत् राशि अवमुक्त की गयी-(धनराशि लाख रु0 में) परियाजेना — वर्ष 2002-03 — वर्ष 2003-04 — वर्ष 2004-05 1-220 के0वी0 उपकेन्द्र हरदोई रोड, लखनऊ — 64.00 — 12.00 — --	प्रश्न का सही उत्तर न देने के लिये श्री मुनीन्द्र कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-द्वितीय, लखनऊ द्वारा श्री राकेश कुमार शर्मा ठेकेदार को जनवरी, 2005 में रु0 3,10,528.29 का जो भुगतान किया गया वह अन्य मदों हेतु उपलब्ध धनराशि में से नियम विरुद्ध

1	2	3	4
मदों में व्यय किया गया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सुल्तानपुर पर स्थित माइक्रोवेव हेतु आवासीय भवन 3-132 के0वी0 18.00 17.10 -- उपकेन्द्र मिल्कीपुर (फैजाबाद) 4-अयोध्या 4.00 8.00 -- (फैजाबाद) में टावर्स की सुरक्षा संबंधी कार्य 5-132 के0वी0 -- 6.00 -- उपकेन्द्र, जगदीशपुर पर हैदरगढ़ शुगर मिल हेतु ""बे" का निर्माण 6-400 के0वी0 -- 23.40 26.00 उपकेन्द्र सुल्तानपुर पर ए0एल0डी0एस0 हेतु आवासीय भवन 7-132 के0वी0 -- 17.00 12.00 उपकेन्द्र, खुर्रमनगर, लखनऊ 8-132 के0वी0 उपकेन्द्र-- 8.00 15.00 मार्टिनपुरवा, लखनऊ	2-400 के0वी0 6.00 -- -- उपकेन्द्र सुल्तानपुर पर स्थित माइक्रोवेव हेतु आवासीय भवन 3-132 के0वी0 18.00 17.00 -- उपकेन्द्र मिल्कीपुर (फैजाबाद) 4-अयोध्या 4.00 8.00 -- (फैजाबाद) में टावर्स की सुरक्षा संबंधी कार्य 5-132 के0वी0 -- 6.00 -- उपकेन्द्र, जगदीशपुर पर हैदरगढ़ शुगर मिल हेतु "बे" का निर्माण 6-400 के0वी0 -- 23.40 26.40 उपकेन्द्र, सुल्तानपुर पर ए0एल0डी0एस0 हेतु आवासीय भवन	निधि विचलन करके किया गया । उक्त अनियमितता के लिये दोषी पाये जाने के कारण उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा श्री मुनीन्द्र कुमार को निन्दा प्रविष्टि प्रदान कर दी गयी है ।

1	2	3	4
	9-132 के0वी0 -- 5.00 15.00 उपकेन्द्र, अम्बेडकर नगर	7-132 के0वी0 -- 17.00 12.00 उपकेन्द्र, खुर्रमनगर, लखनऊ ।	
	10-अन्य विविध 10.72 5.61 10.98 पूंजीगत कार्य	8-132 के0वी0 -- 8.00 15.00 उपकेन्द्र, मार्टिनपुरवा, लखनऊ	
	कुल योग 102.72 102.11 78.98		
	जी हां । प्रश्न नहीं उठता।	9-132 के0वी0 -- 5.00 15.00 उपकेन्द्र, अम्बेडकर नगर	
		10-अन्य विविध 10.72 5.61 10.98 पूंजीगत कार्य	
		कुल योग 102.72 102.11 78.98	
		परियोजनाओं के लिये उपलब्ध धन के अतिरिक्त तत्समय खण्ड में अन्य कार्यो के लिये उपलब्ध धनराशि से 132 के0वी0 उपकेन्द्र गोमतीनगर लखनऊ पर निर्माणाधीन महाप्रबंधक (जनपद पारेषण, के कार्यालय हेतु ठेकेदार को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद पारेषण खण्ड द्वितीय, लखनऊ द्वारा माह जनवरी, 2005 में रुपया 3,10,528.28 का भुगतान किया गया ।	

(लखनऊ में हुई हिंसा और लूटपाट से संबंधित सूचना पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से चर्चा की मांग करते रहे जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि सूचना अगले दिन ली जायेगी लेकिन फ्लोर में आए सदस्यगण लगातार मांग करते रहे)

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वसीम अहमद पीठासीन हुए)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा†

श्री अधिष्ठाता-

आय व्ययक पर चर्चा । इसमें श्री संतीश महाना जी बोल रहे थे । सतीश महाना जी बोलें।

(सतीश महाना जी द्वारा न बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं श्री राम करन आर्य जी को बुला रहा हूं ।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे साधारण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । (व्यवधान)

मान्यवर, सकल आय 80540.47 करोड़ रूपया है व्यय 82840.96 करोड़ है । घाटा 2006-07 का 2309.49 करोड़ का है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार लखनऊ दंगे पर चर्चा की मांग करते रहे ।)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग अपनी सीटों पर वापस जायें । माननीय अध्यक्ष जी ने कल के लिए व्यवस्था दे दी है। इस समय मैंने आय-व्ययक पर चर्चा वाली मद ले ली है । मैंने राम करन आर्य जी को बुला लिया है और वह बोल रहे हैं ।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, जो हमारा घाटा है, हम अपने संसाधनों से बढ़ोत्तरी करके तथा अन्य मदों में कटौती करके पूरा करेंगे ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, जनप्रिय सरकार द्वारा जो यह बजट रखा गया है वह पूरे प्रदेश के विकास के लिए है। मान्यवर, इस सरकार में खासकर वृद्धों को जो बूढ़े हमारे समाज के हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं होता है उनके बारे में इस बार बहुत ही अच्छा बजट रखा है मान्यवर, 12 लाख वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा है पहले से, जिनको बढ़ाकर 20 लाख वृद्धों को पेंशन दी जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर व्यवस्था दे दी है कि इस पर कल चर्चा होगी ।

† दिनांक 28 फरवरी, 2006 की कार्यवाही से ।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी हमारे समाज के जो बूढ़े लोग हैं जो बुढ़ापे में परेशान हो जाते हैं, हमारी सरकार ने उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया है इसके साथ ही साथ हमारी सरकार को यह जो बजट है यह जनप्रिय है, प्रदेश की उन्नति के लिए है साथ ही समाज के हर व्यक्ति के लिए है । मान्यवर, अभी तक यह होता था कि घर का जो कमाऊ व्यक्ति मर जाता था, और परिवार बेकार हो जाता था उन्हें केवल 10 हजार रुपये पिछली सरकार देती थी, हमारी सरकार ने तय किया ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

(सदन के फ्लोर से) माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर चर्चा स्वीकार कर लिया और फिर उठ कर चले गये, हमें इस बात पर आपत्ति है ।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जब हम कह रहे हैं, नेता सदन कह रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है । मैं कह रहा हूं इस विषय पर कल चर्चा होगी ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, इस पर कल चर्चा हो । अब हम सब वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं ।

(माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, हमारी सरकार ने खासकर जो ऐसे व्यक्ति थे जिनको दस हजार रूपये मिलता था करने के बाद, जिनके बच्चे, बूढ़े मां-बाप परेशान रहते थे, जिनको दस हजार रूपये मिलता था हमारी सरकार ने उनको बीस हजार रूपये कर दिया है मान्यवर यह गरीबों के पक्ष में है, इसके साथ ही साथ मान्यवर जो अनुसूचित जाति की लड़कियां थीं जो पढ़ती थीं जिनका कोई पुरूषाहाल नहीं था जिनके लिये हमारी सरकार ने बालिकाश्री योजना चलाया है । दो सौ रूपये जीवन बीमा योजना के साथ ही साथ मान्यवर 800 रूपये राष्ट्रीय बचत योजना के लिये रखा है । मान्यवर विकलांगों को हमने पांच लाख अलग से उनको पेंशन देने की व्यवस्था किया है यह किसी भी जनप्रिय सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मान्यवर हमारे प्रदेश में नये मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं जिसमें हमारा आजमगढ़ है, कन्नौज है, जालौन है । इससे यह होगा कि हमारे प्रदेश में जो तमाम लोग रोग से ग्रस्त हो जाते हैं जिनका आपरेशन नहीं हो पाता है जो दूर तक नहीं जा पाते हैं यह लोग अपने क्षेत्र में हास्पिटलाइज होकर अपनी दवा करायेंगे ! मान्यवर, सबसे बडी बात हुई है, जो हमारे समाजवादी नेता थे डा0 राम मनोहर लोहिया जी, जिनका पूरी दुनिया में एक समाजवादी चिन्तन है उनके नाम से यहां पर एक विधि कालेज खोला गया है जहां पर सभी विधि विशेषज्ञ अध्ययन करेंगे । मान्यवर इस जनप्रिय सरकार के द्वारा जो भी योजनायें लागू की जा रही है, चारों तरफ उनकी सोहरत है, हमारी सरकार के द्वारा सभी छात्र-छात्राओं को कक्षा आठ तक उन्हें मुफ्त कापी-किताबें दिया जायेगा उन्हें नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है ।

मान्यवर, पिछली बार डेढ़ लाख कन्याओं को विद्या धन बांटा गया था । इस वर्ष उनकी संख्या बढ़ा कर 3 लाख हो रही है । यह हमारी सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है । मान्यवर, हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में लड़कियों को पढ़ाने के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं है । मान्यवर, इसके साथ-साथ बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल के विकास के लिए विशेष पैकेज दिये जाने की बात कही गयी है। मान्यवर, हमारा पूर्वान्चल का भाग भीषण गरीबी की चपेट में है और सदैव नदियों की बाढ़ से घिरा रहता है । आये दिन वहाँ इस कारण रोग व्याप्त हो जाते हैं । हमारी सरकार ने 522 करोड़ रूपये का प्राविधान विशेष पैकेज के रूप में किया है । मान्यवर, यह किसी भी जनप्रिय सरकार का अच्छा लक्षण माना जा सकता है ।

मान्यवर, इसी तरह से प्रत्येक गांव सभा में जलाशय/तालाब का निर्माण का निर्णय स्वागत योग्य कदम है । मान्यवर, पहले गांव में बड़े-बड़े तालाब हुआ करते थे और उससे खेतों की सिंचाई में मदद मिलती थी लेकिन यह धीरे-धीरे पाट दिये जा रहे हैं । हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है ताकि जल स्तर जो नीचे जा रहा है पानी का वह रूके और उसके लिए सहायता मिलेगी । मान्यवर, हमारी सरकार ने इसके लिए 862 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, इसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने गन्ना किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया है जो गन्ना पहले मायावती के शासन में जलाया गया था । उसका मूल्य घटाकर 95 रूपया से 71 रूपये मिला था अब उसे बढ़ा कर 120 रूपये कर दिया गया है इससे गन्ना किसानों को और गरीबों को 600 करोड़ रूपये का लाभ हुआ है । मान्यवर, इस निर्णय से आज सारे किसान समाजवादी पार्टी की सरकार की वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव हैं ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने सभी जाति के छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 8 तक नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का निर्णय लिया है इसके साथ ही साथ 4500 अरबी फारसी के टीचर भी नियुक्त किये जाने का हमारी सरकार ने निर्णय है । मान्यवर, हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम यह किया है कि जो गांव में चौकीदार हैं और जिन पर पुलिस और दरोगा जुल्म करते हैं जब अंग्रेजों का जमाना था तो उन्हें बहुत न्यूनतम 5 रूपया मिलता था । लेकिन मुलायम सिंह जी की सरकार ने उसको जो पहले 125 किया, और फिर बढ़ाकर 300 रूपये किया गया, इस बार बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया गया है मुझसे तमाम चौकीदार लोग मिले हैं जिन्होने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ऐसे आदमी हैं जिन्होंने हम गरीबों पर ध्यान दिया है । हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं । इसी तरह से होमगार्ड का दैनिक वेतन जो 80 रूपये था उसको बढ़ाकर 85 रूपया कर दिया गया है ।

मान्यवर, हमारे यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना चलाई जायेगी । मैं एक बार राजस्थान गया था तो वहां मैंने तमाम लोगों को ऐसी योजना पर काम करते हूए देखा था । मान्यवर, इस योजना में उनको बहुत कम दिन का काम मिलता था । मा0 मुलायम सिंह यादव की सरकार में इस योजना पर 100 दिन काम देने की बात कही गयी है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में 17 नये पशु सेवा केन्द्र बनेंगे ।

मान्यवर, जब लोगों की सेहत ठीक रहेगी और वहां की शिक्षा व्यवस्था भी रहेगी तभी मुल्क की तरक्की हो सकती है । मान्यवर, हमारी सरकार ने इसी दिशा में अपने कल्याणकारी कदम आगे बढ़ाते हुए 75 नये होम्योपैथी चिकित्सालय खोलने का काम इस बजट में किया है । मान्यवर, इसी तरीके से दलितों की शिक्षा के लिए, नये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की बात इस बजट में कही गयी है । मान्यवर, साढ़े छः बीघा जमीन देने के बाद पांच करोड़ रूपये की लागत का आश्रम विद्यालय बनने जा रही है । यह लगभग प्रत्येक जनपद में बनने जा रहा है । हमारे बस्ती में भी जमीन ली जा रही है।

मान्यवर, यह सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हितों की पक्षधर और उनकी उन्नति करने वाली सरकार है । इस सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है ।

मान्यवर, इस साल एक हजार बसों को बेड़े में शामिल किया जा रहा है । यह सरकार की उपलब्धि है । मान्यवर, अभी बहस हो रही थी आतंकवाद पर । इस मुल्क में महात्मा गांधी (बापू जी) की जब हत्या हुई थी आजादी के बाद उसी दिन यहां आतंकवाद को प्रश्रय मिला था । बापू के हत्यारे कौन लोग हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है । जब इसी मुल्क में बापू की हत्या हो गयी तो फिर आये दिन घटनाएं घटेंगी । जो अहिंसा के पथ पर चलने वाला था । मान्यवर, दो-दो प्रधानमंत्री हमारे देश के मार डाले गये, संसद की घटना हुई, बनारस की घटना हुई । जो हमारे यहां नींव आतंकवाद की उस नींव को हमको खत्म करना पड़ेगा । अधिष्ठाता महोदय,यह जनप्रिय बजट पड़ी है । यह पूरे प्रदेश के विकास में बाधक है । हमारी ऊर्जा नीति उदार है 7000 मेगावाट के लिए कांट्रेक्ट हुआ है । आज चौतरफा इस बजट की प्रशंसा हो रही है और यह माना जा रहा है कि प्रदेश को आगे ले जाने वाला माननीय मुलायम सिंह यादव का बजट है । इस बजट की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए और इसका समर्थन करता हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । माननीय अधिष्ठाता जी,बजट भाषण किसी सरकार का मुख्य दस्तावेज हुआ करता है । बजट से ही यह सिद्ध होता है कि सरकार की नीति क्या है नीयत क्या है । बजट में मुख्यत: तीन बातें हुआ करती है । बजट वही अच्छा माना जाता है जिसमें यह तीन बातें हों- पहले नम्बर पर बजट में सरकारों की आय का स्रोत अधिक हो दूसरा व्यय कम हो और तीसरा सरकार पर कर्जा कतई न हो । मान्यवर, इन तीनों बातों में यह सरकार डूबी हुई है इसमें आय का स्रोत है नहीं, इसकी आय चवन्नी है और खर्चा रूपैया है । इस तरह से यह बजट प्रदेश को ऋणग्रस्तता की ओर ले जा रहा है । इस बजट में आय की तुलना में व्यय ज्यादा है । वर्ष 2006-07 में 2309.49 करोड़ का घाटा हुआ और प्रदेश पर ऋणग्रस्तता इस तरह से है कि 31 मार्च, 2006 को हमारे प्रदेश का ऋण 1 लाख 29 हजार 154.91 करोड़ हो जायेगा और वर्ष 31 मार्च, 2007 में घाटे का अनुमान है 1 लाख 37 हजार 914.92 करोड़ । मान्यवर, इस तरह से यह प्रदेश कहाँ जा रहा है । यह घाटे का बजट है इसमें न सरकार की नीति ठीक है और न नीयत ठीक है । मान्यवर, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि गांव का विकास हो इस बजट में कहीं ग्राम्य विकास का उल्लेख नहीं किया गया है । जब हम सरकार में थे तो हमारी सरकार ने गांव को विकास की इकाई माना था । मान्यवर, अब तो प्रदेश में विकास की इकाई मात्र सैफई को माना गया है । यदि प्रदेश में कहीं विकास हो रहा है तो सैफई में हो रहा है और 514 करोड़ की योजना सैफई में चल रही है और उसकी समीक्षा करने के लिए प्रदेश के अधिकारी वायुयान से जाते हैं और समीक्षा करते हैं । सैफई मात्र विकास का नहीं ईर्ष्या का श्रोत बन रहा है । चाहे इधर के सदस्य बैठे हों, चाहे उधर के सदस्य बैठे हों, उनके गाँवों का विकास नहीं हो रहा है । गाँव बिल्कुल विकास से वंचित रह गये है । इसी तरह से सड़कों का हाल प्रदेश में खराब हैं, सड़कें हैं ही नहीं । अगर हैं तो बिल्कुल जर्जर स्थिति में हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र आंवला में अलीगंज-सिरौली मार्ग है,मैंने कई बार विधान सभा में इसको बनाने का मामला उठाया, इसकी मरम्मत के लिये पैसा भी मिला, लेकिन मरम्मत वहां कर दी गयी, जहां सड़क ठीक थी और जहां खराब थी, वहां देखा तक नहीं गया । कुल

मिलाकर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है । मान्यवर, प्रदेश में भुखमरी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेंधा गॉव है, वहां मौर्य परिवार में पति-पत्नी ने भूख के कारण फॉसी लगा ली और मर गये, उनके तीन बच्चे हैं, इस मामले में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा और विधान सभा में नियम-51 में भी इस मामले को लगाया, लेकिन आज तक एक भी पैसा उनको नहीं मिला । उस परिवार की आय का कोई श्रोत नहीं है । छोटे-छोटे बच्चों को पालने का कोई सहारा नहीं है ।

मान्यवर, इस प्रदेश में उत्तराचंल के अलग हो जाने के बाद पर्यटन की संभावनायें तलाशन की आवश्यकता है । मेरे आंवला विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण ढंग से है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गॉव है, जहां पांचाल प्रदेश की राजधानी है, जहां वेद और उपनिषद लिखे गये हैं । जहां अज्ञातवास का स्थल भी रहा है और पांडवों का किला भी है । लेकिन बजट में इन स्थानों के विषय में कोई उल्लेख नहीं है । यदि इनका भी बजट में उल्लेख कर दिया जाता तो पर्यटन की संभावनायें बढ़ जायेंगी । मान्यवर, हमारे यहां एक हादसा हो गया, वहां पर रामगंगा नदी बहती है और सिरौली और वसन्तपुर के बीच नाव डूब जाने से कई लोगों की मृत्यु हो गयी इसलिये वहां पर पुल बनना चाहिये । माननीय मुख्यमंत्री जी बरेली गये थे, उन्होंने पुल बनने के लिये आश्वस्त भी किया था लेकिन पुल नहीं बना और आज भी इस बजट भाषण में इस पुल के लिये धन आवंटन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस पुल के बनने से उस क्षेत्र का विकास होगा और जो लोग डूब जाते हैं, उनको डूबने से बचाया जा सकेगा ।

मान्यवर, अभी प्रदेश में पंचायत चुनाव हुये । यह पंचायत चुनाव घोर अराजकता में हुये । मेरा तो सीधा-सीधा यह कहना है और आरोप भी है कि पंचायत चुनाव समाजवादी पार्टी ने नही लड़े बल्कि पंचायत चुनाव सीधे पुलिस ने लड़े । प्रशासन के लोगों ने उन लोगों को, जो चुनाव जीते थे, उनको हरवा दिया और जो चुनाव हारे थे, उनको जिता दिया । अब तक पूरे प्रदेश में 40 ग्राम प्रधानों की हत्या हो चुकी है । तमाम बी0डी0सी0 सदस्यों की हत्या हो गयी और जिला पंचायत सदस्यों की हत्या हो गयी। कुल मिलाकर घोर अराजकता का वातावरण है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं । अपहरण की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती । ब्लाक प्रमुख चुनाव के संबंध में एक बी0डी0सी0 सदस्य रोशन लाल का अपहरण कर लिया गया, मैं थाने पर गया, इंस्पेक्टर से कहा कि रिपोर्ट लिख लीजिये तो उसने कहा कि अगर मैंने रिपोर्ट लिखी तो मेरा ट्रांसफर हो जायेगा । मैं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा । जबकि कहा जाता है कि टेलीफोन पर रिपोर्ट लिखी जाती है और अपराध छिपाये नहीं जाते हैं । लेकिन मैंने यह एक उदाहरण आपके सामने रखा है । इसी तरीके से यह स्थितियाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । सरकार ने घोषणा की थी, शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने की ।

श्री सुल्तान बेग-

मान्यवर, मैं भी बरेली के कांवर क्षेत्र का विधायक हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

आप इनको अपनी बात पूरी कह लेने दीजिये, फिर आप बोल लीजियेगा ।

(श्री धर्मपाल सिंह और श्री सुल्तान बेग के एक साथ अपनी बात कहते रहने पर व्यवधान)

श्री सुल्तान बेग-

मान्यवर, वहां पर समाजवादी पार्टी ढंग से चुनाव करा रहा था, इन्होंने वहां पर हमला करने का

काम किया, मान्यवर, इनके ऊपर तो बाकायदा मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इनको तो जेल में होना चाहिए था ।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जाएं, पहले इन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए ।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, बजट में 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक इलाकों में खोलने का निर्णय लिया गया है । मान्यवर, 100 प्रशिक्षण केन्द्र खुलें, अच्छी बात है लेकिन 100 आई0टी0आई0 खोलने के लिए इस बजट पुस्तिका में कोई धन आबंटित नहीं किया गया है, इसलिए मान्यवर, कोरी गप करने से जनता में ठीक संदेश नहीं जाता है । इस बजट में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है, इसकी प्रशंसा भी हुई है । बेराजगारी भत्ता देने के लिए भी बजट में कहीं पर धन आबंटित नहीं किया गया है । प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय बिल्कुल बंद पड़े हुये हैं, क्योंकि जो भी विज्ञप्तियां होती है वह अखबारों के द्वारा प्रकाशित हो जाती हैं, इसलिए सेवायोजन कार्यालय म रजिस्ट्रेशन होते ही नहीं है । इस सरकार ने पाँच सौ रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है और यह भत्ता देने के लिए इन्होंने कट आफ डेट भी तय कर दी है । कट ऑफ डेट में इन्होंने 31 दिसम्बर, 2005 की तिथि तय कर दी है, इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जब सेवायोजन कार्यालय अस्तित्व में ही नहीं हैं तो उनमें रजिस्ट्रेशन होते ही नहीं है ।

सेवायोजन कार्यालय के द्वारा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाता है, इसलिए नौजवान उसमें रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं है । अब जब सरकार ने बेराजगारी भत्ता देने की घोषणा कर दी है तो सेवायेजन कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन होने शुरू हुए हैं । इसलिए मैं सरकार से इस कट आफ डेट को हटाने की मांग करता हूं, जिससे कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उन्हें सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिल सके । इसी तरह से मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के बारे में काफी कुछ कहा गया है । मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक ही नहीं है और जो अध्यापक हैं भी वह मिड डे मील आदि योजनाओं में लगे रहते हैं, जिससे पढ़ाई का काम नहीं हो पाता है । मान्यवर, मेरी विधान सभा में एक गोटिया डालचन्द गॉव है, माननीय अध्यक्ष जी से मैंने जब निवेदन किया तो एक आदेश हुआ, बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि उस गॉव में जूनियर हाईस्कूल खोल दिया जायेगा । लेकिन मान्यवर, आदेश का अनुपालन नहीं हुआ और वहाँ पर शिक्षा का अभाव है, वहाँ विद्यालय खोला जाना चाहिए । अधिष्ठाता महोदय, किसी भी सरकार की कसौटी यह होती है और वह सरकार अग्नि-परीक्षा में तब सफल मानी जाती है, जब वह सरकार जनता को चलने के लिए सड़कें उपलब्ध करा दे । आज प्रदेश के सड़कों की हालत बहुत खस्ताहाल है । अच्छी सरकार वह होती है, जो अपने नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध करा दे, आज प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, लोगों को राह चलते मार दिया जाता है, खुफियातंत्र की स्थिति बहुत खराब हो गई है । चाहे सात जुलाई को अयोध्या में आतंकवादी हमला हो, चाहे माननीय विधायकों की हत्या का मामला हो, वाराणसी का हमला हो, इन सभी में बहुत दु:ख की बात है कि हमारे प्रदेश का खुफियातंत्र फेल हो गया है और सच में आज अपराधियों का बोलबाला हो गया है । थानों में अपराधियों को कुर्सियाँ मिल रही हैं और भले आदमी को जेल भेज दिया जाता है । आज सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । वह सरकार अच्छी मानी जाती है, जब वह

है । सरकार की कसौटी होती है कि वह अपने नागरिकों को विद्युत की अच्छी व्यवस्था करे, आज बिजली प्रदेश को मिल नहीं रही है इसलिए सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत इन सभी मानकों पर यह सरकार फेल है इसलिए मैं बजट भाषण का विरोध करते हुये माननीय लालजी टण्डन जी का जो इसके विरोध में भाषण था उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मो0 रिजवान-

जितनी मौतें हुई हैं इससे ज्यादा तो आपकी सरकार में साड़ी बॉटने में मर गये थे ।

संसदीय कार्य , नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, माननीय सदस्य कम बोलते हैं, मोटा शरीर है लेकिन बड़े पते की बात कही है ।

श्री नवाब सिंह नागर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह देखने में तो बड़ा हवा-हवाई लगता है लेकिन वास्तविक धरातल पर इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे प्रदेश का भला होने की कोई संभावना हो। उद्योग के क्षेत्र में इस सरकार ने उत्तर प्रदेश विकास परिषद् नाम की एक संस्था बनायी जिससे यह उम्मीद की गयी थी कि इससे उत्तर प्रदेश में उद्योग आयेंगे, उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश होगा लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस उद्योग परिषद् ने आज तक उद्योगपतियों के साथ कोई बैठक तक नहीं की है, उनसे कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में उद्योग बढ़े, क्या परेशानियाँ हैं, क्या आवश्यकता है ? इसके कारण उत्तर प्रदेश के तमाम उद्योग उत्तरांचल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के साथ ही पड़ोस के प्रदेशों में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कर ढाँचा कम है, टैक्सेस में रियायत दी गयी है इस कारण से हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम उद्योगपति यहाँ से अपने उद्योग बंद करके देश के दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं । मान्यवर, इसमें एक बहुत बड़ा कारण उद्योगों के फेल होने में बिजली की कमी भी है । बिजली के बारे में इस सरकार ने दो वर्ष पूर्व रिलायंस सयंत्र का बड़ा ख्वाब दिखाया था कि रिलायंस सयंत्र लगेगा और बड़ी मात्रा में बिजली की व्यवस्था होगी । हमारे विधान सभा क्षेत्र दादरी में रिलायंस सयंत्र के निर्माण की उद्घोषणा हुई थी । दो साल से ज्यादा समय हो गया है कोई कार्य वहाँ पर नहीं हो रहा है । एक हजार हेक्टेयर जमीन जरूर उनको दे दी गयी है । जो उद्योग परिषद् है, उनको किस प्रकार से फ्री में सड़क मिले, पानी मिले व अन्य सुविधायें मिले इसके लिए उद्योग विकास परिषद् ने जरूर काम किया है लेकिन उद्योगों की प्रगति के लिए कोई काम नहीं हुआ है । यह और हो रहा है कि जिसकी जमीन ली गयी है उस क्षेत्र के किसान वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं । बछनैड़ा गॉव के लोग पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं । उन्हें 150 रूपये गज का मुआवजा जबरिया शासन और प्रशासन ने दबाव बनाकर झूठा मुकदमा डालने का दबाव देकर जमीन हड़प कर रिलायंस के सुपुर्द कर दी गयी लेकिन किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है । उनकी मॉग है कि बढ़ाकर मुआवजा दिया जाये क्योंकि आस-पड़ोस की जमीन है उसकी कीमत 500 से 1000 रूपये प्रति गज है । इसलिए उनकी मॉग है कि उनको बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए और उनके प्रत्येक परिवार के एक बच्चे को रिलायंस में नौकरी दी जाए । यही दो प्रमुख मॉग है । लेकिन शासन-प्रशासन के प्रतिनिधि उनकी मॉग सुनने को तैयार नहीं हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो किसान आमरण अनशन पर

हैं उनकी एक न एक दिन मृत्यु हो जायेगी और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जायगी वे आमरण अनशन से उठने वाले नहीं है । इसके अलावा बहुत बड़ी घोषणा की गयी है 'हाईटेक सिटी' बनाने की । सरकार द्वारा 9 'हाईटेक सिटी' बनाने का निर्णय लिया गया है ।

मान्यवर, प्राइवेट बिल्डर्स को भारी मुनाफा पहुंचाने के लिए यह बड़ी साजिश है । हमारे क्षेत्र गाजियाबाद में एक हाइटेक सिटी बना रहे हैं । इसमें 300-350 रूपये का मुआवजा देने के लिये एग्रीमेंट किये जा रहे हैं । वहीं पर लोग कैम्प लगाकर साढ़े आठ हजार रूपये में बुकिंग कर रहे हैं और जमीन बेच रहे हैं । इतना भारी मुनाफा ले रहे हैं और खरीद केवल 300-350 रूपये पर कर रहे हैं। तो मेरी मांग है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि किसान से जो जमीन ली जाय और उसको जो बेचा जाय तो खरीदने और बेचने में बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए । इसका कोई न कोई अनुपात होना चाहिये। किसानों का इस प्रकार से शोषण न किया जाय और हाईटेक सिटी के नाम पर बिल्डर्स को मुनाफा न पहुंचाया जाय । यह काम जो हो रहा है यह निंदनीय है । मेरे यहां एक गांव बरहैटा है जहां पर 860 रूपये मुआवजे का एग्रीमेंट किया गया है और बाकी गांवों में 300 रूपय प्रति गज एग्रीमेंट किये जा रहे हैं तो इस अनियमितता को दूर किया जाय । मेरी मांग है कि वहां पर मुआवजा एक हजार रूपये गज मिले । यदि साढ़े आठ हजार रूपये में जमीन बेची जा रही है तो मुआवजा 1 हजार रूपये देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

सरकार को किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है । सरकार ने एक निर्णय और लिया है, डीडा का निर्माण किया जा रहा है । दादरी विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है यह एक बड़ी साजिश है । वहां पर पहले से नोयडा और ग्रेटर नोयडा विकास प्राधिकरण हैं तो फिर वहां पर इस तीसरे विकास प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसा लगता है कि किसानों की जमीनों को बहुत कम दर पर लेकर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को सस्ती दर पर भूमि देने की साजिश की जा रही है। इस कार्य से क्षेत्र में असंतोष है और पंचायतें हो रही हैं तथा निर्णय लिया जा रहा है कि मुआवजा जब तक घोषित नहीं हो जाता है तब तक एक इंच जमीन किसान नहीं देंगे । इसलिये मेरी मांग है कि डीडा के प्रस्ताव को वापस लिया जाय । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार सरकार उद्योग लगाने के नाम पर किसानों की जमीनों को हड़पने का काम न करे । हमारे जिले गौतमबुद्धनगर में आज तक डी0एम0 की नियुक्ति नहीं हुयी है । जो जिले कोर्ट के निर्णय से बहाल हुये थे वहां पर आज तक डी0एम0 की नियुक्ति नहीं हुयी है । हमारे बराबर के जिलों गाजियाबाद के डी0एम0 को चार्ज दिया गया है । गौतमबुद्धनगर जिला बहुत महत्वपूर्ण है । वहां पर एक हजार करोड़ रूपये का मुआवजा ए0डी0एम0 के माध्यम से बंटता है । हमारा सुझाव है कि वहां पर तत्काल डी0एम0 की नियुक्ति की जाय । इसके अलावा हमारे यहां जो घोटाले हुये थे उसके लिये मैंने विधान सभा में मांग की थी । वहां पर भू-माफियाओं ने जो जमीनों पर कब्जे किये थे उसकी जांच के लिये टी0 जोजेफ कमेटी बनी थी । उसने 10 हजार करोड़ रूपये के घोटाले पकड़े हैं और भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की संस्तुति की है । 300 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गयी है लेकिन कार्यवाही बहुत कम लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है । सरकारी अधिकारियों की साजिश से कार्यवाही होने की संभावना नहीं है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसमें जो अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय । इसके अलावा जब सरकार बनी थी तो ग्रेटर नोयडा और नोयडा में जो तमाम निर्माण कार्य हो रहे थे, जो फ्लाई ओवर बन रहे थे उनका कार्य रोक दिया गया और यह कहा गया कि अनियमितता के कारण कार्य रोका गया है । इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था । इस आयोग को काम करने के लिये 3 माह का समय दिया गया था । उन्होंने स्वयं मांग की लेकिन समय

नहीं बढ़ाया गया । इसके बाद एक नये आयोग का गठन किया गया श्री विजय शंकर माथुर नाम से एक नया आयोग गठित किया गया जिसको ढ़ाई साल हो गए लेकिन उसकी पूरी रिपोर्ट आज तक सरकार क्या किसी के सामने नहीं आई है । अलग-अलग पार्टो में उसकी रिपोर्ट आ रही है । इस आयोग का समय कई बार आधे दर्जन बार बढ़ाया जा चुका है । इससे प्रतीत होता है कि इस आयोग को दुर्भावना के तहत बनाया गया है और वह निष्पक्ष रूप से अपनी रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है । सदन में इसको बताया जाय कि किन कारणों से इसका समय बढ़ाया जा रहा है उसकी रिपोर्ट क्या है किन किन मामलों में अनियमितता पाई गई और किन किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है । यह मैं मांग करता हूं । इसी के साथ यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है यह कोरा हवाई बजट है । धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है इसलिए मैं इस बजट की निन्दा करता हूं ।

श्री सलिल विश्नोई-

अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 2006-2007 के बजट के विपक्ष में मुझे बोलने का अवसर दिया । यह बजट खाली झूंठे आंकड़ों व झूठे आश्वासनों का पुलिन्दा है । पूरे प्रदेश में आम आदमी की जरूरत इन्फ्राक्ट्रक्चर के लिए, बिजली, पानी, सड़क आदि के बारे में कोई प्राविधान नहीं किया गया । बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं इनकी जो घोषणाएं की गई थी वह दूर-दूर तक पूरी नही हो रही है । प्रदेश में परीक्षाएं चल रही हैं लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है । इस सदन में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्र के विधायकों को उनके पांच गांव में विद्युतीकरण के लिए जितनी धनराशि मिलेगी उतनी ही राशि 25 लाख रूपये की घोषणा की बावजूद यह धनराशि बिजली के सुधार के लिए शहरी क्षेत्र के विधायकों को प्राप्त नहीं हुई हैं । लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने घोषणा की थी कि हम पांच कि0मी0 सड़क देंगे लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि हमें 15 हजार स्कवायर मीटर सड़क मिलेगी वह भी आज तक प्रारम्भ नहीं हुई है । इसी सदन में की गई घोषणा को पूरा न किया जाना चिन्ता का विषय है । इसी 15 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण देते हुए कहा था कि जो फार्म 31 में नई व्यवस्था मौद्रिक सीमा को लागू करने की बात है वह मौद्रिक सीमा फार्म 31 पर लागू नहीं होगी लेकिन 17 तारीख को व्यापार कर विभाग ने विज्ञप्ति की घोषणा करते हुए आदेश जारी किया कि मौद्रिक सीमा का उल्लेख होना आवश्यक है । इस तरह से मुख्यमंत्री की घोषणा को अधिकारी महत्व नही दे रहे हैं । यह कैसी सरकार है सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है । ऐसी सरकार के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है । सरकार ने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही थी और स्पेशल इकोनामिक जोनों की स्थापना की बात कही थी । कानपुर को स्पेशल ।

श्री सुशील चौधरी-

कोरम पूरा नहीं है ।

श्री सलिल विश्नोई-

स्पेशल इकोनामिक जोन बनाने की बात कहीं गई थी । कानपुर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है । पूरे प्रदेश में किसी उद्योग की कहीं से अगर शुरूआत होती है तो वह कानपुर है लेकिन अभी तक स्पेशल इकोनामिक जोन की शुरूआत कानपुर में नहीं हुई । यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के एम0डी0 का पद वर्षो से खाली चल रहा है । कानपुर कई उद्योगों का केन्द्र है चाहे वह टेनरी उद्योग हो, पान

मसाला उद्योग हो, सब्जी मसाला उद्योग हो, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री की बात हो प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर है । कानपुर में एस0ई0जेड0 न बनाकर भदोही मिर्जापुर जैसी छोटी-छोटी जगहों पर बनाई गई । जिसका प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिल रहा है । आज पूरे प्रदेश में अगर पूंजी निवेश सबसे ज्यादा होता तो कानपुर में होता लेकिन वहां एस0ई0जेड0 न होने के कारण उसमें ज्यादा निवेश नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कन्या विद्या धन योजना में इन्होंने प्रत्येक इन्टर पास कन्या को 20 हजार रूपये देने की बात कही लेकिन क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि उस बीस हजार रूपये को प्राप्त करने के लिये छात्रा को कितनी रिश्वत देनी पड़ी और कितने दरवाजों तक जाना पड़ा । इसलिये मेरा कहना है आपके माध्यम से कि सरकार इसको भी ध्यान में रखे । जहां तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है । मान्यवर, आज प्रदेश के नौजवानों को भत्ते की नहीं रोजगार की आवश्यकता है । आज आपको उद्योगपरक योजनाएं बनानी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके । मान्यवर, इसी तरह से कहना चाहता हू कि आज उत्तर प्रदेश में दवा उद्योग की क्या स्थिति है ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दवा उद्योग में एक्साइज ड्यूटी से उत्तरांचल और हिमांचल को फ्री जोन घोषित कर दिया है कि वहां पर निर्मित दवा में एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जायेगी और उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी लगाई जायेगी । कोई दवा बिकने के लिये आती है तो उसकी लागत में 40 प्रतिशत से अधिक मूल्य की एम0आर0पी0 पर एक्साइज देना पड़ता था देना होता है । इस प्रकार से दवा निर्माता कम्पनी किस प्रकार से दवाइयों का निर्माण करेंगी । शासन को यह देखना चाहिए कि पिछले दो वर्षो में जहाँ 650 दवा की फैक्ट्री जो प्रदेश में थीं उसमें से 300 बन्द हो गई हैं ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की दवा फैक्ट्रियों को पुर्नजीवित करने के लिये कार्यवाही करे और दवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सब्सिडी दे । मान्यवर, इसी तरह से लॉ एण्ड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूं कि औरैया में बिधूना में ब्लाक प्रमुख के चुनाव में प्रशासन ने पक्षपात किया । विधूना के अन्दर 71 मतदाता थे । ब्लाक प्रमुख के चुनाव में मात्र 36 मतदाताओं ने वोट दिया बाकी शेष 35 मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया । वो जिस माया गेस्ट हाउस के अन्दर शरण लिये हुए थे उसको तहस नहस कर तोड़ फोड़ दिया । भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बचाव करने का प्रयास किया तो उनको भी बन्द कर दिया और उनके ऊपर तमाम ऐसी धाराएं लगा दी जिसका उनसे कोई मतलब नहीं । इतना ही नहीं मान्यवर, जब कोर्ट द्वारा वे छूटकर जेल से बाहर निकले तो उन्हें पुन: बन्द कर दिया गया । आज प्रदेश में अत्याचार गुण्डई का आलम है। चारों ओर जंगल राज है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे वातावरण को रोकने की कोशिश की जाय । बिजली, पानी, सड़क आदि आवश्यक चीजों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। नगर निगम अक्षम साबित हो रही है सफाई करवा नहीं पा रही है अपने कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दे पा रही है । मच्छरों की आबादी में भरमार हो गई है । लेकिन मान्यवर, सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट में इन सबके समाधान का अभाव है इसीलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का विरोध करता हूं ।

कोरम की तरफ सदन का ध्यानाकर्षण

डॉ0 सुशील चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, कोरम तो पूरा कराइये ।

श्री अधिष्ठाता-

सामान्य चर्चा है, इसको चलने दीजिये ।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

न संसदीय कार्य मंत्री है न मुख्यमंत्री हैं । मान्यवर, आप कम से कम कोरम तो पूरा करा लें।

(3 बजकर 4 मिनट पर कोरम के लिये घंटी बजाई गई । 3 बजकर 5 मिनट पर कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई) ।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री मुंशी लाल गौतम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट के विरोध में, जो वर्ष 2006-2007 पर अपने विचार मा0 नेता विरोधी दल ने रखे हैं मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । रामकरन आर्य जी ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है यह छात्रवृत्ति 25 रूपये प्रतिमाह से रूपये 740 रूपये प्रतिमाह विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु दी जाती है । दशमोत्तर कक्षा के छात्र चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हों, चाहे मेडिकल कालेज में पढ़ रहे हों चाहे बी0ए0, एम0ए0 की डिग्री हासिल कर रहे हों, चाहे बी0एड0 कर रहे हों छात्रवृत्ति की मांग की है । 2004-2005 और 2005-06 दो वर्ष से लगातार 260 करोड़ रूपये की डिमाण्ड आपके यहां से हुई लेकिन 75 करोड़ रूपये केवल छात्रों को मिल पाए । बहुत से छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिली । बहुत से छात्र इस छात्रवृत्ति के पैसे से अपने कपड़े खरीदते । औढ़ने बिछाने के लिए कपड़ा बनाते । किताबें खरीदते । कोंचिग करते लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली जिसके कारण उनका भविष्य अंधकारमय है । उन छात्रों पर दबाव दिया जा रहा है जो फीस जमा नहीं कर पाए हैं । अगर वह फीस जमा नहीं करेंगे तो उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा । इसी तरह से मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से अध्यापकों का चयन हुआ । अध्यापक, चयन आयोग से चयनित होकर आते हैं लेकिन डी0आई0ओ0एस0 किसी विद्यालय में उनको नहीं रखा रहें हैं । लाखों रूपये की डिमाण्ड की जाती है । जो लोग अनुसूचित जाति के हैं पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा खर्चा हुआ है चयन आयोग से आए हैं उनको आने के बाद नौकरी नहीं मिली । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पक्ष में हो गया है लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है । डी0आई0ओ0एस0 जो कर रहे हैं शासन से उसमें आदेश जाना चाहिए इस आधार पर जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए योजना बनाई है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । सरकार को विशेषकर इस पर ध्यान देना चाहिए । कई बार यह नेता सदन कह चुके हैं कहा गया कि जनता के बल पर हम आए हैं कई बार सुना है । आप जनता के बल पर नहीं आए हैं आप ब0स0पा0 के बल पर आए हैं । ब0स0पा0 के 40 विधायक टूटकर न जाते तो आपकी सरकार नहीं बनती । यह सरकार नहीं चलती जो विधायक आए उनको मंत्री पद दिए गए । जबकि ऊपर से भी आदेश आए कि मंत्रिमंडल छोटा किया जाए । लेकिन इनकी मजबूरी बन गई उनको रखना है चुनाव चिन्ह हाथी से जय भीम के नारे व नीले झण्डे से चुनकर यह विधायक आए । जो अब उधर बैठे हैं की उन्हीं के बल पर सरकार चल रही है । उन्हीं अनुसूचित जाति के लोगों पर सरकार चल रही है तो वह अनुसूचित जाति के लोगों का अहित नहीं चाहेंगे । जब वह चुनकर आये थे तो इसी भावना से संविधान की कसम खाई थी । डा0 भीमराव

अम्बेडकर, डा0 लोहिया जी, पं0 दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जिनके नीचे आप बैठे हैं, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उस जाति के लोग जिन्होंने तालाब खोदा, तालाब व कुंआ खोदकर पानी पिया है भूमि पर हल चलाया है, जिन्होंने कपड़े धोए हैं, क्रीज बनाकर कपड़े पहनाए हैं तालाब में चार छः घंटे खड़े होकर सर्दी, गर्मी बरसात में कपड़े धोते हैं । जो सुबह चार बजे उठकर नाली, नाले की सफाई करते हैं, मरे जानवरों को उठाते हैं, सफाई करते हैं सुबह चार बजे कड़कती ठंड में उठकर नाली-मोरी सड़कें साफ करता है, मरे हुए जानवर कुत्ते-कुतिया आदि को निकाल कर सफाई करता है। धोबी कपड़े साफ करता है लेकिन आज उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है जिन्होंने इस देश को माली की तरह सींचा ।

संविधान के संविधान रचयिताओं ने अनुसूचित जाति के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, छात्र-वृत्ति दशमोत्तर कक्षा के छात्रों को पिछले दो वर्षो की रूकी है, यह 260 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति भुगतान कराई जाए जिससे वह अपनी किताब कापी की व्यवस्था कर सके और परीक्षा से वंचित न हों और समय से फीस जमा हो पाए यह आदेश विद्यालयों को कर देना चाहिए । मान्यवर, इतना खर्च सरकार वेतन पर कर रही है, राजपत्रित अधिकार 57,050 और अराजपत्रित 10,21,412 हैं, और कुल दोनों को मिलाकर 10,78,462 अधिकारी कर्मचारियों पर जनता की गाढ़ी कमाई का धन सरकार खर्च कर रही है । विधायक का कार्यकाल तो अस्थाई होता है, आज हम विधायक हैं कल रहें या न रहें, लेकिन इनका कार्यकाल 60 वर्ष की आयु तक निश्चित है । आज अधिकारी/कर्मचारी सरकार के प्रति वफादार नहीं है, व्यक्तियों के प्रति वफादार होते नजर आ रहे हैं और मंत्रियों को खुश करने की कार्यशैली नजर आ रही है । आज बनारस और लखनऊ में दंगाइयों ने दंगा किया है, दंगाइयों की कोई जाति, धर्म मजहब नहीं होता, इन दंगों से गरीब जनता परेशान होती है । यह अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं जितने दंगाई दोषी हैं । इनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। वर्ष 1991 से 99 तक बड़ी धनराशियों की अनियमितताएं हुई हैं । 9,51,08,14,276 धनराशि की अनियमितता जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, विकास प्राधिकरण, बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय आदि में हुई हैं । विकास प्राधिकरण से 3,74,24,47,686 रूपये की अनियमितताएं हुई,गन्ना निधियों से 4,01,50,72,294 की अनियमितताएं हुई और राजकीय राजस्व की क्षति 1,64,36,037 रूपये हुई । इन सबके दोषी पंचम तल पर बैठे अधिकारी हैं जिन्होंने आंखें मूद रखी हैं । इन्हें पता नहीं कि आज मंहगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इधर ध्यान नहीं है । आज आटा 13 रूपये किलों, दाल 40 रूपये किलो, चीनी 24 रूपये किलो और मिर्च मसालें, तेल, घी चावल, सब्जी आदि सभी खाद्य पदार्थो के भाव बढ़े हुए हैं अगर किसी पर एक बेटा बेटी है और पति-पत्नी, चार सदस्य हैं तो इस बढ़ती हुए मंहगाई में वह कैसे अपने घर का खर्चा चलाये, कैसे बच्चों को पढ़ाये । आज मुश्किल से वह रिक्शा चलाकर या मजदूरी करके 60-70 रूपये कमा कर लाता है जब कि उसका खर्चा लगभग 99 रूपये बैठता है । अगर एक दिन काम न मिले या बीमार हो जाए तो उधार लेकर के खाता है । आज सरकार ने मजदूरी 59 रुपये कर रखी है, एसजीआरवाई योजना का कार्य वह भी ठेकेदारों से कराया जा रहा है, जीसीवी मशीनों से हो रहा है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए । 14 फरवरी, 2006 को जिलाधिकारी बुलन्दशहर के कार्यालय पर एक दिवसीय भूख हड़ताल कार चालक, रिक्शा चालक,फेरी वाले और ठेली वालों ने की थी तथा सड़क पर बैठकर इस बढ़ती हुई मंहगाई को लेकर प्रदर्शन करके जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था जो आज भुखमरी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है ।

मान्यवर, सुरक्षा में यह गृह विभाग अनुभाग-1 और जो गृह पुलिस विभाग अनुभाग-9 तथा नागरिक सुरक्षा या गोपन विभाग हैं इसमें एक लाख 84 हजार 427 उनके कर्मचारी हैं और 923 व्यक्तियों पर एक पुलिस वाला बैठता है । जब 923 व्यक्तियों पर एक पुलिस बैठेगा तो वह सुरक्षा-

व्यवस्था कैसे करेगा । इसलिए आज अपराध बढ़ रहे हैं , डकैती, चोरियां बढ़ रही हैं । मान्यवर, इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं-महिला उत्पीड़न दिनांक 1-04-05 से 30-6-05 तक, हत्या-250, बलात्कार-311, शीलभंग-493, अपहरण-680, छेड़खानी-622, चेन स्नैचिंग-157, महिला उत्पीड़न-1247, दहेज हत्या-527, इसी प्रकार दलित उत्पीड़न दिनांक 01-04-05 से 30-04-05 तक, हत्या-79, आगजनी-13, बलात्कार-50, गम्भीर चोट-82, अन्य हस्तक्षेपीय अपराध-404, अनुसूचित जाति निवारण अधिनियम-200 है । डी0जी0पी0 मुख्यालय से जो पिछले साल की अपराध सूची मांगी जाती है तो इसमें मेरा कहना है कि पिछले साल के आंकड़ों पर ना जायें । अगर पिछले आंकड़ों पर जाएंगे कि पिछले समय में क्राइम क्या था अब कितना हुआ, उसकी सरकार में कितना था और हमारी सरकार में कितना हुआ । जब क्राइम लिखेंगे ही नहीं तो क्राइम तो घटेगा ही और जो श्रेणी ए0बी0सी0 के थाने हैं तो ए0 का बी0 में, बी0 का सी0 में परिवर्तन कैसे होगा, पुलिस वालों की संख्या और थानों, चौकियों की संख्या और पुलिस अधिकारियों की संख्या कैसे बढ़ेगी । उनमें काम करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित कैसे किया जाएगा ? इस संबंध में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । हमारे यहां जो एल0आई0यू0 है उनके पास मोटर साइकिल नहीं है, कोई वाहन नहीं है, मोबाइल नहीं है । जबकि आज आम आदमी व बदमाशों के पास मोबाइन-सरकार ने दिये हैं । आप विधायकों को मोबाइल दे रहे हैं । अगर खुफिया विभाग के लोगों के पास मोबाइल नहीं होगा तो वह खुफिया सूचनाएं कैसे जल्दी से जल्दी भेजेंगे । इसलिए उनके पास मोबाइल होना चाहिए ताकि सूचनातंत्र मजबूत हो । आप बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आज रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज नहीं कराये गये हैं । आप कब से कब तक दे रहे हैं यह भी बताया है । आपने पहले भी बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा था लेकिन आप मुकर गये । दोबारा कहा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता 500 के बजाये 1 हजार रूपये प्रतिमाह होना चाहिए ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारा जनपद बुलन्दशहर आदर्श जनपद योजना के अंतर्गत आता है लेकिन भेदभाव के आधार पर काम हो रहा है । सरकार ने मन बना रखा है कि जितने जीतकर आ गये हैं और जो इधर-उधर की बात करते हैं और उनको टिकट मिलेगा नहीं । लेकिन जिनका टिकट पक्का है उनके क्षेत्र में काम हो रहा है । हमारे जनपद बुलन्दशहर में शिकारपुर में आदर्श जनपद योजनान्तर्गत कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है । वहाँ कराया जावें मान्यवर, वह बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जिला है । वहाँ पर मिड डे मिल योजनान्तर्गत बच्चों को जो खादान मील दिया जा रहा है उसको बच्चे खाने से इंकार कर रहे है । इसके स्थान पर सरकार को सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा, एक वर्दी, एक सी पढ़ाई-लिखाई का प्राविधान करना चाहिए था । साथ ही यह भी होना चाहिए था कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे उनके विरुद्ध एफ0आईआर0 होगी, आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा । अगर ऐसा होता तो हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई बच्चा पढ़ने से वंचित रह गया है । सिंचाई के बारे में मेरा कहना है कि आज नहरों, राजवाहों, माइनरों डेम पर पानी नहीं है तो टेल तक कैसे पानी पहुंचेगा । बिजली की स्थिति बहुत दयनीय है । 1-2 घण्टे बिजली आती है । किसान भागकर अगर खेत में पहुंच जाता है लेकिन वहां पर पहुंचते ही बिजली चली जाती है । फसलें सूख रही हैं लेकिन इसमें कोई व्यवस्था इसके लिए नहीं की गयी है । आज पश्चिम में नहरों, रजबाहों, माइनरों से जो खेती होती है तो उसमें पानी नहीं है । गेहूं की बाल निकल रही है, जौ की बाल निकल रही है, दाने में दूध पड़ रहा है लेकिन बिजली न होने के कारण, पानी न होने के कारण किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, दाना पिचक जायेगा । अगर दाना पिचकेगा तो पैदावार कम होगी और किसान की खुशहाली बदहाली में बदल जायेगी । वहां बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है । परिवहन विभाग में पहासू से शिकारपुर वाया बुलन्दशहर बसें चल रही थी उन्हें बंद कर दिया है । तहसील

शिकारपुर व जिला मुख्यालय जाने का कोई साधन नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग में वर्ष 2006-2007 के बजट में नेता सदन ने कहा था कि रू0 682 करोड़ की आदर्श जलाशय योजना आरम्भ की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत दो वर्षों में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार किया जायेगा । यह तो इन्होंने रखा है लेकिन दूसरी तरफ तालाब बन्द हो रहे हैं, जलाशय के पट्टे हो रहे हैं उनको पाटा जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है जिस कारण उन पर अनाधिकार कब्जे हो रहे हैं । फसलें की आपासी जो इनसे होती थी वह नहीं हो रही है । सरकार यह इसलिए कर रहे हैं कि अगर तालाब खोदे जायेंगे तो धन खर्च होगा । अगले वर्ष जब वर्षा होगी तो मिट्टी बहेगी तो फिर तालाब पट जायेंगे फिर अगले वर्ष उनको खुदवाया जायेगा । तो इस प्रकार की व्यवस्था यह कर रहे हैं । गरीबों के हितों में नहीं अधिक पैसा तालाबों पर खर्च कर रहे हैं, खुदे हुए तालाबों की सुरक्षा कर नहीं रहे हैं । इसी प्रकार से जो सड़कें हैं वह टूटी पड़ी हैं । उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण स्तर की सड़कें सब खराब पड़ी हैं शिकारपुर से जहांगीरबाद, बुलन्दशहर, अनूपशहर रोड से जमुनाठेर व शिकारपुर से शिवाली तथा शिकारपुर से खुरजा और मेरठ बदायूँ राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है । इनका जीर्णोद्धार आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जाय । पिछली बार जो 2005-2006 का बजट आया था उसमें उद्योग विभाग ने 'दी टैक्सटाइल मिल', सहकारी सूत मिल, जो बुलंदशहर की है, जो बंद पड़ी है उसको चलवाये जाने की बात पिछले बजट 2005-2006 में प्राविधान किया था वह आज तक नहीं चली है, उसको चलवाया जाय । मान्यवर, वकीलों चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है । शिकारपुर नयी तहसील है । यहां पर तहसील में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर नहीं है, उसे बनवाया जाय । इसी प्रकार से सारी की सारी अव्यवस्था । यह दोष आपका नहीं है, दोष तो इनका है जो इधर बैठते हैं । दोष इनका है कि इन्होंने सोचा कि कोर्ट का सहारा लेंगे । फिर इन्होने इन्तजार किया कि हमारे साथी उधर से इधर आ जायेंगे । लेकिन इनके साथी न आये । इनका-टिकट देने का कोई बेस नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है । इनके यहां तो टिकट देने का कोई फार्मूला नहीं है । हमारे यहां संघ से कार्यकर्ता आता है, हमारे यहां मिशनरी आता है, हमारे यहां अम्बेडकरवादी आता है, हमारे यहां वह व्यक्ति आता है जो गरीबों की मदद करता है । मिशनरी आज अगर चुनाव जीतकर के आता है तो कोई बात नहीं और धन बल के आधार पर कोई जीतकर आता है तो वह गरीबों की क्या बात करेगा, गरीबों की चिन्ता क्या करेगा ? जिसने टिकट खरीदा हो, जिसने चुनाव में खर्च किया हो और वह यहां धन से आया हो तो उसे तो अपना पैसा बचाना लाना ही है । हमारे आरोप भाई किरनपाल कश्यप जी बैठे हैं । चैयरमैन भी हैं जो हमारे ऊपर लग रहे हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, चाहे हम ट्रेन में सफर करें, चाहे बस में सफर करें किसी जनाजे में जाये, किसी कवि सम्मेलन में जायें, किसी के साथ जायें तो मैने प्राइवेट बस में सफर करके देखा है । जनता हमारे बारे में जानती है । आज हमारे यहां जितने भी गुण्डे माफिया हैं वह सब प्राइवेट बस यूनियन के माध्यम से धन उगाही कर रहे हैं । अगर दस रूपये कहीं के लगते हैं अलीगढ़ से छतारी दुराहे तक के तो दस की जगह 15 रूपया लेते हैं । मैंने इस संबंध में एक एफआईआर एक व्यक्ति के नाम से लिखवायी लेकिन एक गुन्डे माफिया बस यूनियन बनाकर संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इसी प्रकार से आज कुछ एक संशय पैदा हो गयी है मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई रोक नहीं रहा है, चाहे बिन्द हो, धीमर हो,कश्यप हो, निषाद हो, कोई भी हो अनुसूचित जाति में अगर उनको शामिल कर रहे हैं या प्रजापति हो, अगर उन्हें वह शामिल कर रहे हैं तो मुझको खुशी इस बात की है कि हम अनुसूचित जाति के हैं और हमारी जनसंख्या बढ़ जायेगी । जिस दिन हमारी जनसंख्या बढ़ जायेगी, हमारी भागीदारी बढ़

जायेगी और अगर भागीदारी बढ़ जायेगी तो हमारे अधिकार बढ़ जायेंगे, लेकिन एक संशय पैदा हो गया है वह पिछड़े में रहेंगे या अनुसूचित जाति में रहेंगे, उनके ही सामने एक संकट पैदा हो गया है, न तो उनको जाति प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति का बन रहा है न तो यह सुविधा पिछड़ी जाति में मिल रही है, न तो यह सुविधा अनुसूचित जाति में मिल रही है आज उनको सुविधा कहीं नहीं मिल रही है । गये थे चौबे जी छौबे जी होने लेकिन द्विवेदी रह गये । घोषणा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लेकिन आज उन्हें जनता समझ चुकी है, उस बिरादरी के लोग समझ चुके हैं कि यह ढकोसला है केवल बहकाया है । हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ था आज यह कह रहे हैं अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो आप आरक्षण कोटा कहां से पूरा करते, अगर हमारी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होती तो मुख्यमंत्री कहां से होते अगर भारतीय जनता पार्टी की वजह से एक बार नहीं दो बार नहीं तीन-तीन बार मुख्यमंत्री बने इसी कारण बनाया था कि वह दलित है, दलित की बेटी है,गरीबों की बात करेंगी, गरीबों की बात उठायेंगी और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगी और गरीबों के लिए कार्य करेंगी मान्यवर, इस बजट में कुछ नहीं रखा है इस बजट में न तो प्रजापति समाज के लिए कुछ रखा है न इस बजट में धीमर, बिन्द, मल्लाह, काछी और जो भी है उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा है, मान्यवर, जब इसमें कुछ नहीं लिखा है तो कहां से इनको लाभ देंगे । केवल वोट पाने के लिए आपका यह घोषणापत्र तो नहीं है, इसलिए मैं मानता हूं कि यह आपका घोषणापत्र है और जो दंगा हो रहे हैं, भड़काये जा रहे हैं, दंगा कराये जा रहे हैं चाहे वह लखनऊ में हुए हों, कानपुर में हुए हों, वाराणसी में हुए हों ।

श्री अधिष्ठाता जी-

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, एक मिनट मे समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल त्रिभाषा संस्कृत, उर्दू पद पर कार्यरत अध्यापकों को गत वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 का मान्यवर, उन्हें वेतन प्राप्त नहीं हो पा रहा है वह बेचारे इधर-उधर धक्के खा रहे हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने 2003-2004, 2004-2005 का तो वेतन पे कर दिया है लेकिन और पैसा की व्यवस्था इस बजट में नहीं रखी गयी है । मान्यवर, इसी प्रकार से एक घटना मेरे जनपद बुलंदशहर में छतारी थाने में हुई थी आप कहते हैं कि रिपोर्ट लिखी जाती है, सबेरे साढ़े पांच बजे एक घटना हुई 06 फरवरी 2006 को, उसमें साढ़े पांच बजे एक लड़की के साथ रेप हुआ, जब रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, रिपोर्ट लिख जाती है जो धरना प्रदर्शन करते है और जाम लगाते हैं, जो व्यक्ति सड़क पर जाते हैं तो रिपोर्ट लिख ली जाती है, बिजली भी आ जाती है सारी सुविधायें उसी दिन हो जाती है जिस दिन रोड जाम हो जाती है । लोकतंत्र में प्रजातंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है । मान्यवर, उन लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो वह कहां जाते मान्यवर, वह रोड पर गये उन्होंने धरना दिया फिर उन लोगों को फटकारा, लाठी बजाया फिर उन्हें थाने में बंद कर दिया और जब थाने में बन्द कर दिया तब उनके घर की महिलायें आई, मान्यवर, आज उन प्रदर्शनकारियों पर लिखे मुकदमें को वापस किया जाय मान्यवर, इसी तरह की एक घटना थाना शिकारपुर में 27-11-05 को 19 व्यक्तियों के खिलाफ नाम दर्ज और 41 के खिलाफ बिना नाम दर्ज हुई मान्यवर, एक ही प्रकार की घटना है, रिपोर्ट लिखी जाती है, उनके पक्ष में प्रदर्शन या विरोध प्रशासन का करते है उनके खिलाफ उन्होंने रोड जाम किया है कानून का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ मुकदमें पंजीकृत किये जाते हैं मान्यवर उन मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए ।

मान्यवर, आज 24 बाल सुधार गृहों में सरकारी ताले लटके हुए हैं । मान्यवर, एक आदेश दिनांक 11-2-2004 में हुआ था कि जो बाल सुधार गृह हैं उनके छोटे-छोटे बच्चों को मण्डल स्तर पर लाने ले जाने में कठिनाई होती है । बड़े अपराधी के साथ रहने से अपराधी बन रहे हैं उस ओर ध्यान दिया जाये । मान्यवर, उन बाल सुधार गृहों में कोई काम नहीं हो रहा है जिससे वे बच्चे बड़े अपराधी होते जा रहे हैं ।

मान्यवर, यह जो बजट रूपी पोथा माननीय नेता सदन ने लिखा हुआ पढ़ा है इसमें कहीं पर भी किसी गरीब के बारे में पिछड़ी जाति के बारे में अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में, उनके हित के बारे में कुछ नहीं कहा गया है इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल ने इस बजट का जो विरोध किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

***श्री जियाउद्दीन रिजवी-**

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, जो वर्ष 2006-2007 का बजट पेश किया गया है वह उत्तर प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने वाला बजट है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो सदियों से दबे, कुचले लोग थे और जिनकी तरफ आज तक किसी की निगाहें नहीं गयी थी, उनको राहत देने का काम इस बजट में किया गया है । मान्यवर, वह किसान जो दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और जो कड़े जाड़े के दिनों में अपने खेत में पानी लगाने का काम करता है और जिसके पैरों की बेवाई फट गयी है और वह दर्द का तो अहसास करता है लेकिन उस पर मलहम लगाने वाला कोई नहीं था । लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब से यह सरकार बनी है और उन्होंने बजट में आम गरीब व्यक्ति को राहत दी है और कमजोर वर्ग के लोगों को सुविधाएं दी हैं, उससे लगता है कि हमारी सरकार गरीबों की पक्षधर है । गांव के गरीब लोग जो निरक्षर हैं, जो खेती और खलिहानी का काम करते हैं उनके बारे में पहली बार सोचने का काम हमारी सरकार ने किया है । अभी मुंशी लाल गौतम जी बोल रहे थे उनकी भी सरकार थी लेकिन क्यों नहीं उस समय सरकारी अस्पताल का पर्चा एक रूपये किया गया । विधवा और विकलांगों की पेंशन बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया गया । मान्यवर, आज हमारी सरकार ने 75 फीसदी खजाने का मुख्य गांवों के विकास और गरीबों की उन्नति की ओर किया है । मान्यवर, आप चाहे सिंचाई को ले लीजिए आज गांव में सिंचाई की सुविधाएं बहाल की जा रही है । यह भारतीय जनता पार्टी और बसपा की सरकार में निःशुल्क बोरिंग की योजना बन्द कर दी गयी थी और जब किसान बोरिंग के लिए जाता था तो उसको इंजन लगाना अनिवार्य था । आज हमारी सरकार ने न केवल घोषणा की है बल्कि उसको अमली-जामा भी पहनाया है कि हर ब्लाक में जो भी किसान है चाहे उसके पास कम से कम 5 कट्ठा जमीन भी है तो फ्री बोरिंग की सुविधा उसको मिल जाती है उसके ऊपर इंजन की कोई अनिवार्यता नहीं है । कि वह इंजन ले बैंकों का चक्कर लगाये, ब्लाकों का चक्कर लगाये। गरीब आदमी इससे पहले इसी झमेले के कारण बोरिंग नहीं कराता था और सिंचाई की सुविधा से वंचित हो जाता था ।

हमारी सरकार ने इस पर प्राथमिकता दी है और जो कम खेती पर निर्भर किसान हैं उनके खेतों में पानी पहुंचाने के लिए फ्री बोरिंग के नाम पर सुविधा देने का काम किया है ।

मान्यवर, आज नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है । मैं एमएलए था मायावती की सरकार में तो चिल्लाता रहा कि मेरे यहां के गांव में टेल तक पानी पहुंचा दिया जाय, तमाम लिखकर दिया मगर टेल तक पानी नहीं पहुंचा । आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राथमिकता है कि नहरों में सफाई समय से होगी और समय से ही पानी टेल तक पहुंचाया जा रहा है । आलोचना करने को तो कोई भी करे लेकिन यह सच्चाई है । आज सिंचाई के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है और नहरों में पानी समय से टेल तक पहुंच रहा है । किसानों के खेत की आवपाशी समय से हो रही है । आज विद्युत के उत्पादन के लिए कार्य हो रहा है । यह सच्चाई है कि आज 20 साल से कोई परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं लगी । इसलिए विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा था । माननीय मुलायम सिंह यादव सरकार ने विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता देकर दादरी में विद्युत सब स्टेशन लगाने का कार्य प्रारम्भ किया वहीं जर्जर पड़े पावर स्टेशन अनपरा में धन लगाकर व्यवस्थिति करने का काम किया है । यही कारण है कि 16 से लेकर 18 घंटे तक बिजली गांवों में आ रही है, दो शिफ्ट में बिजली दे रहे हैं । रात में पूरी रात भर 10 बजे से और 5 बजे से बिजली आ रही है । कोई नहीं कह सकता है कि उसके इलाके में 16 से 17 घंटे बिजली न आती हो । बुनकरों की समस्या इतनी जटिल हो गयी थी कि बुनकर खुदकुशी करने के लिए तैयार थे, बुनकर मारा जा रहा था । पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया यह मुलायम सिंह यादव जी की पहली सरकार है जिसने बुनकरो के कर्जे माफ करने का काम किया है और विद्युत का जो बिल बकाया था उसको माफ करने का काम किया है ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और बुनकरों को रोजी रोटी मुहैया हो सके । बुनकरों को राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है । चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है । अस्पताल में गरीब आदमी खैराती अस्पताल में जाता है । किसान, मजदूर उसका लड़का बीमार हो जाय, उसकी बूढ़ी मॉ बीमार हो जाय तो बड़े अस्पताल में वह नहीं जा सकता । मजदूरी करने वाला जो 40 रूपये पाता है अंडा बेचने वाला गरीब आदमी वह कहॉ से उतने पैसे का इंतजाम करेगा । लेकिन हमारी मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पर्चे का दाम एक रूपये करने का काम किया है । मान लीजिए एक घर में चार आदमी बीमार हो जाय तो 8 इनटू 4 यानि 32 रूपये लग जाते थे पर्चा बनवाने के और फिर उसके बाद वह बूढ़ी मां की दवा का इंतनाम भी करे । तो इसको ध्यान में रखकर एक रूपये का पर्चा बनवाने का काम किया गया है । मान्यवर, मुझे याद है कि जब अटल जी की सरकार थी तो लाल किले से झंडा फहराते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि हिन्दोस्तान में बालिकाओं की फीस बी0ए0 तक फ्री कर दी जायेगी। मुझे भी खुशी हुई थी कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री तो हुआ जिसने यह घोषणा की लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी फीस माफ नहीं हुई । उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बसपा की सरकार थी और केन्द्र में भी इनकी सरकार थी मगर फीस माफ नहीं किया । मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कथनी और करनी में अन्तर नहीं है । मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा है वह करके दिखाया है और बी0ए0 तक लड़कियों की फीस माफ करने का काम किया है और बढ़ी हुई फीस को वापस लेने का काम किया है । हमारी सरकार ने कन्या विद्या धन योजना लागू करके पूरे हिन्दुस्तान को अचरज में डाल देने का काम किया है ।

हिन्दुस्तान मे कोई सूबा नहीं है, जहां कन्या विद्याधन योजना चलाई जा रही हो । उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि कन्याओं के लिये मुलायम सिंह यादव जी ने सोचा । गरीब किसान की बेटियां पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रही है, पढ़ने-लिखने का काम नहीं हो रहा है, उनके पास पैसा नहीं है, किसान के पास पैसा नहीं है । मजदूर जो मजदूरी करता है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, उसके बच्चों की शादी का इन्तजाम नहीं हो पा रहा है,मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस बारे में सोचा और कन्या धन योजना को लागू किया, इस योजना के इतने बेनिफिट मिले कि आगे चलकर गांव-गांव में इसका प्रचार-प्रसार हुआ और जिनकी 18 हजार से 24 हजार के बीच आय थी, जिसका लेखपाल सर्टीफिकेट देता है, उसको कन्या धन का चेक देने का काम मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया । इसके लिये कैम्प लगाकर तहसील स्तर पर पैसा बांटा जा रहा है । यह बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता।

आज रोडवेज मे देखें, अभी तक हमारा परिवहन निगम घाटे में जा रहा था, जर्जर डग्गामार बसें चल रही थी । लेकिन आज परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें लगाई गयी हैं । चाहे इलाहाबाद से लखनऊ हो, बलिया से लखनऊ हो या गाजियाबाद दिल्ली हो, सब जगह नई बसें चलाई जा रही है। अच्छी-अच्छी बसें परिवहन निगम के बेड़े में सम्मिलित की गयी हैं और अब परिवहन निगम घाटे से उबर रहा है और घाटा खत्म हो रहा है । मान्यवर, हमारी सरकार जो घोषणा करती है, उसको पूरा भी करती है । आजादी के बाद तमाम सरकारें केन्द्र और राज्यों में आई, जिन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, लेकिन किसी ने भी उनको भत्ता नहीं दिया । जब किसी सरकार से यह कहा जाता था तो जवाब होता था कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है । इसमें अरबों रूपये लगेगें । इतना पैसा कहां से आयेगा । कहां से इतने संसाधन जुटाये जायेंगे । इस कारण इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा था । हमारी मुलायम सिंह यादव की सरकार ने भी वायदा किया था, अपने घोषणा-पत्र में, प्रदेश का नौजवान उस घोषणा-पत्र के पूरे होने का इन्तजार कर रहा था, मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जो कहते हैं, वह करते हैं । अभी आज नहीं कल, कल नहीं परसों नया सवेरा आयेगा और नई रोशनी लेकर आयेगा । यह नया सवेरा हमारे लिये कुछ करके जायेगा । मुलायम सिंह यादव ने सभी स्नातक बेरोजगारों को 500 रूपया प्रतिमाह देने का काम किया है । आने वाले समय में जैसे-जैसे संसाधन बढ़ेगें, वैसे-वैसे हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे । जब संसाधन बढ़ जायेंगे तो हम इसको एक हजार करने का काम करेंगे । क्योंकि बेरोजगार नौजवानों का 500 रूपये से कुछ होने वाला नहीं है । इससे एक डूबते को तिनके का सहारा मिला है । यह बहुत बड़ी चीज होती है, कोई आदमी यदि डूब रहा है और उसको एक सहारा मिल जाय तो वही डूबते को तिनके का सहारा माननीय मुलायम सिंह यादव ने दिया है ।

आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास हो रहा है । आज यहाँ अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं । आप देखें कि किस तरह से राजस्व विभाग में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है । अभी तक लेखपाल खतौनियां बनाने का काम करता था, लेकिन इंतखाब लेने के लिये किसान को 100-100 रूपया देना पड़ता था, इसके अलावा किसी के नाम की जगह किसी का नाम हो जाता था, इस सबको कम्प्यूटराइज करने का काम अम्बिका चौधरी जी ने किया है । अब सारी खतौनी कम्प्यूटराइज हो गयी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है । जब चाहिये, तहसील से किसान कम्प्यूटर से अपनी खतौनी ले लेता है । यदि कोई अमल दरामद करना होगा तो वह बाद में दर्ज होगा । राजस्व विभाग में यह बहुत बड़ा काम हुआ है । अगर कोई गांव का किसान बिजली लगने से मर जाये, डूब के मर जाये, सांप के काटने से मर जाय, तो पिछली सरकार एक पैसा नहीं देती थी, एक रूपया, दो रूपया नहीं, सौ रूपये नहीं पांच सौ रूपये नहीं हमारी सरकार ने हमारे राजस्व मंत्री जी ने घोषणा की है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हजारों-लाखों किसानों को जो गांव में अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं, जो कटकटाते हुए जाड़े में काम करते हैं, जिनकी बेवाइंयां फट जाया करती हैं, और उनके पास दवा का इन्तजाम नहीं हो पाता है, उसको सांप काट लेता था, पेड़ से गिर जाता था, उसे कोई पूछता नहीं था । ऐसे लोगों के लिये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने केवल घोषणा ही नहीं की, बल्कि उसे अमलीजामा भी पहनाया, ऐसी आकस्मिक मौतों पर एक लाख रूपये का अनुदान उन्हें दिया जा रहा है । हमने अपने क्षेत्र में ऐसे चार लोगों को यह पैसा दिलवाया है । हमारे क्षेत्र गंगा सागर गुप्ता जो मिडिल स्कूल के अध्यापक थे, सांप काटने से मर गये, उनके गांव के लोग हमारे पास आये और हमने उनका पोस्टमार्टम करवा दिया और जब पोस्टमार्टम हो गया तो हमने फाइल प्रस्तुत की और हमारे राजस्व मंत्री जी ने एक लाख रूपये उनको दिया । जिस दिन उस गांव में उन्हें यह पैसा मिला पूरे गांव में धूम मच गई, उन लोगों ने कहा कि इतना बड़ा ऐतिहासिक काम आज तक कभी नहीं हुआ । गांव में

प्रजापति परिवार की एक महिला को सांप ने काट लिया, उसको भी एक लाख रूपया दिलवाया गया । एक कुशवाहा बिरादरी की एक औरत को एक लाख रूपया दिलाया गया । इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है, अगर कोई आपके इलाके में भी हो, जिसे सांप ने काट लिया हो और वह मर गया हो तो आप उसका पोस्टमार्टम करवा दें, उसके बाद उसके घर वालों को एक लाख रूपया हमारी सरकार देने का काम कर रही है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार गांव के गरीब किसानों, बुनकरों, दस्तकारों और शिक्षकों की सरकार है । हमारी सरकार ने शिक्षकों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ा दिया है । इस सबके बाद अब आलोचना के लिए बचता ही क्या है, आज विरोधी पक्ष के पास कोई आलेचना का मुद्दा नहीं है । अभी माननीय मुंशी लाल गौतम जी कह रहे थे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछली बार का जो बजट था, उसी में यह प्रावधान किया था कि हर जिले में बार एसोसियेशन की बिल्डिंगें बनेगीं । हमारे क्षेत्र में बन रही हैं, गाजीपुर में बन रही हैं, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर में बन रही हैं और अगर आपके यहाँ नहीं बन रही है तो आप हमारे राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी जी को दरख्वास्त दे दीजियेगा, वह बन जाएगी । इतना ही नहीं अब तो तहसील स्तर पर इसे बनाया जा रहा है, अब तहसील स्तर पर बार एसोसियेशन की बिल्डिंगें बनाने का काम किया जा रहा है । यह सरकार नौजवानों, छात्रों, अल्पसंख्यकों सभी की सरकार है और अल्पसंख्यक के लिए दो-दो हज हाउस बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से जो कमजोर लोग हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको रोजी रोटी से जोड़ने के लिए निगम से कम ब्याज पर कर्ज देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने शुरू किया है । इसलिए इस सरकार से अल्पसंख्यक भी खुश हैं और किसान भी खुश हैं । आज किसानों को तमाम योजनाओं के पैसे में बढ़ोत्तरी करके हमारी सरकार ने यह सबूत दिया है कि यह किसानों की सरकार है और हमारी सरकार ने पेंशन जैसी कई योजनाओं में किसानों को धन मुहैया करा करके उनके सपनों को पूरा करने का काम किया है । बस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने गांवों के विकास के लिए इस बजट को पेश करने का काम किया है, जिसकी प्रशंसा आज पूरा समाज कर रहा है ।

***राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-**

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी मा0 रिजवी साहब जिस किसान दुर्घटना बीमा की चर्चा कर रहे थे उस संबंध में यहां बैठे साथियों को एक जानकारी दे दूं । आपकी जानकारी में या आपके क्षेत्र में किसी किसान की मृत्यु किसी प्रकार की दुर्घटना से हो गयी है तो बीमा कम्पनियां अपना पैसा बचाने के लिए जानबूझकर हाला-हवाली करती हैं और उसका भुगतान नहीं कर रही हैं । आप मुझे लिखित सूचना दे देंगे जिससे हम पैसा दिलवा सकें । पोस्टमार्टम की व्यवस्था है, अगर किसी बजह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ और आप स्वयं संतुष्ट है कि दुर्घटना में किसान की मृत्यु हुई है तो उसकी सूचना दे देंगे तो मैं बीमे की रकम दिलवाऊंगा । समय-सीमा इसकी 30 दिन की है, उसके अंतर्गत दरख्वास्त पड़ जानी चाहिए । लेकिन अगर औपचारिकता में थोड़ी-बहुत कमोवेशी हो तो हम उसको देख लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि छोटी-मोटी औपचारिकताओं के कारण गरीब मारा जाए यह देखना हमारा आपका धर्म है । बीमा कम्पनी को हमने पूरा प्रीमियम दे दिया है, अब अगर वह किसान को दुर्घटना राशि नहीं देते हैं तो बीमा कम्पनी मुनाफा कमायेगी । इसलिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है । आपकी जानकारी में जितने केसेज हों, अगर नहीं मिल रहा है और पात्रता में होगा तो निश्चित रूप से दिलवाया जायेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम किशुन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2006-2007 के बजट पर....

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

माननीय मंत्री जी, आपने समय-सीमा की बात कहीं है, गांवों में किसी को पता नहीं है, दो-दो महीने के बाद एप्लीकेशन दे रखा है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

जिस तहसील का हो वह बता दीजिए, समय-सीमा की दिक्कत है, वह दिखवायेंगे । जो कर्मचारी उस तहसील के हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वह समय पर सूचना दें अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनको दण्डित करेंगे । कोई स्पैसिफिक केस हो जिसमें समय-सीमा के अंतर्गत सूचना नहीं दी गयी हो तो मुझे लिखकर दे दें । बीमा कम्पनी और सरकार के बीच करार है इसलिए प्रशासनिक आदेश के द्वारा तिथि नहीं बढ़ा सकते, अपनी ओर से समय सीमा बढ़ा लें तो जो करारनामा है उसके अनुसार बीमा कम्पनी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है । क्योंकि करारनामा होने की बजह से समय-सीमा इकतरफा नहीं बदला जा सकता । अगर तहसील के कर्मचारियों के द्वारा सूचना देने मे देरी की गयी है तो दंडित करेंगे । दूसरे यह कहने का प्रयत्न करेंगे कि थोड़ा ढील देकर के बीमा कम्पनियों से प्रयास करेंगे कि वह विचार करें और जो लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं उसको कन्सीडर करते हुये जरूर दिलवा दें । एक और चीज कहना चाहता हूं कि बीमा कम्पनी के साथ एक और शर्त हुई थी कि प्रत्येक जगह पर प्रचार-प्रसार करवायेंगे, प्रत्येक तहसील और ब्लाक मुख्यालय पर, मंडियों पर प्रचार करवायेंगे, लेकिन अभी तक यह कार्य उन्होंने नहीं करवाया है । इसको भी सुनिश्चित करवायेंगे । इसके लिए आपको पत्र भेजेंगे ।

***श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक'-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा । अभी रिजवी साहब ने बताया कि किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक-एक लाख रूपया दिया गया है । हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है लेकिन एक लाख रूपया नहीं दिया गया, पोस्टमार्टम के बावजूद 50-50 हजार रूपये की धनराशि दी गयी है । क्या उस केस को संशोधित करने के लिए तहसील में पुन: कहें, तो विचार किया जा सकता है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

अब नहीं हो सकता । आंशिक अपंगता की स्थिति में रूपया कम दिया जाता है लेकिन फिर भी 40 हजार रूप्ये से कम नहीं दिया जाता । अगर एक हाथ, एक पैर या एक आंख दुर्घटना में चली जाती है तो उसे 40 हजार रूपया दिया जायेगा परन्तु अगर पूर्ण अपंगता है जिसमें दोनों पैर, दोनों हाथ कट गये हैं या दोनों आंखें चली गयी है या फिर जो पूर्ण अपंगता की परिभाषा है उसमें आते हैं तो उन्हें भी एक लाख रूपया देते हैं । अगर किसी की दो अंगुलियां कट गयीं तो 20 हजार देते हैं, ज्यादा होती है तो 40 हजार देते है और अगर पूर्ण अपंगता हो गयी तो 1 लाख रूपया और यदि मृत्यु हो गयी तो 1 लाख रूपया दिया जाता है, न ज्यादा न कम । अगर किसी की मृत्यु पर 50 हजार रूपया दिया गया है तो आप मुझे अवगत करायें । अगर कोई गड़बड़ी हुयी है तो उसको ठीक करायेंगे और 1 लाख रूपया जरूर दिलवायेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरे यहां रसूलगढ़ में एक घटना हुई ।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिखकर दे दीजियेगा ।

***श्री राम किशन-**

अधिष्ठाता महोदय, आपने 2006-07 के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, यह सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बजट है तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुलायम सिंह ने सभी वर्गो के हित और विकास को ध्यान में रखते हुए इस सदन में पेश किया है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

एक बात मैं और कह दूं । यह 1 लाख रूपये जो बीमे की राशि है यह किसी राशि में से मिन्हा नहीं की जायेगी । अगर किसी के पास पांच पालिसियां है तो यह उन पांचों से अलग दी जायेगी । दैवी आपदा की जो राशि है उसमें 50 हजार रूपये की राशि मृत्यु ही दशा में भारत सरकार द्वारा दी जाती है । माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बजटरी प्राविजन किया है और अब इसमें 1 लाख रूपया दिया जायेगा । इसमें 50 हजार भारत सरकार और 50 हजार स्टेट गवर्नमेंट देगी इस तरह से दैवी आपदा में 1 लाख रूपया देने का प्राविधान है और यह राशि बीमे की रकम से अलग है ।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, यह बजट सबके हित का बजट है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो राष्ट्रीय समस्या नक्सलवाद की है उसके लिये सरकार ने दृढ़इच्छा शक्ति दिखाई है । हिंदुस्तान के पचासों जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सलवाद की समस्या गंभीर रूप में है । हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर में विकास के कार्य चलाये और स्वयं जाकर चंदौली और नौगढ़ के करीब पिछड़े, दलितों के विकास के लिये योजनायें शुरू की इससे वहां नक्सलवाद की गंभीर समस्या पर नियंत्रण हुआ । वहां पर आजादी के बाद आज तक विकास की किरण नहीं पहुंची थी । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीबों की बेटियों की पढ़ाई-लिखाई की तरफ अगर किसी ने ध्यान दिया है तो वह उत्तर प्रदेश के मुखिया मुलायम सिंह जी हैं । गरीबों के इलाज के लिये 1 रूपये की पर्ची की व्यवस्था उन्होंने की है और गरीबों की दवा का इंतजाम हमारे मुखिया माननीय मुलायम सिंह ने किया है ।

गंभीर बीमारियां होती थी पैसे के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे । पी0जी0आई0 जैसे अस्पतालों में जिन गम्भीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता था । उन अस्पतालों को सुविधा देकर, विवेकाधीन कोष से धन देकर उन गरीब, बीमार लोगों के इलाज कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अपने बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार आज गांवों के विकास के लिए बजट का 80 फीसदी खर्च गांवो के विकास पर कर रही है । जब तक गांवों का विकास नही होगा तब तक निश्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रूप से देश का विकास सम्भव नहीं हो पाएगा । इसलिए उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने गांवों के विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया है । हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि बिजली नहीं मिलती है उनसे पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आज से दो ढाई साल पहले जब बिजली की समस्या को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरते थे तो इन्हीं की सरकार होती थी तब लाटी चार्ज होता था लेकिन आज के दिन कहीं पर बिजली की ऐसी समस्या नहीं है कि आज जनता सड़कों पर उतरे । आज 12-13 घंटे बिजली देने का काम सरकार कर रही है । पढ़ाई के लिए इंतजाम हो रहा है, दवा के लिए इंतजाम हो रहा है यह उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जो हर दिशा में काम कर रही है । यह पहली सरकार है जिसने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे साथी राम इकबाल सिंह जो छात्र नेता रहे हैं आपकी भी सरकार थी लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के पैत्रक गांव के बारे में आपने कभी गम्भीरता से नहीं सोचा । यह उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसने लाल बहादुर शास्त्री के पैत्रक आवास और उनके जन्म स्थान मुगलसराय जहां एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है जहां उनका जन्म हुआ था वह स्थान रेलवे भारत सरकार के अंतर्गत आता है उसका कम्पाउंड है । हमारे कांग्रेस के साथी हैं उनको भारत सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि शास्त्री के जन्म स्थान को जो रेलवे परिसर में कैद है जिसका विकास उत्तर प्रदेश सरकार करना चाहती है तो उनके जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करके 15 करोड़ रूपये उसके विकास के लिए देने का काम रही है । मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार महापुरुषों को याद करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है । मैं बजट पर सामान्य चर्चा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए खेतों में खुशहाली लाने के लिए, खेतों में पानी लाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है और इस दिशा मे काम कर रही है । नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए, नहरों के सुदृढ़ीकरण काम हो रहा है । हम लोग जब विपक्ष मे थे तो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार से हमेशा मांग किया करते थे । हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया । अब यह लोग कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा । हमने शुरूआत कर दी है इससे बेरोजगारों में आशा की किरण जगी है । हजारों युवक लाइन लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं । इस बजट में जिनको आज तक कोई पूछता नहीं था अनुसूचित जाति की बेटियों को पहले मुश्किल से हमारे यहां 20-25 बेटियों की शादी के लिए पैसा मिलता था लेकिन इस सरकार के समय कम से कम 400 बेटियों की शादी में धन देने का काम हमारी सरकार के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ने किया है ।

इसी प्रकार प्रत्येक जिले के लिये ज्यादा से ज्यादा बजट में प्राविधान करके उनके विकास के लिये काम किया है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद समस्या का जो गंभीर संकट था, हमारे लोगों को काम नहीं मिलता था, लोग भूखों मरते थे । काम देकर अनाज की योजना लागू की है। नौगढ़ की तरफ जंगलों में सड़कें नहीं थी । वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित था वहां पर वन विभाग से अनुमति लेकर सड़कें बनाने का काम किया है । मैं आपके माध्यम से इस बजट के समर्थन में विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि यह बजट सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिये काम कर रहा है और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसी लोकप्रिय सरकार बहुत कम लोगों को मिलती हैं आज इस तरह की सरकार हमारे प्रदेश को मिली है। मान्यवर, आज अभी चर्चा हुई थी कानून व्यवस्था के नाम पर । हमारे बहुत सारे साथियों ने कानून व्यवस्था को खराब बताया था । मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि एस0 टी0 एफ0 के लोगों ने खूँखार आतंकवादियों का सफाया किया है । गुण्डों माफियाओं की बात करने वाले टिकट देने के नाम पर पैसा लेकर गुण्डों को टिकट देते हैं और कानून व्यवस्था की

बात करके दोमुखी बातें करते हैं । इनकी कथनी और करनी में अंतर है । हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है इसीलिये सबके विकास और कल्याण के लिये यह कल्याणकारी बजट है । मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में नहीं दुनिया में जो इतिहास कायम किया है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है इसके लिये हम सबको उत्तर प्रदेश के मुखिया को बधाई देनी चाहिए और वे इसके लिये बधाई के पात्र हैं क्योंकि ऐसे समय में जब संसाधनों की कमी थी, खजाने खाली थे और लोग कहते थे कि कैसे इन परिस्थितियों में यह सरकार चलेगी । वहीं आज हमने बेरोजगारों को भत्ता दिया है, कन्या विद्याधन के रूप में बीस हजार रूपये देने का काम किया है । इतना ही नहीं जो सड़कें जर्जर थीं, खराब थीं उनको बनवाकर ठीक कराने का काम किया है । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं मुगलसराय से । मैंने पहले भी कहा था बजट भाषण के दौरान कि वहां पर रेलवे लाइन के आस पास 20 गांव घिरे हुए हैं । इन गांवों के विकास के लिये यदि भारत सरकार कुछ करे तो महती कृपा होगी। हम इस बजट के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहां जो रेलवे लाइन चारों तरफ से गांवों से घिरी है उन गांवों के लिये प्रदेश सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है । हमको वहां पर रेलवे लाइन पर केबिन और गेट चाहिए । रेलवे पटरी से होकर सड़क बनाने के लिये असुविधा होती है । वहां पर स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है । मैं बजट के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार वहां पर इन गांवों के विकास के लिये कुछ करे । यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । लाल बहादुर शास्त्री को मुगलसराय ने जन्म दिया है । रेलवे का बड़ा यार्ड यहां पर है । यहीं से कोयला पूरे पूर्वांचल को मिलता है । पिछली सरकारों के समय यहां पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ अगर आज कुछ विकास का कार्य हो रहा है तो कुछ लोगों को खटक रहा है । पूर्वांचल में सबसे अधिक तेल के डिपो मुगलसराय में है चाहे वह भारत पेट्रोलियम का हो, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम हो या इंडियन ऑयल का हो। खुदा न खास्ता वहां कोई अप्रिय घटना हो जाय तो 10 किमी0 का एरिया मुगलसराय का जलकर राख हो सकता है । मैं इस बजट के माध्यम से औ. सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार के जितने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान इस क्षेत्र में हैं उस अनुपात में एक पैसे का भी योगदान भारत सरकार का नहीं होता है यह बड़े दुःख की बात है । मैं कांग्रेस के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि महात्मा गाँधी का जो पार्क वहां पर है वह रेलवे परिसर के अन्दर बन्द है आप भारत सरकार से आग्रह करके उसको आम जनता के लिये खुलवाने का काम करें ।

अन्त में अपने क्षेत्र की कुछ गम्भीर समस्याओं को इस बजट के माध्यम से रखना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में गढ़ई नदी है । यहां गम्भीर समस्या को देखते हुए पिछली बार खुदाई की मांग की गई थी कुछ खुदाई होनी थी पुल का निर्माण होना था, वहां पुल का निर्माण कराया जाना चाहिए । इसी तरह करमना सहाय है इसकी सफाई की आवश्यकता है यहां पर भी पुल बनवाने की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं नौगढ़ के उस क्षेत्र के विकास की बात करना चाहता हूं । जहां आदिवासी बच्चे रहते हैं वहां आश्रम पद्धति का एक विद्यालय है इस बजट के माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूं कि दलित बच्चों, पिछड़े गरीब बच्चों को पढ़ाने का वहां इंतजाम नहीं हैं । आश्रम पद्धति के जिले में एक दो कालेज स्थापित किए जायें ताकि उसके माध्यम से गरीब परिवार के बच्चे जिनको भोजन का अभाव है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं उनको आश्रम पद्धति के विद्यालय बनवाकर पढ़ाने का इंतजाम करें । इस बजट के माध्यम से सुझाव के रूप मे मांग करता हूं और यह जानना चाहता हूं कि मुगलसराय को ऐसा स्थान बनाया जाए, वहां जो नगरपालिका है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के लोग रहते हैं साम्प्रदायिक दंगे वहां कभी नहीं हुए । मैं राम इकबाल जी को याद दिलाना चाहता हूं मैं उनका

जूनियर रहा हूं । दीन दयाल उपाध्याय के दर्शनशास्त्र की किताब को आपने पढ़ा होगा । उनकी बड़ी चर्चा होती है उनके मरने का स्थान मुगलसराय है आपने ध्यान नहीं दिया । पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से जो संस्थान बनाया गया है उसमें ऐसे व्यक्ति का नाम लिखाया गया है, शर्म आनी चाहिए, संस्थान दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम से बना रहे हैं और उस संस्थान का जो हाल है उसका नाम सीताराम चौहान रखा गया । क्या आप कभी इसकी चर्चा करते हैं । दीन दयाल उपाध्याय जी जिनके नाम से संस्थान बना जहां उनका शरीर मृत मिला । जब आप चर्चा करते हैं तो बड़े गर्व से उनका नाम लेते हैं । उस स्थान के विकास के लिए आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया ? प्रमोद कुमार जी बगल से जा रहे थे । मुगलसराय के लिए महात्मा गॉधी जी ने कहा यह ऐसा स्थान है जहां दुनिया के हर कोने का रास्ता मुगलसराय होकर जाता है । जब अपमान करते हैं तो प्रहार करते हैं कहते हैं सौ साई एक मुगलसराय । सौ साई सौ सन्त के बराबर । मुगलसराय टीनाराम जी की स्थली रही है । माननीय विधायक और पूर्व मंत्री सुखदेव राजभर जी मैं बताना चाहूंगा कि मुगलसराय टीनाराम जी की जन्मस्थली रही है । लालबहादुर शास्त्री की जन्मस्थली रही है वेद व्यास जी की कर्मभूमि रही है । वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत लिखा था उनकी कर्मभूमि मुगलसराय रही है । महाराजा काशी नरेश जी की बनारस और काशी का जो गौरव है वह भी गंगा इस पार जो नई काशी रामनगर है । (शोर) एक दलितों की नेता, बहन मायावती जी नहीं, एक दलितों की संत नेता नोना चमाइन कही गई उनकी जन्मस्थली मुगलसराय रही है जिसको इतिहास के पन्नों से समाप्त कर दिया गया । जिसका नाम लेने से बिच्छू सांप जो काटते थे उसका मंत्र जाप कलियुग में कर लेने से विष नाश हो जाता था इस नोना चमार चमाइन सौ साईं सौ संतों के बराबर होता है तो एक मुगलसराय का नागरिक सन्त के बराबर हुआ इसलिए मैं इस बजट के माध्यम से यह चाहूंगा । पौराणिक रूप से भी उसने देश को योगदान दिया है । जब फौजें जाती थी, जहां सेना टिकती थी, वह स्थान आज भी आलमपुर के पास मौजूद हैं । जहां बाल्मीकि जी की तपस्या-स्थली रही हो, आज उत्तर प्रदेश की सरकार उसके विकास के लिए प्रयास कर रही है । हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो नगर पालिकाएं हैं । नगर पालिका मुगल सरायं में कोई काम नहीं हुआ । जब से यह सरकार बनी है, तब से कुछ काम हुआ है । वहां पर सुखदेव राजभर जी का चेयरमैन भी 5 साल तक रहा है लेकिन कोई काम नहीं हुआ । मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चेयरमैन भाजपा का था, एक पैसे का काम नहीं किया । जब राम प्रकाश गुप्त जी राम नगर में गये थे, जब वह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम इसके विकास के लिए 1 करोड़ रूपये देंगे लेकिन एक पैसा नहीं दिया । जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने भी कहा था कि इसके विकास के लिए 2 करोड़ रूपये देंगे लेकिन एक पैसा नहीं दिया । सुश्री मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुखिया होकर मुगलसरायं गयी तो उन्होंने कहा कि हम चन्दौली को जनपद बना रहे हैं लेकिन उसके विकास के लिए एक भी पैसा नहीं दिया, यदि एक पैसा दिया हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा । लेकिन मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुलायम सिंह की कथनी-करनी में अन्तर नहीं है ।

31 दिसम्बर को माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां गये थे और उन्होंने रामनगर और बनारस को जोड़ने के लिए 47 करोड़ रूपयें का पुल देने की घोषणा ही नहीं की, शासनादेश चला गया है और काम हो रहा है । हमारी सरकार ने मुगलसरायं के लिए पानी की व्यवस्था के लिए पैसा दिया है, एक महिला हास्पिटल बनाने के लिए पैसा दिया गया है लेकिन चन्दौली जनपद के विकास के लिए और पैसा देने की जरूरत है । इन लोगों ने तो सिर्फ घोषणाएं कर दीं, किसी ने एक करोड़ की, किसी ने दो करोड़ की, लेकिन एक पैसा नहीं दिया लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब नवगढ़ में गये तो उन्होंने

करोड़ों-करोड़ों रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है । आज स्थिति यह है, मैं माननीय सुखदेव राजभर जी से कहना चाहता हूं, आज आप नवगढ़ में जायें, आज वहां की जनता मुख्यमंत्री की जय-जयकार कर रही है । एक भी नक्सलवादी हाथों में बन्दूक लेकर नहीं चल रहा है और वह आत्मसमर्पण कर रहे हैं । आज एक भी निर्दोष को सताया नहीं जा रहा है, परेशान नहीं किया जाता है जब कि दूसरे प्रान्तों में रोज हत्याएं हो रही हैं, नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या पर। आज बनारस की घटना पर चर्चा हुई, बड़ी संवेदनशील घटना हुई है, लेकिन वहां की जनता ने सामाजिक सद्भाव का परिचय दिया है और वह इसके लिए बधाई की पात्र है । साम्प्रदायिक शक्तियां लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहती हैं ताकि साम्प्रदायिक दंगा हो और उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है।

मान्यवर, बनारस की जो परम्परा रही, बनारस की सभ्यता और संस्कृति रही कि उन्होंने बनारस को साम्प्रदायिकता की आग से जाने से रोक दिया । हम बनारसवासियों को बधाई देना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि मुगलसराय क्षेत्र जनपद चंदौली जो धान का कटोरा के नाम से जाना जाता था पिछली सरकारों में नक्सली के नाम से पहचाना जाने लगा था । आज उत्तर प्रदेश की सरकार में वह विकास के रूप में जाना जाने लगा है, आज वहां सड़कें बन रही हैं, वहां विकास कार्य हो रहे हैं। अस्पतालों में डाक्टरों की कमी नहीं है । दवाएं फ्री हैं । एक रूपये का पर्चा होने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उन्हें वजीफा मिल रहा है, ड्रेस भी मिल रही है, पढ़ने लिखने का इंतजाम भी हो रहा है । गंभीर बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं उनका इलाज बनारस के अस्पतालों में और पी0जी0आई0 में कराया जा रहा है । गंभीर दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाने पर आश्रित होनहारों की परवरिश के लिए सरकार लाखों रूपये दे रही हैं । मैं ऐसी सरकार के बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और विपक्ष के और सत्तापक्ष के सारे लोग उम्मीद करते हैं कि यह सर्वजन कल्याणकारी बजट है और सर्वजन सुखाय बजट है, यह किसी धर्म, मजहब के लिए नहीं बल्कि सारे प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बजट है । इसलिए मैं इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे इसके समर्थन में बोलने का समय दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राम लाल अकेला-

श्री अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, मुर्झाए हुए चेहरों पर मुस्कान लाने वाला जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें बनीं और तमाम लोगों ने मजदूरों, किसानों को सपने दिखाने का काम किया लेकिन हकीकत यह है कि मजदूरों, किसानों के मुर्झाए चेहरों पर मुस्कान लाने का काम अगर किसी सरकार ने किया हे तो वह माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने ही किया है । जब श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी तो गन्ना किसान पूरी तरह से बरबाद हो गये थे, भुखमरी की कगार पर पहुंच गये थे लेकिन श्री मुलायम सिंह जी की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से गन्ना किसानों का भुगतान किया गया और इसके अलावा गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गयी । यह एक कल्याणकारी काम हमारी सरकार ने किया है । इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो ऊसर और बंजर भूमि थी वह किसी लायक नहीं थी । उसके लिए भूमि सेना का गठन करके व्यवस्था करने का काम किया । सरकारी खर्च पर गरीब मजदूरों को रोगजार देने का काम किया और उस ऊसर बंजर भूमि को खेती योग्य बनाकर भूमिहीनों में वितरित करने का काम किया जायेगा । ऐसा कल्याणकारी और क्रान्तिकारी कदम इस सरकार ने करके दिखाया है । ऐसी-ऐसी सरकारें आयी जिसने केवल उत्तर प्रदेश में

घोषणाएं करने का काम किया और उत्तर प्रदेश के जनमानस में वह घोषणानाथ मुख्यमंत्री हो गये । सड़कें जो उत्तर प्रदेश में खस्ताहाल थी, चलने लायक नहीं थीं, हमारी सरकार ने, विशेषकर लोक निर्माण मंत्री, श्री शिवपाल सिंह जी ने उन्हें ठीक करवाया । आज दूर न जायें, तो मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा कि आज लखनऊ शहर सुन्दरता में दिल्ली को भी मात कर रहा है । जिस तरह से लखनऊ में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है इसके लिए मैं माननीय श्री शिवपाल सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं । केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सड़कें चाहे वह ओडीआर हो या वीडीआर हो, जो खराब थीं, उनको ठीक कराने का काम किया गया है । इसके अलावा तमाम ऐसे गांव, जो सड़कों से जुड़े नहीं थे, समग्र गांव का सृजन करके एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है, उनको जोड़ने का काम किया गया है ।

हिन्दुस्तान के अदंर तमाम सरकारें आयी । लेकिन यह पहली सरकार है जिसने बे रोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है । लोग इस सदन के अन्दर मांग किया करते थे कि बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए । लेकिन हमारी सरकार ने इसे देने का वायदा किया । मुख्यमंत्री जी ने पहले इस संबंध में दिल्ली की तरफ देखा था कि उनका क्या नजरिया है, लेकिन दिल्ली से जवाब आया कि यह हमारे एजेंडे में नहीं है, हम बेरोजगारी भत्ता के बारे में कुछ नहीं कर सकते । फिर एक साहसिक कदम उठाकर मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता दिलाने का ऐलान किया। मान्यवर, पहली बार चाहे वह पंचायतों के अध्यक्ष हों, क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख हों या जिला पंचायत के सदस्य हों, उन सारे लोगों को भत्ता दिलाने का काम इस सरकार ने किया है । मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा की बात कही गयी । हमारी सरकार ने गरीबों को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा दरवाजे-दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है । इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह कर दिया कि जिनके पास भोजन नहीं होता था, तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अपने बच्चों को स्कूलों में भेजों हम उन्हें भोजन भी देंगे और उनके लिए भोजन का इंतजाम हमारी सरकार ने किया । आज समूचे उत्तर प्रदेश में मिड डे मील के तहत भोजन देने का काम किया जा रहा है । मान्यवर, जो हमारे प्राइमरी में पढ़ने वाली बालिकायें हैं, इतिहास में पहली बार इस सरकार ने उन्हें यूनिफार्म देने का काम किया है। यह केवल घोषणा नहीं है बल्कि उनको देने का काम भी किया गया है । यही नहीं कक्षा एक से आठ तक जाति का भेद मिटाकर इस सरकार ने मुफ्त किताब देने का काम किया । इसके अलावा जो गरीब का बेटा है जातीय लकीर मिटाकर उत्तर प्रदेश के अंदर यह पहली सरकार बनी जिसने सारे गरीब वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का क्रान्तिकारी कदम उठाया है और यह कदम इसलिए उठाया है कि समाज में जाति के नाम पर जो नफरत बोने वाले लोग हैं, समाज में मजहब के नाम दीवार खड़ी करने वाले लोग हैं, हमारी सरकार ने जाति के नाम पर नफरत फैलाने का काम नहीं किया हमारी सरकार ने मजहब की दीवार तोड कर इन्सानियत का पैगाम देने का काम किया है, भाई को भाई से मिलाने का काम किया है और मजहब के नाम पर नफरत को समाप्त करके इन्सानियत का संदेश देने का काम किया है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने केवल एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया, किसान के लिए काम किया, शिक्षक के लिए काम किया, छात्र-छात्राओं के लिए काम किया, बेरोजगारों के लिए काम किया, व्यापारियों के लिए काम किया, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए इस सरकार ने काम नहीं किया हो, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के विकास के बढ़ते हुए कदम को लोग बरदाश्त नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आये दिन बहाने बनाकर इस सरकार के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते है, जो सरकार विकास के काम कर रही है, उनकी चर्चा गांव तक न पहुंचे इसलिए गलत तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है ।

कानून व्यवस्था के नाम पर इस सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुण्डा राज खत्म करने का काम किया है और वास्तव में जनता राज लाने का काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर किसी ने किया है तो उस नेता का नाम है मुलायम सिंह यादव, उन्होंने गुण्डाराज खत्म करके कानून का राज स्थापित करने का काम किया उन्होंने लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया है इसलिए मान्यवर, प्रदेश के करोड़ों लोगों के अन्दर विश्वास जागा है । बनारस के बारे में कई अन्य घटनाओं के बारे में तो मान्यवर, पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि आतकंवादी घटना एक राष्ट्रीय त्रासदी है, यह एक प्रदेश की समस्या नहीं है और यह कोई पहली घटना नहीं है, यह जो घटना हुई है इसकी हम निन्दा करते हैं, लेकिन मान्यवर, मैं अपने सामने बैठे हुए साथियों से कहना चाहता हूं, मैं बहुत जूनियर हूं उनसे, लेकिन कल से विचार कर रहे थे और किसी साथी ने सदन मे बहस के दौरान यह बात कही थी कि आपने जिस तरीके से पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर रेड एलर्ट था और सारी फोर्स चाहे वह पी0ए0सी0 रही हो, पुलिस रही हो सबका केवल एक काम था कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सीमा से आतंकवादी भागने न पाये, बनारस की सीमा से यह आतंकवादी भागने न पाये और जब पूरा पुलिस बल इन आतंकवादियों को खोजने में लगा था तो हमारे इन भाइयों ने पूरे उत्तर प्रदेश के बंद का काल देकर के पुलिस बल का ध्यान बटाने का काम किया और निश्चितरूप से आतंकवादियों की मदद किया है, हम इसकी निन्दा करते हैं । आज उत्तर प्रदेश के अन्दर मुलायम सिंह यादव ने बेरोजगार नौजवानों के लिए जो भर्ती के दरवाजे खोले हैं, हिन्दुस्तान के सारे सूबों में बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकारी भर्ती के लिए दरवाजे बन्द कर दिये गये सामने बैठे हैं हमारे साथी यह अपना रिकार्ड उठाकर देखें कि उन्होंने कितने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने चाहे शिक्षकों की भर्ती का सवाल रहा हो, चाहे पुलिस में सिपाहियों की भर्ती का सवाल रहा हो चाहे अन्य सरकार भर्तियों का सवाल रहा हो, उस सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकारी भर्ती पर जो रोक लगा दी थी उस रोक को हटाते हुए उत्तर प्रदेश के वह नौजवान जो जिन्दगी से निराश हो गये थे उत्तर प्रदेश के वह नौजवान जिसकी जिन्दगी जीने की हवस खत्म हो गयी थी हमारी मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उसके मुरझाये हुए चेहरे से मुस्कान लाने का काम किया है, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनता मुलायम सिंह यादव जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है जिसका 70 प्रतिशत पैसा गांवों में जा रहा है, जो किसानों के मुरझाये हुए चेहरों में मुस्कान पैदा करने वाला है ।

मान्यवर, इसलिए उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह बहुमुखी विकास का बजट प्रस्तुत किया है इसका मैं समर्थन करता हूं। सम्पूर्ण प्रदेश की जनता इसका समर्थन करती है । मैं विरोधी पक्ष के साथियों से कहूंगा कि भले ही विरोध करना आपकी मजबूरी होगी लेकिन अगर आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखेंगे । मैं माननीय सुखदेव राजभर जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे तो आप सड़कों पर उतर कर जूलूस निकाल लेते थे । आप वह दिन भी याद करें जब समाजवादी पार्टी के लोग अपने दफ्तर में सभा कर रहे थे तो सरकार की ताकत का दुरुपयोग करके समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर हमला करवा दिया था और गोली चलवाने का काम किया था और इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया था । मान्यवर, हमारी सरकार ने लोकतंत्र को बहाल करने का काम किया है । हमारी सरकार ने सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं । चाहे शिक्षक हों या राजनीतिक दल के लोग हों, लोकतंत्र के नाम पर अपनी बात वह कह सकते हैं क्योंकि अगर लोकतंत्र में किसी का विश्वास है तो वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी का है । और जो प्रदेश के करोड़ों-करोड़ों लोगों के चहेते हैं । इसी के साथ बजट यहां प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

मुझे अब कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देनी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2006 को हुई बैठक में दिनांक 10 से 11 मार्च, 2006 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1- शनिवार, दिनांक 11 मार्च, 2006 को सदन का उपवेशन हो ।

2- दिनांक 17 मार्च, 2006 को सदन का उपवेशन न हो ।

3- दिनांक 10 मार्च, 2006 को प्रश्नकाल न हो तथा 10 एवं 11 मार्च, 2006 को नियम 56 एवं 300 की सूचनायें न ली जायं ।

4- दिनांक 10 से 11 मार्च, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

मार्च, 2006

10 शुक्रवार । वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

11 शनिवार । 1. वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा तथा वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2. 4.00 बजे अपराह्न
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता ने सदन में दी है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव, जो माननीय राजस्व मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मुख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा को लखनऊ में उपचार कराने तथा विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने हेतु जिला कारागार, लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता-

सदन को एक और सूचना देनी है ।

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के संबंध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-74, दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर ने अपने टेलेक्स दिनांक 07 मार्च, 2006 जो इस सचिवालय में दिनांक 08 मार्च, 2006 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि श्री मुख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा को मेडिकल बोर्ड की सलाह एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट (1) गाजीपुर के आदेश के अनुसरण में किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में उपचार हेतु तथा विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने हेतु जिला कारागार, लखनऊ को स्थानान्तरित किया गया है । संबंधित न्यायालय में उनके उपस्थित होने की तिथि 10 मार्च, 2006 है ।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

***श्री भगेलू राम-**

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय नेता सदन के बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि यह बजट विरोध के योग्य नहीं है ।

श्री भगेलू राम-

वही मैं बता रहा हूं कि विरोध के लायक कहां है । यह गांव विशेष या जिला विशेष का बजट है। इस बजट में यह दिखाया गया है । कुछ जिलों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है । स्वास्थ्य के नाम पर 225 करोड़ रूपये एक गांव पर खर्च हो रहा है । मान्यवर, हमारे गांव की पीएचसी सीएचसी में कोई डाक्टर नहीं है । मान्यवर मेडिकल कालेज और कालेज बनाते जा रहे हैं लेकिन जो सीएचसी है जहां से लाखों लोगों को इलाज दिया जा सकता है वहां डाक्टर नहीं है । हमारे यहां एक डाक्टर था उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी मैं सरकार से कहूंगा कि उसकी भी जांच कराये । मान्यवर, हमारे क्षेत्र कादीपुर में जबसे यह सरकार बनी है कोई भी महिला डाक्टर नहीं है । हमने कई बार लिखा पढ़ी किया, आप एक रूपये में पर्चे की बात करते हैं जब डाक्टर ही नहीं रहेगा तो इलाज कैसे होगा । यही नहीं तमाम पीएचसी हैं जहां डाक्टर नहीं है और दवा के नाम पर दवा लिख दी जाती है । कोई दवा नहीं दी जाती है । सड़कों के बारे में मेरा सरकार से कहना है कि तमाम नई सड़कें बना दे रहे हैं यह सड़कें वहां बन रही है जहां के आप लोग हैं । हमारे पूर्वांचल विकास निधि से 2-3 सड़कें स्वीकृत हुई हकीमपुर-भरपुर और भेलहरा-हरपुर इसमें पहली किश्त जारी हुई है और दूसरी किश्त जारी नहीं हुई है । इस तरह से सरकार के लोग यह भी कहते हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है । इसी तरह से अकबरपुर से पट्टी रोड है । 2004 में लोक निर्माण मंत्री उधर से जा रहे थे तो उसमें जो गड्ढा था उस पर मिट्टी डालकर थोड़ा ठीकठाक कर दिया गया था लेकिन वह मिट्टी उड़ गयी अब उस पर चलना मुश्किल हो गया है । मेरी मांग है कि अकबरपुर पट्टी रोड का चौड़ीकरण किया जाय । दूसरी सड़क हलियापुर बेलवाई है वह बहुत खराब है उसका चौड़ीकरण कराया जाय । यह सरकार तमाम पुलों के निर्माण की बात करती है । हमारे क्षेत्र में एक मझुवी नदी पर हमजापुर घाट है जो सुल्तानपुर अम्बेडकरनगर को जोड़ता है वहां पर पुल न होने से हजारों की संख्या में लोग परेशान होते हैं । हमजापुर घाट पर पुल बनाया जाय । मान्यवर, इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए कोई व्यवस्था नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की गयी है मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2004-2005 में 54 करोड़ रूपये इस सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों का नहीं दिया पूर्व दशमोत्तर छात्रों का, जबकि यह सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्व दशमोत्तर छात्रों के लिये जितना देना चाहिये, उसके लिये कई बार निदेशालय से पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी । अगर यह सरकार चाहती तो इस काम को कर सकती थी । मान्यवर, हमारे जिले में ही करोड़ों रूपया बकाया है । इस सिलसिले में डी0एम0 के माध्यम से लिखा जा चुका है, नियम-56 में भी मैंने इस मामले को उठाया था, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया । मान्यवर, सप्लीमेंटरी बजट के माध्यम से यह व्यवस्था की जा सकती थी । अनुसूचित जाति के छात्रों की यह छात्रवृत्ति सरकार को देनी चाहिए । मान्यवर, पूर्व सरकार ने अपने बजट में वर्ष 03-04, 04-05 में 335 करोड़ रूपये का बजट किया था और इसमें इस सरकार ने एक नये पैसे की भी बढ़ोत्तरी नहीं किया । इसी प्रकार वर्ष 05-06 में 378 करोड़ रूपये और वर्ष 06-07 में मात्र 395 करोड़ रूपये की व्यवस्था इस सरकार ने बजट में किया है । जो मांग से बहुत कम है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां एक आई0टी0आई0 1995 में स्वीकृत हुयी थी, बजट के अभाव में यह अधूरी पड़ी है, मैं मांग करता हूं कि उसके लिये बजट की व्यवस्था की जाय ।

सिंचाई के बारे में यह सरकार बहुत कहती है कि टेलों तक पानी पहुंच रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कनकपुर माइनर है, जिसमें न कभी टेल तक पानी पहुंचा और न कभी इसकी सफाई हुयी। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र की नहरों की सफाई कराई जाय । कानून व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि हमारे क्षेत्र में एक उम्मीदवार प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता था, उसका परचा खारिज करा दिया गया, बाद में जब उसकी पत्नी चुनाव लड़ी तो वह चुनाव जीत गयी, उसके कुछ महीनों बाद उसके पति की हत्या करा दी गयी । हम लोग जब उसका विरोध किये कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो तो उनको गिरफ्तार करने के बजाय, हमारे ही कुछ कार्यकर्ता, जो शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करके अपने घर जा रहे थे, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी, ताकि कार्यकर्ताओं पर इस बात का दबाव बनाया जा सके कि वह अपराधियों को पकड़ने के लिये जोर न दे सकें ।

बिजली के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार बहुत कहती है कि हम 14 घंटे, 16 घंटे बिजली दे रहे हैं । मान्यवर, गांव में किसान रहता है और वह 10 बजे खाकर सो जाता है । उसके बाद बिजली रात 10 या 11 बजे आती है । तब उसका क्या औचित्य रह जाता है । यदि यह बिजली शाम को 7 बजे या 8 बजे आ जाय तो उसका लाभ उनको मिल सकता है । जब उसको बिजली की जरूरत होती है तो बिजली चली जाती है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कम से कम शाम को 7 या 8 बजे अवश्य बिजली आ जाये, तभी गांव के लोगों का कल्याण हो सकता है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के विकास के बारे में हमने कई बार यहां लिखकर दिया, वहां अत्यन्त खराब सड़कें हैं। 2-3 सड़कों का नाम भी मैंने बताया, लेकिन उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुयी। सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि सभी सड़कें गढ्ढामुक्त हो गयी हैं । लेकिन तमाम ऐसी सड़कें हैं, जिन पर चलना मुश्किल हो गया है । मैं चाहूंगा कि मेरे द्वारा कही गयी बातों पर ध्यान दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं मुख्य रूप से अपने क्षेत्र के बारे में ही अपनी बात को कहूंगा ।

मैं अपने क्षेत्र के संबंध में इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक ग्राम प्रधान चुना गया और तीसरे दिन ही उसकी हत्या कर दी जाती है, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ । इसी प्रकार से चुनाव में एक प्रत्याशी बना था, उसकी भी हत्या कर दी गई । मान्यवर, आज कानून-व्यवस्था की हालत बहुत ही जर्जर है । आज ही दैनिक जागरण अखबार में खबर है कि किस तरह से प्रतिष्ठित लोगों के बच्चों को, प्रतिष्ठित लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है । मान्यवर, कानून-व्यवस्था का अनुपालन ईमानदारी से किया जाना चाहिए, चाहे वह विधायक का बेटा हो, चाहे वह आई0ए0एस0 का बेटा हो, सबको न्याय मिलना चाहिए और एक साफ-सुथरी व्यवस्था बनायी जानी चाहिए । अभी दो तारीख को अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रदेश बंद का आह्वान किया था, हमारे सुल्तानपुर जनपद में भी आह्वान किया गया था । उसमें मान्यवर, सुबह से ही दुकानों को बन्द कराया जा रहा था, डंडे के बल पर, असलहों के बल पर दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया गया लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिकों की सूझबूझ के द्वारा किसी तरह से वह दंगा होने से बच गया । आज कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हमारे नेता सदन जब इस पर चर्चा करते हैं तो चर्चा करते-करते उससे हट जाते हैं, जैसे आज वह वाराणसी की चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते-करते 91-92 और रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गये । इसलिए अच्छा हो यदि वह उत्तर प्रदेश के ही कानून-व्यवस्था की चर्चा करे । उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो यह आवश्यक है कि प्रदेश की सड़कों का निर्माण कराया जाय । यह हो सकता है कि इटावा, एटा में सड़कें बन गई हों, सैफई में भी बन गई होगी, वहां के गांवों को तहसील और जिले बनाने की भी योजना हो सकती है लेकिन हमारे जनपद में, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जहां पूर्वांचल राज्यांश के अन्तर्गत पांच सड़कों के लिए 25 लाख रूपये की स्वीकृति हुई थी, उसकी दूसरी किस्त नहीं भेजी जा रही है, आखिर यह पक्षपात क्यों किया जा रहा है ? अगर प्रदेश का विकास करना है तो प्रदेश में तो हमारा विधान सभा क्षेत्र भी आता है और अगर जाति वर्ग के हिसाब से विकास हो तो हमारे भी क्षेत्र में सारे समाज और प्रत्येक वर्ग के लोग रह रहे हैं, इसलिए हमारे विधान सभा क्षेत्र का भी विकास किया जाना चाहिए । मैंने लोक निर्माण मंत्री जी से कई बार अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में तो हमें भी कुछ नहीं मिलता था । मान्यवर, अगर वहां पर 25 लाख रूपये खर्च हो चुके हैं और दूसरी किस्त नहीं भेजी जा रही है तो पहले वाला पैसा भी बेकार हो जायेगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए दूसरी किस्त भेज करके न्याय दर्शाएं और झूठी बातें न करें । हमारे विधान सभा क्षेत्र में नोनरा-टिकरिया मार्ग अत्यधिक खराब है और सहावागंज से पिकौरा मार्ग अत्यधिक खराब है और धरमैतेपुर से सोमनाभार बहुत ही खराब सड़क है । हमारे क्षेत्र में पूर्वांचल राज्य निधि से पांच सड़कें बनने वाली हैं, पल्हीपुर से दादूपुर, बांसी से रामदास का पुरवा, सरैंया से रंकीतारा, डोमनपुर से फैजूखांपुरवा तक तथा नोनरा से कैली तक । हमारे क्षेत्र में सभी समाजों के लोग रहते हैं और उन सभी लोगों को भी वह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो प्रदेश के लोगों को मिलती है। लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, फिर भी अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि कम से कम पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ दिया जाय, और हमारे क्षेत्र में सड़कों का विकास हो इसके लिए दूसरी किस्त मुहैया करायी जाए, जिससे कम से कम सरकार ने जो पैसा पहले व्यय किया है, उसका सदुपयोग हो सके । हमारा क्षेत्र गोमती नदी के किनारे है, हमारे यहां गोमती नदी पर कटावाँ-नकहा घाट पर पुल की नितान्त आवश्यकता है । मैं आभारी हूंगा यदि कटावा-नकहां के बीच में गोमती नदी पर ब्रिज स्वीकार करने की कृपा करेंगे । सड़कों के बारे में कहा गया कि सड़कों की खस्ताहालत को ठीक किया गया है । मैंने कई बार प्रश्न के माध्यम से, नियम-51 के माध्यम से प्रयास किया कि जो खस्ताहाल सड़कें हैं उनमें सुधार के लिए पैसा दिया जाए । लोक निर्माण मंत्री जी के पास मंडी परिषद् का भी चार्ज

है । मण्डी परिषद् के तहत कोई सड़क स्वीकार नहीं होती । नोबरा-टिकरिया मार्ग की सड़क की हालत बहुत खराब है उसकी काली परत बिल्कुल टूट गयी है और मिट्टी दिख रहा है, सहाबागंज से पिकौरा की सड़क की भी काली सतह पूरी तरह से गायब है लेकिन उसके सुधार की कहीं कोई योजना नहीं है । ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। हाई-वे की ओर ध्यान दिया जाता है मेरा अनुरोध है कि हाई-वे के अलावा भी ग्रामीण सड़कों के लिए धन अवमुक्त किया जाए । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां आयुर्वेद चिकित्सालय 30 शैय्या का है उसकी स्थिति यह है कि वह किराये के भवन में एक जगह से दो साल चलता है जब दो साल बीत जाता है तो मकान मालिक अपना किराया मांगता है, उसको कहा जाता है कि निदेशालय से पैसा मांगा जा रहा है । जब तक दो-तीन साल बीत जाता है पैसा न मिलने से आयुर्वेद चिकित्सालय पुन: दूसरी जगह किराये के मकान में चला जाता है । यह आयुर्वेद चिकित्सालय जो 30 शैय्या का है अगर उसकी स्थायी जमीन हो जाए तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अपने विधायक निधि से चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए धन स्वीकृत कर सकता हूं लेकिन उसके लिए नगर क्षेत्र में जगह निश्चित करिये । चिकित्सा के क्षेत्र में पी0एच0सी0 और अस्पताल खुले हुये हैं परन्तु डाक्टरों का अभाव है । हमारे क्षेत्र में अलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शहर के किनारे अलीगंज बाजार के पास स्थित है, यहां कभी कोई डाक्टर नहीं जाता है । इसी तरह से बॉसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोई डाक्टर नहीं होता है जो अभी-अभी बनकर तैयार हुआ है । कुड़वार का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी है वहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, मैं चाहूंगा कि वहां भी डाक्टर उपलब्ध कराया जाए । मैं पुन: इस बात को कहता हूं कि जहां अभी बहुत से वक्ताओं ने बहुत सी बातें कहीं हैं । नियुक्तियों के बारे में। आज जो बेरोजगार हैं उन्हें 500 रूपये प्रतिमाह देने की बात हो रही है लेकिन मेरा कहना है कि उन्हें बेराजगारी भत्ता के बजाए नौकरियों की जरूरत है । आज नौकरियों की जो स्थिति है उसमें चपरासी के पद के लिए भी एक लाख से डेढ़ लाख रूपया देने की बात होती है । कहीं भी इस बजट में ईमानदारी झलके तो अच्छा होता, यह बजट झूठ का पुलिंदा है इसका जितना भी विरोध किया जाए वह कम होगा । मैं पुन: आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने विरोध में बोलने का मौका दिया । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 9 मार्च, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मार्ग निर्माण से जुड़े समस्त क्रेशरों के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की है जो जनपद प्रतापगढ़ स्थित अग्निशमन केन्द्रों पर दमकल की गाड़ियों में डीजल उपलब्ध न कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना श्री राम कृपाल की है जो जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा में पड़े सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की है जो मेरठ स्थित नौचन्दी मेले में व्यापार कर में छूट दिये जाने के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री परमेश्वर दयाल की है जो जनपद सोनभद्र स्थित राष्ट्रीय

कार्य के बदले अनाज योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान मजदूरों को न किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । छठी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण न किए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की है,जो कानपुर महानगर में पेयजल से उत्पन्न संकट के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । आठवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की है जो जनपद फैजाबाद स्थित माया-टाण्डा राजमार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । नवीं सूचना श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज) की है जो कानपुर मेडिकल कालेज के लैब अटेण्डेण्ट श्री रत्नेश चन्द्र शर्मा की प्रोन्नति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । दसवीं सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की है जो जनपद झांसी स्थित वन विभाग मऊरानीपुर में पुलिस एवं रेंज वन कर्मियों की मिली भगत से हो रहे हरे पेड़ की कटान के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । ग्यारवीं सूचना श्री रणवीर राणा की है जो प्रदेश की सरकारी निगम एवं सहकारी चीनी मिलों द्वारा किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस घोषित न किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री रामनरेश यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री मुन्शी लाल गौतम, श्री कपिल देव यादव, श्री राम इकबाल सिंह, डा0 विनोद तिवारी, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, चौ0 महेन्द्र सिह, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री नवाब सिंह नागर, श्री आर0एस0 कुशवाहा तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ।

प्रदेश के श्रम न्यायालयों में जजों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मा0 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर..... !

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 51 के अंतर्गत सूचना दी गयी है कि प्रदेश के अधिकांश श्रम न्यायाधिकरणों में गत कई वर्षो से पीठासीन अधिकारियों की तैनाती न होने से मालिकों की ज्यादतियों के शिकार श्रमिक न्याय के लिये दर-दर भटक रहे हैं। 23 में से 19 श्रम न्यायाधिकरणों मे कई वर्षो से पद खाली पड़े हैं तथा सरकार इन रिक्त पदों पर पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर रही है, जिसके कारण हजारों की संख्या में न्यायालयों में विवाद लम्बित पड़े हुये हैं । श्रमिक निष्कासित हैं, उनके बच्चे भूख-गरीबी से मर रहे हैं । वर्तमान सरकार समाजवाद का ढोंग कर रही है तथा पूंजीपतियों की मदद में लगी हुई है ।

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है तथा इनमें कार्यरत श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है एवं इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है । श्रमिकों में घोर असंतोष व्याप्त है।

उक्त सूचना के संबंध में उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 06 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं 19 श्रम न्यायालय स्थापित हैं । श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में रिक्त पीठासीन अधिकारियों के पदों को भरने के लिये दिनांक 18-12-2005 को चयन समिति की बैठक

सम्पन्न कराई जा चुकी है । 06 औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से 04 पीठासीन अधिकारियों के पदों पर दिनांक 02-01-2006 को तैनाती कर दी गई है । शेष 01 पीठासीन अधिकारी के पद पर पात्र अधिकारी न मिलने के कारण नियुक्ति नही की जा सकी है । इसी प्रकार 19 श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के रिक्त 15 पदों में से 14 पदों को भरने पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया। 01 पीठासीन अधिकारी का पद मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल मिसलेनियस याचिका संख्या 7206/2005 चन्द्रशेखर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रिक्त छोड़ा गया है । इस प्रकार श्रम न्यायालयों के 14 रिक्त पीठासीन अधिकारियों के पदों में से 11 पदों पर चयन समिति की संस्तुति के अनुसार दिनांक 02-01-2006 को तैनाती कर दी गई है । शेष 03 पीठासीन अधिकारी के पद पर पात्र अधिकारी न मिलने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है । औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के फलस्वरूप लंबित विवादों में कमी आयेगी ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण में 01 रिक्त पीठासीन अधिकारी के पद पर एवं श्रम न्यायालयों में रिक्त 03 पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

कानपुर के शिवपुरी काकादेव निवासी श्री योगेश चन्द्र शुक्ला की हत्या से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के संबंध में श्री मोहन देव शंखवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री का वक्तव्य

[वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।]

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 05/06 सितम्बर, 2003 को योगेश चन्द्र शुक्ला निवासी 117/पी 756 शिवपुरी, काकादेव कानपुर की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किये जाने के उपरान्त स्थानीय पुलिस ने दो माह विलम्ब से दिनांक 02-11-03 को मु0अ0सं0 638/03 धारा 302 भा0दं0वि0 अथक प्रयासों के बाद पंजीकृत किया गया, लेकिन हत्यारों को ढूढ़ने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया । यहां तक की प्रकरण की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 को हस्तांतरित हो जाने के पश्चात भी घटना का अनावरण नहीं किया जा सका है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर की आख्या दिनांक 21-04-05 के अनुसार श्री योगेश चन्द्र शुक्ला नि0 117/पी-1756 शिवपुरी काकादेव कानपुर की हत्या किये जाने संबंध में दिनांक 02-11-2003 को थाना कल्याणपुर कानपुर नगर पर मु0अ0सं0 638/03 धारा 302 भा0दं0वि0 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था ।

इसके पूर्व दिनांक 06-09-03 को थाना कल्याणपुर कानपुर नगर पर श्री योगेश चन्द्र शुक्ला द्वारा दिनांक 05/06-09-03 की रात्रि में पेड़ में लटक कर आत्महत्या कर लेने की सूचना प्राप्त होने पर तस्करा फौती अंकित कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की गयी थी । पंजीकृत अभियोग की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष मोहन वर्मा द्वारा सम्पादित की गयी, जिन्होंने विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट संख्या 39 दिनांक 15-5-04 को प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की । तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर के आदेश पर अंतिम रिपोर्ट को रोककर पुन: विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री संजय जायसवाल से करायी गयी । विवेचक द्वारा पुन: इस अभियोग से संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गयी किन्तु अभियोग से संबंधित कोई भी चक्षुदर्शी साक्ष्य/परिस्थितिजन्य साक्ष्य न मिलने के कारण पूर्व में

प्रेषित अंतिम रिपोर्ट का समर्थन करते हुए विवेचना समाप्त की गयी । अंतिम रिपोर्ट एवं संबंधित प्रपत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं । पुलिस स्तर पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

मृतक के पुत्र दीपक कुमार शुक्ला दिनांक 11-4-05 को प्रकरण की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के अनुरोध पर विचारोपरांत उक्त अभियोग की विवेचना शासनादेश दिनांक 02-06-05 द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी0बी0सी0आई0डी0) को हस्तांतरित कर दी गयी । सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा दिनांक 12-01-06 को अवगत कराया गया कि सम्पूर्ण विवेचना से एवं सुरागरसी, पतारसी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य की संनिरीक्षा से योगेश चन्द्र शुक्ला की हत्या के संबंध में हत्या का उद्देश्य या हत्या करने वालों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पायी । मृतक को किसी भी व्यक्ति से रंजिश होना प्रमाणित नहीं पाया गया । घटना भी लगभग दो वर्ष पुरानी होने के कारण एवं चक्षुदर्शी साक्ष्य के अभाव में भविष्य में भी हत्यारों का कोई पता न चल पाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी0बी0सी0आई0डी0) द्वारा स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 15-5-04 को न्यायालय में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट का समर्थन करते हुए किता की गयी अभियोग दैनिकियां विधिक औपचारिकताओं के उपरांत न्यायालय में प्रेषित किये जाने की संस्तुति इस प्रकरण की अंतिम प्रगति आख्या में की गयी है । अंतिम प्रगति आख्या महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा दिनांक 31-12-05 को अनुमोदित की जा चुकी है ।]

जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज में जौनपुर आजमगढ़ मार्ग से जीवली-रेनगांव मार्ग के गाजीपुर औड़िहार तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र लालगंज, तहसील लालगंज में जिवली-रेनगांव नाम का कोई मार्ग नहीं है, अपितु जिवली-देवगांव-मेहनाजपुर-औड़िहार नाम से प्रमुख जिला मार्ग संख्या-153ई है, जिसकी लेपित चौड़ाई 3.70 मीटर है । इस मार्ग का कि0मी0 1 से 38 तक का भाग जनपद आजमगढ़ में पड़ता है तथा शेष 12 कि0मी0 भाग जनपद गाजीपुर में पड़ता है । इस मार्ग के कि0मी0 1 से कि0मी0 17.45 तक जिवली से देवगांव का भाग है, कि0मी0 17.45 से कि0मी0 33.45 देवगांव से मेहनाजपुर तक का भाग है एवं कि0मी0 33.45 से कि0मी0 38.00 मेहनाजपुर से आजमगढ़ जनपद सीमा तक का भाग है ।

मार्ग के कि0मी0 1 से कि0मी0 17.45 एवं कि0मी0 33.45 से कि0मी0 38.00 की औसत क्रस्ट मोटाई मात्र 17 सेमी0 है । आजमगढ़ जौनपुर राज्य मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य एस0आर0पी0-2 योजना में प्रगति में है । इस मार्ग हेतु सुकुते एवं 'डाला' क्वैरी से पत्थर की गिट्टी एवं ग्रिट की ढुलाई जिवली देवगांव मार्ग के कि0मी0 1 से 17.45 के भाग से ही हो रही है, जिससे इस मार्ग की दशा और भी खराब हो गयी है । शासनादेश दिनांक 10-10-2005 द्वारा रु0 17.81 लाख की धनराशि पैच एवं पाट होल्स की मरम्मत हेतु स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष कि0मी0 1 से 9, 14 से 17.45 अर्थात् कुल

12.45 कि0 मी0 लम्बाई में पैच/पाटहोल्स मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कि0 मी0 13, 14 एवं कि0 मी0 33.45 से कि0 मी0 38.00 तक कुल 6.55 कि0 मी0 लम्बाई में पैच/पाटहोल्स मरम्मत का कार्य प्रगति में है, जिसे मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है । मार्ग के कि0मी0 10, 11 एवं 12 जिसमें क्रमशः राजेपुर, जिरिकपुर, बसरेवा तथा श्रीकान्तपुर गांव पड़ते हैं, ऊसर भूमि से होकर गुजरते हैं । इन किलोमीटरों में आबादी भाग, ऊसर भूमि तथा अत्यन्त अपर्याप्त क्रस्ट मोटाई होने के कारण इनकी सतह क्षतिग्रस्त हो गयी है । अतएव इन तीन कि0मी0 में विशेष मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है, जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

इस मार्ग के शेष कि0मी0 17.45 से कि0मी0 33.45 देवगांव से मेहनाजपुर तक कुल 16 कि0मी0 लम्बाई का कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 708.09 लाख की लागत पर स्वीकृत है, जिसका निर्माण उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिसे मार्च, 2006 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-दुदही में विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के बाद भी कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

डा0 पी0 के0 राय, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 17-2-2006 के माध्यम से यह बिन्दु उठाया गया है कि खंण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड-दुदही, जनपद-कुशीनगर द्वारा विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का बड़े पैमाने पर अग्रिम भुगतान करने के बाद भी मौके पर कार्य होना नहीं पाया गया है । इस प्रकार सरकारी धन की लूट व बन्दर बांट हो रही है ।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में विकास खण्ड-दुदही, जनपद-कुशीनगर को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 25 कार्यों के सापेक्ष 18 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 07 कार्य प्रगति पर हैं । इनमें से 02 कार्यों पर रनिंग भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 06 कार्यों हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया है । राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत 17 कार्यों के सापेक्ष 14 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 03 कार्य प्रगति पर हैं, इनमें से 01 कार्य पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को मात्र रु0 18,000/- का अग्रिम दिनांक 16-12-2005 को दिया गया । नेशनल फ्रूड फार वर्क कार्यक्रम में अब तक स्वीकृत 34 कार्यों के सापेक्ष किसी भी कार्य हेतु कोई भी भुगतान नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त विकास खण्ड-दुदही हेतु अन्य कोई कार्य स्वीकृत नहीं है । इस प्रकार 01 प्रकरण के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है । सभी भुगतान संबंधित अवर अभियंताओं द्वारा कार्य की पूर्णता की रिपोर्ट अंकित करने/मापन कार्य करने के बाद ही किये गये हैं ।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना दिनांक 17-2-2006 में उल्लिखित तथ्यों की जांच मुख्यालय स्तरीय टी0ए0सी0 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । प्रकरण में टी0ए0सी0 की रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त गुण-दोष के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।]

हाथरस, एटा, अलीगढ़ स्थित डिग्री कालेजों के प्रबन्धक एवं प्राचार्य द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में किये जा रहे गबन के संबंध में श्री अमर सिंह यादव, द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि (1) श्री कृष्ण योगीराज डिग्री कालेज, रतिभानपुर, हाथरस (2) श्री राधा गोविन्द डिग्री कालेज, हीरापुर गोपी, अलीगढ़ (3) श्री होडिल सिंह इण्टर कालेज, रतिभानपुर, हाथरस (4) श्री वनखण्डी महाराज इण्टर कालेज, सिकन्दराराऊ (5) श्री युवराज सिंह उ0मा0 विद्यालय, एटा रोड सिकन्दराराऊ (6) श्री स्वामी विवेकानन्द उ0मा0 विद्यालय, देहामाफी, मारहरा, एटा (7) श्री राधा रानी डिग्री कालेज, जुलाहपुर, अलीगढ़ के प्रबंधक श्री युवराज सिंह यादव हैं । उपरोक्त सभी कालेजों के प्राचार्य-श्री राजेश यादव, श्री रवेन्द्र यादव व श्री सुशील यादव, श्री युवराज सिंह यादव के सगे भाई हैं । उपरोक्त सभी विद्यालयों के अभिलेखों में अध्यापक एवं लिपिकीय वर्ग में अपने नाते-रिश्तेदारों को रखा हुआ है । उपरोक्त सभी विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति के धन का बहुत बड़े पैमाने पर गबन किया जा रहा है । कालेजों के प्राचार्यों द्वारा जि0वि0नि0, समाज कल्याण अधिकारी, महामायानगर, अलीगढ़ एवं एटा के अधिकारियों/कर्मचारियों की सांठ-गांठ करके छात्रवृत्ति की फर्जी लिस्ट दाखिल कर पिछले 10 वर्षों में करोड़ों रूपये का घोटाला किया गया है । शासन की नीति यह है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के सम्मिलित खाता होता है और चेक द्वारा छात्रों का भुगतान किया जायेगा, लेकिन उपरोक्त कालेजों में देखने में एक-भी छात्र दिखायी नहीं देता और हजारों की संख्या में फर्जी लिस्ट बनाकर सरकारी धन का गबन किया जा रहा है । इस अनैतिक और अवैधानिक कृत्य से पिछले 10 वर्षों से उपरोक्त कालेजों के प्राचार्यों एवं श्री युवराज सिंह द्वारा करीब 20 करोड़ रूपये का सरकारी धन का गबन किया गया तथा छात्रवृत्ति का बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है । इस घोटाले में स्थानीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल है । अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की गयी है ।

2-इस संबंध में दिनांक 17 फरवरी, 2006 को यह सूचना दी गयी कि डिग्री कालेजों से उच्च शिक्षा विभाग संबंधित है । प्रकरण में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा से आख्या/प्रमाणित विवरण प्राप्त कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । उक्त के क्रम में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा के पत्रांक क्षे0का0आ0/वि0स0प्रा0/5416-17/2005-06, दिनांक 24-02-2006 द्वारा महाविद्यालय के प्रबंधक, श्री युवराज सिंह यादव से प्राप्त आख्या दिनांक 24-02-2006 उपलब्ध करायी गयी है । श्री युवराज सिंह यादव, प्रबंधक की उक्त आख्या के अनुसार वे प्रश्नगत विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रबंधक हैं । श्री कृष्ण योगीराज डिग्री कालेज, रतिभानपुर, हाथरस के बी0ए0 संकाय के प्राचार्य, डॉ0 आर0के0 सिंह तथा बी0एड0 संकाय के प्राचार्य, डॉ0 सुरेश चन्द्र शर्मा हैं । श्री राधा गोविन्द महाविद्यालय, हीरापुर (गोपी), जनपद-अलीगढ़ की प्राचार्या, श्रीमती अजीता सिंह चौधरी हैं । श्री होडिल सिंह इण्टर कालेज, रतिभानपुर, अलीगढ़ के प्रधानाचार्य, श्री सूरजपाल सिंह, श्री वनखण्डी महाराज इण्टर कालेज, सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ के प्रधानाचार्य,

श्री ए0के0 सिंह, श्री राधा रानी महाविद्यालय, जुलाहपुर, अलीगढ़ के बी0एड0 संकाय के प्राचार्य, डॉ0 वाई0के0 गुप्ता हैं । यह उल्लेखनीय है कि श्री युवराज सिंह उ0मा0 विद्यालय, एटा रोड, सिकन्दराराऊ व श्री स्वामी विवेकानन्द उ0मा0 विद्यालय, देहामाफी, मारहरा, एटा संचालित नहीं है । यह भी उल्लेख है कि विद्यालयों/महाविद्यालयों में तैनात शिक्षक एवं लिपिकीय वर्ग का प्रबंध समिति से संबंध नहीं है ।

3-संस्था द्वारा छात्रवृत्ति के संबंध में यह अवगत कराया गया है कि श्री कृष्ण योगीराज महाविद्यालय, रतिभानपुर, हाथरस के बी0ए0 संकाय में मात्र सत्र 2005-06 में अनुसूचित जाति के 127 छात्र/छात्राओं को रू0 2,34,950/- (रूपया दो लाख चौतीस हजार नौ सौ पचास मात्र) की धनराशि का चेक द्वारा वितरण किया गया है तथा बी0एड0 संकाय में मात्र सत्र 2003-04 में अनुसूचित जाति के 34 छात्र/छात्राओं को रू0 39,440/- (रूपया उनतालिस हजार चार सौ चालीस मात्र) की धनराशि का भुगतान खाते के द्वारा किया गया है । श्री राधा रानी महाविद्यालय, जुलाहपुर अलीगढ़ के बी0एड0 संकाय में मात्र सत्र 2003-04 में अनुसूचित जाति के 35 छात्र/छात्राओं को रू0 40,600/- (रूपया चालीस हजार छः सौ मात्र) की धनराशि का खाते द्वारा भुगतान किया गया है तथा सत्र 2004-2005 एवं 2005-06 में अनुसूचित जाति के किसी भी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया है । श्री होडिल सिंह इण्टर कालेज, रतिभानपुर, अलीगढ़ में मात्र सत्र 2003-04 में अनुसूचित जाति के 231 छात्र/छात्राओं को रू0 1,66,320/- (रूपया एक लाख छियासठ हजार तीन सौ बीस मात्र) तथा सत्र 2005-06 में अनुसूचित जाति के 194 छात्र/छात्राओं को रू0 2,83,080/- (दो लाख तेरासी हजार अस्सी मात्र) की धनराशि का भुगतान चेक द्वारा किया गया है । श्री बनखण्डी महाराज इण्टर कालेज, सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ में मात्र सत्र 2003-04 में अनुसूचित जाति के 60 छात्र/छात्राओं को रू0 43,200/- (रूपया तैतालिस हजार दो सौ मात्र) एवं सत्र 2005-06 में अनुसूचित जाति के 225 छात्र/छात्राओं को 3,15,000/- (रूपया तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान चेक द्वारा किया गया है तथा सन् 2004-05 में अनुसूचित जाति के 76 छात्र/छात्राओं को रू0 59,000/- (रूपया उनसठ हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान चेक द्वारा किया गया जिसमें रू0 5,180/- (रूपया पांच हजार एक सौ अस्सी मात्र) चेक द्वारा वापस किया गया । श्री राधा गोविन्द महाविद्यालय, हीरापुर (गोपी), अलीगढ़ में सत्र 2004-05 एवं 2005-06 में अनुसूचित जाति के किसी भी छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया है ।

4-संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा प्रकरण में मा0 सदस्य द्वारा छात्रवृत्ति एवं उठाये गये अनियमितताएं संबंधी अन्य आरोपों के दृष्टिगत इस प्रकरण की जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

मेरठ स्थित मेरठ-गढ़ मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है मेरठ-गढ़ मार्ग का मेरठ महानगर का भाग काली नदी से लेकर हापुड़ अड्डे तक है । इसकी हालत बहुत ही खराब है । लगभग

1/2 भाग पर तो तारकोल की सड़क है या नहीं, ऐसा पता नहीं लगता । इस भाग में मेडिकल कालेज, अधिकांश नर्सिंग होम, इंजीनियरिंग कालेज स्थित है । मेरठ महानगर की लगभग 5 लाख जनता प्रति दिन इस पर से गुंजरती है । 06 माह से बराबर यह घोषणा हो रही है कि विश्व बैंक से यथाशीघ्र इसको बनाया जा रहा है, परन्तु यह मृग मरीचिका साबित हो रहा है । अभी भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । जनता घोर कष्ट में है । अंतिम संस्कार हेतु शवों को बृज घाट-गुढ-मुक्तेश्वर ले जाना भी कठिन हो रहा है । जब योजना की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति हो गयी, तब मेरठ महानगर की गढ़ रोड भाग का निर्माण न होना अन्यायपूर्ण है ।

2-माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि विश्व बैंक वित्त पोषित उ0प्र0 स्टेट रोड्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत गढ़-मुक्तेश्वर से मेरठ-बागपत-सोनीपत राज्य मार्ग सं0-14 के गढ़-मुक्तेश्वर से मेरठ तक के भाग का वृहद रखरखाव (रि-हैबिलिटेशन) का कार्य सम्मिलित है । इस भाग की कुल लम्बाई 42 कि0मी0 है । वृहद रखरखाव (रि-हैबिलिटेशन) के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-397/23-12-05-14 जी0आई/2004 लोक निर्माण अनुभाग-12 दि0 14 मार्च 2005 द्वारा रू0 2991.20 लाख लागत पर प्राप्त हैं । विश्व बैंक की गाइड लाइन्स के अनुसार निर्माण कार्यो के लिए निविदायें आमंत्रित करने से पहले मार्गो की डीटेल्ड इंजीनियरिंग रिपोर्ट एवं विश्व बैंक द्वारा निर्धारित बिड डाक्यूमेन्ट पर विश्व बैंक से अनापत्ति प्राप्त की जानी होती है । वृहद रखरखाव (रि-हैबिलिटेशन) के कार्यो के लिये निविदायें नेशनल काम्पेटेटिव बिडिंग (राष्ट्रीय स्पर्धा) के माध्यम से आमंत्रित की जानी होती है । वृहद रखरखाव (रि-हैबिलिटेशन) के कार्यो की गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाती है, परन्तु विभाग की सहायता के लिए तथा गुणवत्ता एवं मात्राओं पर नियंत्रण रखने हेतु टेक्निकल एग्जामिनर के रूप में इन्डीपेन्डेंट कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति की जाती है।

3-गढ़-मुक्तेश्वर मेरठ मार्ग के निर्माण के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त निर्माण कार्यो के लिए अनुबन्ध सं0-44 पी0डी0/एस0आर0पी0/05-06 दिनांक 27-7-2005 गठित किया जा चुका है, टेक्निकल आडिट के लिए इन्डीपेन्डेन्ट कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति अक्टूबर, 2005 में ही हो सकी और इस प्रकार उक्त अनुबन्ध के विरुद्ध ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के लिए 15 अक्टूबर, 2005 की तिथि निर्धारित की गई । अनुबन्ध के अनुसार कार्य को दो वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना है अर्थात् पूरे मार्ग का कार्य 14 अक्टूबर, 2007 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है । वृहद् रखरखाव कार्य के अन्तर्गत मार्ग को आगामी 8 वर्ष की सम्भावित यातायात घनत्व के अनुरूप सुदृढ़ किया जायेगा तथा मार्ग की पूरी लम्बाई में 07 मीटर की चौड़ाई तक लेपित किया जायेगा । मार्ग की राइडिंग क्वालिटी के सुधार के लिए मार्ग की ऊपरी सतह पर हाट मिक्स प्लान्ट के माध्यम से बिटुमिनस मैकेडम तथा एस0डी0बी0सी0 का कार्य किया जायेगा । गढ़-मुक्तेश्वर-मेरठ मार्ग के अन्त में (चेनेज 42.00) हापुड़ अड्डा स्थित है, जबकि काली नदी मार्ग के कि0मी0 37 (कि0मी0 36.143 से कि0मी0 36.214 तक) में स्थित है । इस मार्ग के कि0मी0 38 एवं 39 में मेडिकल कालेज स्थित है ।

4-कार्य प्रारम्भ करने के लिए ठेकेदार द्वारा आवश्यक हाट मिक्स प्लान्ट तथा डब्लू0एम0एम0 प्लान्ट की स्थापना की जा चुकी है तथा आवश्यक मशीनों आदि की व्यवस्था भी स्थल पर कर ली गई है । वर्तमान में जनपद सहारनपुर एवं जनपद हरिद्वार में मार्ग निर्माण कार्य के लिए वांछित स्टोन बैलास्ट एवं स्टोन ग्रिट की उपलब्धता न होने के कारण कार्य भौतिक रूप से प्रारम्भ नहीं हो पाया है । मेरठ तथा सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर जनपदों में मार्ग निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार स्टोन बैलास्ट एवं स्टोन ग्रिट उपलब्ध न होने के कारण इन जनपदों के सभी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । आशा है कि स्टोन ग्रिट एवं स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति की समस्या का निदान बहुत शीघ्र हो जायेगा और प्रश्नगत कार्य भी भौतिक रूप से प्रारम्भ हो जायेगा ।

5-अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार को निम्नानुसार तीन उपखण्डों में कार्य को पूर्ण करना है :-

1. उप खण्ड-1-मार्ग का 25 प्रतिशत भाग अर्थात् 11 कि0मी0 लम्बाई एक वर्ष के अन्दर ।
2. उप खण्ड-2-मार्ग का 60 प्रतिशत भाग अर्थात् 25 कि0मी0 लम्बाई 18 माह में ।
3. उप खण्ड-3-सम्पूर्ण मार्ग 24 माह में ।

6-मा0 सदस्य द्वारा इंगित काली नदी से हापुड़ अड्डे तक का भाग उपखण्ड-1 में सम्मिलित है और इस प्रकार यह कार्य 12 माह में अर्थात् 14 अक्टूबर, 2006 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है । काली नदी से हापुड़ अड्डे तक का भाग मेरठ का शहरी मार्ग होने के कारण एक बहुत ही व्यस्त मार्ग है और इसी भाग में मेरठ मेडिकल कालेज भी स्थित है । मेडिकल कालेज से हापुड़ अड्डे तक की लम्बाई लगभग 4 लेन चौड़ी है । इस मार्ग पर अनेकों नर्सिंग होम एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थित हैं । अत: काली नदी से हापुड़ अड्डे के भाग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है और तदनुसार इस लम्बाई को जुलाई, 2006 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । स्टोन एग्रीगेट एवं स्टोन ग्रिट की समस्या के निदान का प्रयत्न किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ही इस भाग पर कार्य प्रारम्भ किया जाना लक्षित है ।

मेरठ जनपद में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ किये जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 17-2-2006 को नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि विद्युत चोरी रोकने हेतु सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के यहां क्षेत्रवार एक समान नीति के अनुरूप छापे डालने का कार्य किया जाता है । उल्लेख करना है कि विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय मेरठ में लगभग 1600 औद्योगिक तथा 500 वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं तथा खण्ड में लाइन हानियां अधिक हैं (70 प्रतिशत) तथा 90 प्रतिशत औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा मात्र न्यूनतम आधार पर बिल भुगतान किया जा रहा है । इस प्रकार औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के परिसरों में विद्युत चोरी की अपार आशंका है, जिसके दृष्टिगत 10 हार्स पावर से बड़े उपभोक्ताओं की सूची रेड टीमों को जांच हेतु उपलब्ध करायी गयी है । जिन उपभोक्ताओं के यहां विद्युत चोरी पकड़ी जाती है केवल उन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । अन्य उपभोक्ताओं का उत्पीड़न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । विद्युत चोरी के विरुद्ध वसूली गयी धनराशि का 10 प्रतिशत टीम के अधिकारियों एवं सदस्यों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वितरित करने का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में सूचनीय है कि प्रोत्साहन योजना उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही दिनांक 4-10-2005 से 8 माह के लिये लागू की गयी है तथा उसकी प्रतिमाह प्रगति से नियामक आयोग को अवगत कराया जाता है । उक्त प्रोत्साहन योजना में विद्युत चोरी के प्रकरणों के साथ-साथ कार्य दक्षता संबंधी अन्य मापदण्डों जैसे राजस्व संग्रह दक्षता, नये संयोजन निर्गत किया जाना, परिवर्तकों की क्षति-ग्रस्तता में कमी लाना तथा उपभोक्ता लेजरों को अद्यतन करना आदि कार्य भी सम्मिलित हैं । इस योजना के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ।

चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं के मीटर की जांच नियमानुसार एक्चा चैक मीटर/टांग टेस्टर/लैब से जांच कर लाये गये मीटर द्वारा मौके पर जांच टीम द्वारा की जाती है और चोरी पाये जाने पर ही नियमानुसार शमन/राजस्व निर्धारण की कार्यवाही की जाती है ।

दिनांक 16-2-2006 को मेरठ महानगर में विद्युत चोरी रोकने हेतु अभियान के अंतर्गत प्रशासन/पुलिस के सहयोग से 21 टीमों का गठन कर विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किया गया था ।

बिजली विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ की गयी अभद्रता एवं मारपीट करने वालों के विरुद्ध 5 नग एफ0आई0आर0 संबंधित थानों में दर्ज करा दी गयी है । जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा दिनांक 16-2-2006 की घटना का सम्पूर्ण विवरण फैक्स द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/प्रमुख सचिव, गृह को भेजा गया है ।

जनपद गौतम बुद्ध नगर स्थित दादरी ब्लाक के ग्राम उपरालसी में 132 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर, द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य ।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया) ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद गौतम बुद्धनगर के अंतर्गत दादरी तहसील/ब्लाक में 132 के0वी0 उपकेन्द्र बनाने का प्रस्ताव था परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण इसको बनाने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पायी और बाद में 132 के0वी0 उपकेन्द्र का प्रस्ताव बदल कर वहां पर 220 के0वी0 उपकेन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया जिसके लिये जिलाधिकारी स्तर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है । ग्राम उपरालसी में 132 के0वी0 उपकेन्द्र हेतु कोई भी सामान नहीं भेजा गया था । अत: इसको वापस लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

फैजाबाद-इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण कार्य खराब गुणवत्ता के आधार पर कराये जाने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17-2-06 को नियम-51 के अंतर्गत यह सूचना दी गयी थी कि राष्ट्रीय मार्ग फैजाबाद-इलाहाबाद के कि0मी0 70 से 80 तक मार्ग का निर्माण अभी हाल ही में इसी वर्ष (2005-06) में हुआ है परन्तु खराब गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग करने के कारण पूरा निर्माण खराब हो गया है । सम्पूर्ण राजमार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं । गड्ढों के कारण उक्त मार्ग पर आवागमन बाधित है एवं किसी भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है । उक्त निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं की जांच शीघ्र करायी जाय तथा निर्माण कार्य को ठीक कराया जाय।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि फैजाबाद इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग संख्या-96 के किमी0 70 से 80 तक में कराये गये सुदृढ़ीकरण कार्य में वर्ष 2005 के वर्षाकाल में निर्मित मार्ग की सतह में अत्यधिक क्षतियां हुई थी मार्ग मे उत्पन्न क्षतियों के कारणों की जांच हेतु प्रमुख अभियंता (विकास), लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-11-05 द्वारा दो अधीक्षण अभियंताओं की एक समिति गठित की गयी थी उक्त समिति की जांच रिपोर्ट प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क) के पत्र संख्या दिनांक 7-3-06 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुई है । उक्त जांच रिपोर्ट में प्रश्नगत मार्ग के निर्माण में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं सिद्ध पायी गयी है । उक्त अनियमितताएं हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कराया जा रहा है इसके उपरान्त दोषी अधिकारियो के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

कार्य को विशिष्टियों के अनुसार ठीक करने हेतु संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया जा चुका है तथा दिनांक 4-2-06 को अनुबंध की शर्तो के अनुसार नोटिस भी दिया जा चुका है । यदि ठेकेदार द्वारा क्षतियों को ठीक नहीं किया जाता है तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार डेबिटेबुल एजेन्सी के माध्यम से नियमानुसार कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा । मरम्मत कार्य प्रगति में है तथा शीघ्र पूरा हो जायेगा ।

नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 संशोधन करते हुए विशेष प्रोत्साहन/छूट दिये जाने के संबंध में दि0 24 नवम्बर 2005 के नत्थी क के तारांकित प्रश्न-2 के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-49 के अंतर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, काफी समय के बाद आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला । इसके पूर्व कि मैं चर्चा शुरू करूं आपके संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में और प्रदेश की जनता के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लगभग 403 की हमारी संख्या है । इसमें से 362 सदस्य किसानों के परिवार से संबंधित है । गन्ना से संबंधित 182 सदस्यों की सूची मेरे पास है जो गन्ने संबंधित हैं । आज जब मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आप खुद देख सकते हैं कि कितनी रुचि है । मैं किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष को दोष नहीं देता । हम सभी का यह दुर्भाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा में रुचि नहीं लेते हैं । मैं चर्चा के ऊपर आता हूं । हमारे प्रदेश में लगभग 2 लाख से अधिक श्रमिक चीनी उद्योग पर निर्भर करते हैं । 32 लाख कृषक परिवार हैं जो गन्ने के उत्पादन पर गन्ने की खेती पर निर्भर हैं । लगभग आधा हिस्सा पूरे प्रदेश का गन्ने की खेती पर निर्भर है। हमारे प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर गन्ने की खेती होती है यह हमें सरकार द्वारा जो जानकारी मिली है उस आधार पर कह रहा हूं । हमारे प्रदेश में पूरे देश का 42 प्रतिशत गन्ना उत्पादन होता है । एक गन्ना नीति वर्ष 2004 में इस सरकार ने बनाई और कुछ कारण बताए कि आगे आने वाले समय में चीनी का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता होगी चीनी की खपत बढ़ जाएगी देश मे उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए इसलिए हम नई नीति बनाते हैं जिससे यहां नई मिलों की स्थापना हो जाएगी । हमें यह भी बताया गया कि जहां तक सरकारी क्षेत्र मे मिलों की स्थापना का प्रश्न है क्योंकि पूंजीनिवेश का प्रश्न आता है सरकारी क्षेत्र में मिलों की स्थापना होना सम्भव नहीं हो पाएगा इस कारण से निजी पूंजी निवेश आकर्षित किया जाय ।

प्रदेश में नई चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिये कुछ छूट प्रदान की गई । दो श्रेणी रखी गयी एक श्रेणी ऐसे उद्योगपतियों के लिये जो 350 करोड़ रूपये का

पूंजीनिवेश चीनी मिलों को स्थापित करने में उनके एक्सटेंशन में करेंगे । इस श्रेणी की चीनी मिलों के उद्योगपतियों को जो छूट मिलेगी चीनी पर प्रवेश कर पर छूट, शीरे पर व्यापार कर की छूट स्टैम्प ड्यूटी में छूट, चीनी पर सेस की प्रतिपूर्ति, गन्ने पर क्रय कर में छूट और प्रतिपूर्ति, सोसायटी कमीशन छूट और प्रतिपूर्ति गन्ना और चीनी के परिवहन पर छूट और उसकी प्रतिपूर्ति गन्ना और चीनी दोनों के पूंजीनिवेश पर 10 प्रतिशत पूंजी उपादान जो 350 करोड़ रूपये निवेश करेगा उसे यह छूट पांच वर्ष तक अनुमन्य होगी और जो घराना 500 करोड़ का पूंजी निवेश करेगा उनको यह छूट 10 वर्षो तक अनुमन्य होगी । इस नीति के दो पहलू हैं । देखना यह है कि इस नीति के आने के बाद प्रदेश में हमारे वास्तव में चीनी उद्योग की बढ़ोत्तरी होगी या चीनी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस बिन्दु पर मैं बल देना चाहता हूं । मेरा मानना यह है कि अगर हम दो श्रेणियों को प्रोत्साहन दें तो इसका प्रतिकूल प्रभाव दूसरे क्षेत्र में पड़ेगा । बीस करोड़ रुपया उस मिल मालिक को मिलता है जो नई योजना के अन्तर्गत मिल स्थापित करता है। इन छूटों के माध्यम से मेरे पास इसका ब्रेकअप है । अगर कोई मिल 120 लाख कुतल गन्ने की पेराई करती है तो उसका 10 प्रतिशत 12 लाख कुतंल चीनी आती है । तो कुल मिलाकर 18 करोड़ रूपये की छूट मिलती है एक वर्ष में उसका पूंजीनिवेश कितना होता है लगभग 125 करोड़ रूपये । 15 करोड़ का अनुदान आपका है जो चीनी मिल स्थापित होने में होता है । स्टैम्प की छूट आपने दी जो 3 करोड़ की आती है इस प्रकार 107 करोड़ में लग जाती है । 18 करोड़ की छूट है और 107 करोड़ का पूंजी निवेश है । मान्यवर, 6 वर्ष में उस पूंजीपति को मिल की कीमत का भुगतान हो गया । जिसने 105 करोड़ रूपये लगाये उसकी इन छूटों के माध्यम से 6 वर्ष के बाद चीनी मिल फ्री हो गई । सारी की सारी इन मिलों की स्थापना सरकारी कोष के आधार पर हो गई । अगर यह छूट इनको न दी गई होती तो यह पूंजी हमारे खजाने में आती लेकिन हम छूट के माध्यम से यह उसको दे रहे हैं । यह तो उसको मिल की प्रतिपूर्ति हो गयी । इस तरह से मान्यवर, यह 5 प्रतिशत वालों की स्थिति बताई है 10 प्रतिशत वालों की स्थिति भी यही बैठेगी । मान्यवर, इसका प्रभाव क्या होगा ? इसको मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं । इसका प्रभाव यह होगा कि जो बराबर में लगी हुई निगम की चीनी मिल है या सहकारिता की चीनी मिल है इन चीनी मिलों को छूट न मिलने के कारण उनकी चीनी मंहगी मिल रही है । उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है । अगर वह अपनी चीनी कलकत्ता भेजना चाहता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी मिल रही है लेकिन इन सरकारी मिलों को नहीं मिल रही है । सारी की सारी छूट इन मिलों को मिल रही हैं तो निश्चित रूप से वो इनके सामने खड़ी नहीं हो पायेगी और पांच वर्ष के अन्दर यह परिणाम होगा कि उत्तर प्रदेश में निगम की 22 और सहकारिता की जो 27 चीनी मिलें हैं यह सारी की सारी मिलें बंद हो जायेंगी । इसका मुख्य कारण यह है कि वे इनके सामने कम्पीट नहीं कर पायेंगी । इनके कम्पीट न कर पाने का एक कारण यह भी है कि हमारा सारा का सारा गन्ना उद्योग चौपट हो गया है ।

दूसरा प्रभाव यह होगा कि निजी क्षेत्र की जो 1/2 मिलें चल भी रही हैं वे भी इनके सामने कम्पीट नहीं कर पायेंगी और वे घाटे में जायेंगी । आने वाले 5-6 साल में एक दो को छोड़कर शेष मिलें बंदी के कगार पर पहुंच जायेंगी । आज मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में केवल 3 घराने ऐसे हैं, मैं उनका नाम भी ले लेता हूं । बजाज ग्रुप, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बलरामपुर बिरला ग्रुप । इन तीनों घरानों में 350 करोड़ या 500 करोड़ निवेश करने की योजना है । इन तीन घरानों के ऊपर जैसे मैंने कहा कि 32 लाख किसानों के परिवार आधारित हो जायेंगे और उसके पांच साल के बाद निजी क्षेत्र की चीनी मिलें बंद हो जायेंगी सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें बंद हो जायेंगी । यह सरकार रहेगी या नहीं रहेगी लेकिन वे घराने किसानों का किस तरह से शोषण करेंगे इसको आप समझ सकते हैं । किसानों को

इनको गन्ना आपूर्ति करना पड़ेगा । आप कहते हैं कि आपने एक काम किया है कि उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया है कि वे अधिक से अधिक पूंजी निवेश करें, यहां पर मिलों की स्थापना करें । इसीलिये आपने यह प्रोत्साहन योजना दी है । इसके दो पक्ष है, इसको देख लें । एक तो यह है कि अगर कोई आदमी एक मिल इस प्रदेश में लगाना चाहता है तो आप उसको लगाने से कहां रोक रहे हैं । अभी तक वह कुटीर उद्योग लगाता रहा है । कुछ फायदा हुआ तो वह एक मिल लगाना चाह रहा है । आपने प्रतिबंधित कर दिया कि 2003 से लेकर 2007 तक जो लगा लेगा उसको ही छूट मिलेगी । 350 और 500 करोड़ वाले को ही छूट दे रहे हैं जो 125 करोड़ वाला है उसको छूट कहां मिल रही है, वह कहां स्टैण्ड कर रहा है ।

आप इतिहास देख लें 1951 से लेकर अब तक का । यहां पर आये हुए वे लोग जिन्होंने एक लगा ली, दूसरी लगा ली, तीसरी लगा ली, चौथी लगा ली । किसी की मोनोपौली नहीं हो पाई । मोनोपौली न होने का परिणाम यह रहा कि किसानों को छूट मिल गई, सरकार को छूट मिल गई सरकार को छूट मिलने के कारण अच्छा भाव मिलने की स्थिति बन गई। दूसरी बात नयी मिलों की आवश्यक सूची आपको दे दूं सूची में देखेंगे हमारे पास जो चीनी मिलें लगी हैं 1951-52 से लेकर 1970-71 तक । केवल दो मिलें लगी हैं फिर केन्द्र सरकार ने कुछ नीति अपनी बदली 1972 से 1982 तक । 19 मिलें लग गई । उसके बाद 82 से लेकर 91 तक और मिलें बढ़ाई। 91 से लेकर 2006 तक की सूची मेरे पास है बिना आपके प्रोत्साहन के इस प्रदेश में अभी तक 25 मिलें स्थापित हो चुकी हैं । यह प्रोत्साहन के कारण नहीं आई हैं ! यह इसलिए आई हैं कि गन्ना पेरने के लायबिलटी थी गन्ना क्षेत्र उपलब्ध था तो उन्होंने सोचा हमारा उद्योग सरवाइव कर सकता है । यह प्रतिबन्धित नहीं था आप प्रतिबन्धित करके इंटैन्सिव देगें यह इंटैन्सिव से वंचित रहेंगे । तो क्यों न आएं। 25 फैक्ट्री आ गई सबको बरोबर का ब्याज सबको बराबर की सुविधा थी । भेद भाव नहीं था । न स्टाम्प ड्यूटी की छूट देनी पड़ी । न और कुछ छूट देनी पड़ी 25 फैक्ट्री लग गई । अब आप क्या कर रहे हैं तीन परिवार आपने छांटे हैं । मैं नाम नहीं लेना चाहता । पता नहीं आपकी सरकार कब तक बनी रहेगी। आपके संबंध कब तक बने रहेंगे । जब तक बैठे हैं तब तक बने रहेंगे । इन तीन परिवारों को छांटा जो फैक्ट्रियां लगाई गई इसका परिणाम क्या हुआ एक परिवार ने मेरे जनपद में दो फैक्ट्री लगाई जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों सरकारी फैक्ट्री आपकी बंद हो गई है । यह औद्योगिकरण है । केवल उनके लगने के कारण से आपकी मोरना की सहकारिता मिल 11 करोड़ का नुकसान देकर बंद हो गई । श्रमिकों को वेतन देना पड़ेगा । बैंक का इन्ट्रेस्ट देना पड़ेगा । गन्ना आ नहीं रहा । गन्ना आपने और आपके अधिकारियों ने मिलकर अपने क्षेत्र में बजाज को दे दिया । रुहाना मिल है साढ़े आठ करोड़ का नुकसान हो गया । यह बंद हो गई । सारी लायबिलटी बाकी रह गई । उन लोगों के यहां गन्ना जा रहा है । मान्यवर, यह विषय बड़ा दर्दनाक है मैं व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रख रहा हूं किसान परिवार से मैं आता हूं उसी का प्रतिनिधित्व करता हूं । जब पांच-छः साल परिदृश्य देखता हूं सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी लेकिन आपने जो वैक्यूम खड़ा कर दिया, चीनी उद्योग को समाप्त करने का, यह कहां तक उचित है ? कौन सा अधिकार था किसानों को तीन घरानों मे गिरवी रख दो कौन नीति बनाने वाला है कौन नीति बना रहा है आरोप लगाना उचित नहीं है लेकिन अगर मैं कहूं तीन घराने में एक घराने ने नीति बना दी इसको स्वीकार कर लिया किसानों के साथ विश्वासघात करके जिन्दा नहीं रह पाओगे । आज मेरी बात नहीं समझोगे कल समझोगे । सत्ता तो आती जाती रहती हैं एक व्यक्ति के साथ दो व्यक्ति के साथ अन्याय कर दिया लेकिन पूरे कृषक समाज के साथ अन्याय करके ऐसी नीति ला रहे हैं सारा कृषक समाज इनके हाथ में बंधक बनकर रह जाएगा । यह चर्चा इसलिए उठाई है यह चर्चा नहीं है किसानों का दर्द है और जो बिन्दु मैंने रखें हैं, केवल उत्तर देने के लिए नहीं रखे हैं, इन पर चिन्तन कर लें तो ठीक हो जायेगा ।

आपका यह उत्तर कि हमने तो चीनी उद्योग की नई नीति, चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई है लेकिन किसानों को भुगतान करने के लिए दो वर्ष पूर्व जो छूट दी गई थी, आपने एक महीने पहले ही उस छूट को समाप्त कर दिया ताकि वह चल न पायें, किसी न किसी तरह बंद हो जायें। जो छूट दी थी, वह भी समाप्त कर दी, परिणाम सामने है, सारे का सारा गन्ना कृषक, चीनी उद्योग चौपट हो जायेगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ बिन्दु जो मैंने रखे हैं, सारे सदन की सोच और चिन्तन के लिए रखे हैं, अच्छा हो आप मेरी बात स्वीकार कर लें और इसमें संशोधन कर लें ।

कृषि मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय हुकुम सिंह ने चर्चा के दौरान नई चीनी उद्योग नीति पर चिन्ता व्यक्त की । मैं तो सोचता था कि नई चीनी उद्योग नीति के उत्तर में माननीय हुकुम सिंह सरकार को बधाई देंगे क्योंकि वह स्वयं एक प्रगतिशील किसान हैं और प्रदेश के जागरूक नेताओं में से हैं, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । जो स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी उद्योग की थी, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की हों या सहकारी क्षेत्र की हों, उससे माननीय सदस्य भली प्रकार परिचित हैं । अधिकांश मिलें घाटे की स्थिति में थी और सरकारी खजाने से इसकी भरपाई की अनुमति नहीं दी जा सकती थी तथा प्रदेश की जनता के ऊपर ऐसे सफेद हाथी का बोझ नहीं डाला जा सकता था । इसलिए यह किया गया है । किसान गन्ना पैदा करता था लेकिन उसकी पेराई नहीं हो पाती थी और उससे गन्ना किसानों को संकट का सामना करना पड़ता था । इसका अनुभव करके ही यह नई चीनी उद्योग नीति बनाई गई है और इससे 5 हजार करोड़ रूपये का चीनी उद्योग के क्षेत्र में निवेश हो रहा है । अभी तक चीनी उद्योग, गन्ने से केवल चीनी बनाता था तो उसका लाभकारी मूल्य गन्ना किसानों को नहीं मिल पाता था क्योंकि कोई उद्योग जब घाटे में चल रहा है तो वह किसानों को कैसे लाभकारी मूल्य दे सकता है । अब इस नई चीनी उद्योग नीति के चलते जो उद्योग लग रहे हैं उसमें को-जनरेशन होगा । इसमें बिजली का उत्पादन भी होगा, एल्कोहल का उत्पादन होगा और इसके जो बाई-प्रोडक्ट हैं, वह सब चीजें बनेंगी, इससे जो चीनी उद्योग है उनको भी अधिकाधिक लाभ अर्जित होगा और इससे किसान की भरपाई होगी तथा इससे किसानों का मूल्य सम्वर्धन होगा । जब इनसे केवल चीनी बनती थी, तो चीनी मिलें अपना लाभ काटकर किसानों को भुगतान करती थी, जब चीनी उद्योग दूसरे उत्पाद भी बनायेंगे तो इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा । आज जो नई टेक्नॉलोजी आई है उससे रिकवरी भी बढ़ी है क्योंकि जो पुराने उद्योग हैं उनमें चीनी की रिकवरी 8-9 परसेण्ट हैं लेकिन जो नयी टेक्नॉलोजी से बने उद्योग हैं उनमें चीनी की रिकवरी 13 परसेण्ट है । पिछले वर्षो से नए चीनी उद्योगों का लगना थम गया था लेकिन इस नीति के बनने से कई उद्योग स्थापित हो रहे हैं और यह सौभाग्य की बात है । जब से यह सरकार बनी है, प्रदेश में एक औद्योगिक वातावरण सृजित हुआ है, नए-नए निवेश के आशय-पत्र आ रहे हैं और आज चीनी उद्योग के क्षेत्र में नई चीनी इकाईयां बड़े पैमाने पर स्थापित हो रही हैं । जब तक हम उन्हें इन्सेन्टिव नहीं देगें, जब तक उद्यमियों को अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तब तक हमारे यहां उद्योग नहीं लगेंगे ।

मान्यवर, दूसरे राज्य जो रेडकार्पेट बिछाकर उद्यमियों को सुविधाएं देने को तैयार हैं अगर प्रदेश इसमें पीछे रह जायेगा तो प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे होगा ? आज औद्योगिक क्षेत्र में चीनी उद्योग के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश के उद्यमी उत्तर प्रदेश में रूचि ले रहे हैं । यहां उद्योग स्थापित करना चाहते हैं ! यह इस सरकार की नीतियों का ही नतीजा है । इसलिए मैं हुकुम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि यह किसानों के हित में है इसका विरोध न करें ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय हुकुम सिंह जी की सूचना पर नियम-49 के अंतर्गत चर्चा चल रही है । श्री हुकुम सिंह जी कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अच्छी तरीके से रखा है और आधारहीन तथ्यों को तार्किक ढंग से रखा है मैं उनकी सराहना करता हूं । जैसे बाजपेयी जी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि वह नई चीनी नीति की सराहना करेंगे । गन्ना किसान जितना परेशान पिछली सरकारों में रहा है उतना किसी सरकार में नहीं रहा । हम भूतकाल की चर्चा में नहीं जाना चाहते । जब हम प्रतिपक्ष में थे तभी से हम गन्ना किसानों की समस्याओं को उठा रहे हैं । गन्ना मूल्य का भुगतान न सिर्फ हमारी सरकार में शत प्रतिशत किया गया बल्कि उसमें ऐतिहासिक वृद्धि भी की गयी । इन कारणों से मुझे लगता था कि आप इस चीनी नीति का समर्थन करेंगे लेकिन इस पर भी आपने आशंका व्यक्त कर दी बल्कि मैं इसे आरोप के रूप में लेना चाहूंगा । आरोप यह है कि चीनी नीति ऐसी बनायी गयी है जिसमें प्रदेश के तीन घरानों के चंगुल में फंसकर रह जाएगा और इन तीनों घरानों के अतिरिक्त कोई दूसरी यूनिट प्रोडक्शन की चीनी मिल चल नहीं पाएगी, किसान बहुत असहाय हो जायेगा, आपकी चर्चा का सार यही है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह नीति केवल तीन घरानों के लिए बनी नीति नहीं हैं । इसमें अभी तक 7 ग्रुप आ चुके हैं और अभी और आने वाले हैं । इस चीनी नीति के अन्तर्गत 31 मार्च, 2007 तक की जो अवधि है एक वर्ष के अन्दर इन 7 के अलावा और ग्रुप आने वाले हैं और एक वर्ष के अंदर इनकी संख्या एक दर्जन के लगभग हो जाएगी । जब तक हम निवेश के लिए लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे, और जब तक हम ऐसा परिवेश नहीं बना सकेंगे, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिन बहुत अंधकारपूर्ण दिन होंगे । खासतौर से उन परिस्थितियों में जब पड़ोसी राज्य उत्तरांचल सभी तरह के उद्योगों को छूट दे रहा है । हमारी कठिनाई यह है कि अगर हम छूट नहीं देंगे तो निवेशक पड़ोसी राज्य उत्तरांचल में उद्योग लगाना चाहेंगे। मैं गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहा हूं । तो इस पर हमको गम्भीरता से विचार करना होगा । जब निवेश की राशि आयेगी तो फर्क पड़ेगा और फर्क पड़ा है उसको मैं बताना चाहता हूं । मैं पिछले दस वर्ष की तुलना नहीं करना चाहता हूं, तीन वर्ष की तुलना नहीं करना चाहता हूं । मान्यवर, गन्ने का भुगतान हमारी सरकार ने किया है । गन्ने का पेमेन्ट पिछले वर्ष पांच हजार करोड़ का किया गया था । इस वर्ष अभी तक पांच दो सौ करोड़ रूपये का भुगतान कर चुके हैं और छः हजार पांच सौ करोड़ से अधिक का गन्ने मूल्य का भुगतान होगा । यह राशि जा रही है सीधे किसानों के घरों में । इससे उनका विकास होगा । जब किसान के घर में यह राशि जायेगी तभी देश में समृद्धि आयेगी और जो हमारी सोच है कि गांव का विकास होगा तभी शहर का विकास होगा इससे बल मिलेगा।

मान्यवर, यह मिलें खुल रही हैं । यह विकास केन्द्र के रूप में स्थापित होंगी । इसके अगल बगल जो छोटे उद्योग होंगे, गांव भर के जो लोग होंगे वह इससे लाभान्वित होंगे । उनके जीवन के लिए आधार बनेगा और जो सरकार का दृष्टिकोण है कि हम वास्तविक विकास करना चाहते हैं तो इसका प्रभाव नजर आयेगा । एक बात आपने कही कि छूट ऐसी दी जायेगी जिससे मिलें फ्री हो जायेंगी, तो छूट की जो सीमा है वह है साढ़े तीन सौ करोड़ के निवेश पर पांच वर्ष की छूट और साढ़े तीन सौ करोड़ से पांच सौ करोड़ तक निवेश पर दस वर्ष की छूट और उसके साथ शर्त दी है कुल दस प्रकार की छूट है अगर इन छूट की राशि को मिलायें तो जितना निवेश हुआ है उससे ज्यादा राशि नहीं होगी । अगर इन्सेन्टिव नहीं देंगे तो किसी भी स्थिति में उद्योग नहीं आयेंगे । एक उद्योग आता है तो अपने साथ परिनेश लेकर आता है, औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलता है । को-जनरेशन की बात तो है ही और हम

इसका प्रभाव देख रहे हैं। को-जनरेशन में अभी तक जो प्रस्तावित है इनकी क्षमता 250 मेगावाट है । कुछ मिलों ने ग्रिड में अपने द्वारा उत्पादित बिजली को देना प्रारम्भ कर दिया है । जो सबसे बड़ी कठिनाई बिजली की है इस बिन्दु पर उनका कितना बड़ा योगदान है । केवल हम बजाज ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप और बलरामपुर ग्रुप को नहीं दे रहे हैं बल्कि पात्रता की श्रेणी में उत्तम ग्रुप, द्वारकेश ग्रुप, मवाना ग्रुप, पारले ग्रुप व अन्य उद्योगों का नाम मैं नहीं ले रहा हूं जिनका निवेश अभी उस श्रेणी में नहीं आया है, 1430 करोड़ रूपये का निवेश उनके मिलों के रूप में आया है और उसके अतिरिक्त चीनी मिलों की क्षमता, विस्तार, कोजेनरेशन, ऐथेनाल के उत्पादन के रूप में मान्यवर धन उसके अतिरिक्त जो 570 करोड़ का खर्च हुआ है, दो हजार करोड़ से अधिक का निवेश तो प्रदेश को प्राप्त हो गया है, दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ चुका है, इस तरह से मान्यवर, एक बहुत बड़ा निवेश इस प्रदेश मे होने जा रहा है । श्रीमन् जो आपकी आशंका है वह निर्मूल है और जब भी कोई बात बदलती है यथास्थिति से आगे निकल कर के जब भी कुछ करने का प्रयास होता है तो यथास्थितिवादी लोग खतरे मे आ जाते हैं ओर उनको आगे आने वाले दिन खतरनाक जयादा दिखाई देते हैं इसलिए आपके मन में जितनी भी आशंका है, मैं यह अनुरोध आपसे करना चाहूंगा जब केन्द्र में आपकी सरकार थी आपने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उनके गन्ना बकाये का भुगतान नहीं किया, वादा किया कि भुगतान न देने वाली मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी करेंगे, वादा किया उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन उन्हीं चीनी मिल मालिकों से मिलकर के मुकदमें की कारगर पैरवी तक आपने अदालत में नहीं की और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का गन्ना नहीं पेरा जाता रहा लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान आपके मिल मालिकों द्वारा पेरा जाता रहा, उसको अगर मुक्त कराने का काम, उसको अगर खुशहाल बनाने का काम किसी ने किया तो मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया है, उससे अगर आपको कठिनाई है तो यह बात मुनासिब नहीं है । 21 नई चीनी मिलों की स्थापना हो चुकी है, 10 नई चीनी मिलों की क्षमता का, 9 में पेराई प्रारम्भ हो गई है 10 में और 10 चीनी मिलों की क्षमता विस्तार 265 किलो लीटर प्रतिदिन इन अश्वनियों से ऐथेनाल का निर्माण होगा, यह सारी चीजें ऐसी है जो अपने आप इस तस्वीर को साफ कर देती है कि इस प्रदेश का विकास कैसा होगा ?

नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन विषयक नियम-49 के अन्तर्गत सूचना पर जारी चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

आधे घंटे की चर्चा थी, आधा घण्टा तो हो गये हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस चर्चा का समय 10 मिनट और बढ़ा दें ।

श्री अधिष्ठाता-

राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव से सदन सहमत है ?

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन् सहमत है, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए हमें भी कुछ समय दे दीजिएगा ।

नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 के संबंध में संशोधन करते हुए विशेष प्रोत्साहन/छूट दिये जाने के संबंध में दिनांक 24 नवम्बर, 2005 के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-49 के अंतर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमन् मैं जो यह सभी आंकड़े हैं उनको अलग से न देकर के मैंने जो तथ्य आपके सामने रखें हैं मूलत: जो आपके सही है तो उनकी मोनापाली बन जायेगी और अगर एकसे दो गये तो उनकी मोनापाली टूटती है, अगर दो से तीन, तीन से सात और सात से नौ, नौ से ग्यारह हो गये तो उस स्थिति में उनकी मोनोपाली अपने आप टूट जायेगी और हम चाहते हैं कि स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हो, इस तरह के ग्रुप आये, लेकिन निवेश के सवाल पर इसको जेनरलाईज करने का काम करेंगे जो आपकी मंशा नहीं है, आपकी मंशा यह भी नहीं है कि उन उद्यमियों के परिवेश को सुदृढ़ करने के लिये उनको जेनरलाईज किया जाये, मान्यवर आपकी मंशा नहीं है लेकिन किसी भी स्थिति में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तबाह नहीं होने देगी, उनकी खुशहाली और बेहतरी के लिए हमने यह नीति बनाई है, उनकी खुशहाली और बेहतरी के लिए हमने सुनिश्चित प्रबंध किये हैं और किसी भी तरीके की राजनीतिक आलोचना या किसी तरह की शर्त के कारण हम अपने कदम पीछे खींच कर के किसानों को फिर से हम उसे बदहाली की स्थिति में डालने के लिए मान्यवर, तैयार नहीं हैं, इसलिए हमने नई चीनी नीति की घोषणा की है पूरी नीयत के साथ किया है और अब चूंकि उसका परिणाम बहुत सार्थक हमारे सामने है इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं इस निर्णय पर अपने मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को और किसानों की बेहतरी के लिए आगे भी इस बारे में कितने भी कदम होंगे हम उठाते रहेंगे, पुरजोर तरीके से इस नई चीनी नीति का मान्यवर मैं इस पर बल देता हूं कि इस नई चीनी नीति से इस प्रदेश की बेहतरी ही है वहीं मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपने चर्चा करके जिन बिन्दुओं पर भी ध्यान आकर्षण इस सदन का किया है, लेकिन तथ्यों को ठीक ढंग से अगर आप देखेंगे तो आपकी इस चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी और आप इस नई चीनी नीति का समर्थन करेंगे, धन्यवाद ।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी चर्चा शुरू करते हुए मैंने अपने आप को केवल चीनी नीति तक ही सीमित रखा था अपनी परम्पराओं के अनुरूप माननीय राजस्व मंत्री जी ने पुरानी अपनी शैली को कायम रखते हुए नीति पर कम भाषण पर ज्यादा जोर दे दिया ।

मान्यवर, आपने कह दिया कि हमने पांच हजार करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया है । भुगतान की स्थिति आपने बता दी है । भुगतान क्या हो रहा है, वह अब बात छोड़ दीजिये । यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है जब किसान को तीन मूल्य मिल रहा है एक मूल्य वह है जिसकी सरकारी तौर पर घोषणा की गयी है । 112 रू0, 117 रू0 ग्रेड आपने कहा है और दूसरा भुगतान वह जब नो केन की स्थिति आ गयी । 31 दिसम्बर तक इस भुगतान पर चला था । जनवरी के महीने में नो केन की स्थिति आ गयी, उससे निजी मिल मालिकों के सामने समस्या पैदा हो गयी और उन्होंने अनुदान का नाम देकर, 13 रूपये, 14 रूपये का दाम बढ़ा कर क्षेत्र के हिसाब से कीमतें तय की ।

आप जांच करा लें कि क्या हालत है,केन आयुक्त के कार्यालय में स्थिति क्या है । बड़े-बड़े उद्योगपति आ करके, आपकी सहकारी मिलों से, कारपोरेशन की मिलों से, डायवर्ट करके अपने यहां ले जा रहे हैं और जो नहीं भी ले जा रहे हैं तो जो शुगर केन एक्ट है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, आपके

द्वारा क्षेत्र को आरक्षित करने के बावजूद चारों तरफ जो माफिया लोग हैं वह अपने सेण्टर खोले बैठे हुए हैं और नम्बर दो की खरीददारी वहां पर हो रही है और उन्हें 150 रूपये का रेट मिल रहा है, उन माफियाओं को । मुझे उसकी व्यक्तिगत जानकारी है । किसान को आप 115 और 120 रूपये का रेट दे रहे हैं और 30 रूपये वह माफिया ज्यादा बेच कर कमा रहा है । अच्छा होता आप किसान का भला कर देते । आज तीन भाव है एक सरकारी वाला, एक इन्सेटिव वाला जो शुगर मिल मालिक दे रहे हैं और तीसरा माफिया वाला । तो इस तरह से आज किसान को 120 और 125 रूपये का रेट मिल रहा है और माफिया को मिल रहा है 150 रूपये । वह भी नगद । किसान को फायदा तब होता जब आप पहले जो मैंने बात कही थी उसको मान लेते, मैंने कहा था कि गन्ने की समस्या आने वाली है और मिल मालिक 150 रूपये देने को तैयार हैं । तो वह पैसा किसान की जेब में आ जाता और उसका कुछ फायदा हो जाता । आज नम्बर दो के सेण्टर भी चल रहे हैं । आज के यहां शुगर केन एक्ट प्रवृत्त है । डी0सी0ओ0 वहां बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, आपके गन्ना अधिकारी बैठे हुए हैं तो किसलिए आप उनको वेतन दे रहे हैं । वह लोग भ्रष्टाचार के आधार पर नम्बर दो के काटें लगवाये हैं । तो जो आप कह रहे हैं कि किसानों को फायदा हो रहा है तो इस तरीके से तो उल्टे उनका शोषण हो रहा है। उसको आप फायदा मत कहिए । जब नम्बर दो का काम होगा और उसके पीछे न जाने कितने कारण होते हैं और जब वहीं माफिया लोग अपराधी बनते हैं और पैसा कमाते हैं तो समाज के लिए नासूर बन जाते हैं ।

मान्यवर, हालत बहुत खराब है । आप देखें कि बाजार में चीनी के भाव की क्या स्थिति है । उसमें आपको कोई बहुत श्रेय लेने की बात नहीं है । (व्यवधान) अगर मेरे से आप पूछना चाहते हैं तो मैं यह बता दूं कि हमने चीनी 10 और 11 रूपये में उपलब्ध करायी थी और 105 रूपये का रेट किसानों को दिलवाया था । आज चीनी का भाव बाजार में क्या है 22 रूपये किलो और गन्ने का भाव है 117 रूपये और 112 रूपये । तो आप इसका क्या श्रेय लेना चाहते हैं, किसानों के भाव का । आज हालत क्या है। 22 रूपये चीनी का भाव है और मिल मालिक 150 रूपये देने को तैयार हैं । लेकिन आपने उस पर अंकुश लगा दिया वहां पर और कह दिया कि इतना मत दो । आपने इशारा कर दिया था इसलिए मैंने इस विषय को टच किया था । इस विषय पर दो माननीय मंत्रियों अम्बिका चौधरी जी और बाजपेयी जी ने बातें सदन में रखी हैं । जो आप टोका-टोकी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार के समय में चीनी बाहर से नहीं आयी थी । 9 लाख मीट्रिक टन शुगर इम्पोर्ट किया । वर्तमान केन्द्र सरकार के माध्यम से की गयी और वह इस बात के ऊपर की गयी रि-इक्सपोर्ट की गयी । पहले इम्पोर्ट की जायेगी रिफर करके यहां से बाहर भेजने की बात थी उसमें 12 महीने का समय दिया गया था उसे बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया और वहीं चीनी जो 9 रूपये में पड़ी थी 19 रूपये किलो में बिकवा दी गयी । मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ नहीं हूं । लेकिन यहां जो सत्ता में बैठे हुए हैं अनेक प्रकार के षडयंत्र करके पैसा कमा रहे हैं, नहीं रोक पाये आप और जनता को समझा भी नहीं पा रहे हैं । यह कभी न कभी बात आयेगी ही सामने । मैं किसी को दोष नहीं देता हूं यह हकीकत है । मेरे पास डाकूमेंट है मैं भेज दूंगा कापी आपके पास उसकी, क्या हाल हुआ इम्पोर्ट इक्सपोर्ट जो हुआ उसका। अब यह पैसा किसके पास गया । छोड़ दीजिए उसको अब हम विषय पर आते हैं । दो बातें है मान्यवर, इनसेन्टिव देकर के कितना यहां पर पैकेज आ गया, कितना पूंजी निवेश हो गया । मैं एक बात पूंछू अगर आप भी इन्सेन्टिव देते और हर एक आदमी को छूट दे देते कि हमारे प्रदेश में शुगर फैक्ट्री लगायेगा उसको इन्सेन्टिव मिलेगा ।

आपने यह कटेगराइज क्यों किया कि साढ़े तीन सौ करोड़ या 500 करोड़ रूपये तो क्या किसी ज्योतिषी ने बताया था कि साढ़े तीन सौ करोड़ या 500 करोड़ रूपये लगाये । और 125 करोड़ रूपये में फैक्ट्री लगती है तो यह 125 करोड़ वाला भी इनवेसमेंट करता आपके यहां । अब करेगा वही जिसके पास 350 करोड़ रूपये उपलब्ध होंगे दूसरा नहीं करेगा । अगर उसको भी छूट दे देते तो 350 करोड़ वाला 3 फैक्ट्री लगा लेता और 125 करोड़ रूपये वाला एक फैक्ट्री लगा लेता । तो आपका जो यह भेदभाव चल रहा है, उसका आज नहीं ईश्वर करे आपकी उम्र लम्बी हो और हम भी देख ले इसका परिणाम सकारात्मक नहीं होने वाला । जो आप कह रहे हैं कि 7 लोग आ गये फील्ड में । दूसरा यह भी जानने का विषय है । आपने जनरेशन की बात कही, कुछ फैक्ट्री लग गयी । एक फैक्ट्री उसने नहीं लगायी है आपकी नीति के अंतर्गत । एक यूनिट का जनरेशन किसीमें हुआ हो या आपको जनरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई हो । यह खाली शुगर पालिसी में लिख दिया गया है जरूर लेकिन फील्ड में जाकर देख लें । मेरे यहां तो लगी है । एक भी इकाई का जनरेशन नहीं है और न कोई व्यवस्था की जा रही है । यह खाली सुरखाब के पर हमको दिखाये जा रहे हैं, सपना हमको दिखाया जा रहा है कि हम बिजली का जनरेशन करेंगे और नहीं करेंगे, और बिजली का जनरेशन करेंगे आपने कानून में संशोधन कर दिया और कानून में संशोधन करने के बाद उसको छूट दे दी । पहली बार आपने छूट दे दी शुगर मालिकों को, हमारे सामने भी जनरेशन हुआ है । लेकिन जनरेशन होकर के वह पावर कारपोरेशन के ग्रिड में आती थी और पावर कारपोरेशन बिजली उपलब्ध कराता था अब आपने सीधे यह छूट दे दी कि बिजली बनावो सीधे बेचो तो फिर काहे रखे हो पावर कारपोरेशन, बंद करा दो उसको भी, निजी क्षेत्र में निवेश हो जायेगा । नाम समाजवादी रख लिया, समाजवादी सरकार रख लिया फिर निजी क्षेत्र में जाकर के, पूंजीपतियों के हाथ में जाकर के, अरे समाजवादियों का काम यह था कि समाज को अर्पित करें सब सुविधाएं, समाज को सुविधाएं मिलें । लेकिन हो क्या रहा है कि आप अपनी निगम और सहकारी क्षेत्र की मिलों को बंद करा रहे हो 59 फैक्ट्रियों को बंद करा रहे हैं निगम की और सहकारी की उनकी तकलीफ नहीं हो रही है आपको उनका दर्द नहीं हो रहा है आपको कि सरकारी धन से लगी फैक्ट्री बंद हो जाय । इसलिए मान्यवर, मैं पुन: बल देता हूं चर्चा मैंने की है इस विषय के महत्व को देखते हुए । मैं आभारी हूं दोनों मंत्रिगण का कि उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी सरकार का विचार रखा साथ ही साथ मुझे भी अवसर मिला । इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा समाप्त की जाती है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो माफियाओं द्वारा फर्जी केन्द्र या जो पैरलल क्रय केन्द्र चलाने के आरोप लगाये गये हैं इसकी जांच सरकार करायेगी और किसी भी स्थिति में किसी को छोड़ेगी नहीं, यह जांच एक माह में पूरी होगी ।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न पुन: बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सांयकाल 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 9 मार्च, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)--10 विधाने सभा दिनांक 10-7-06--813 (कम्प्यूटराइज्ड फ्रसैट) ।